वाणी

वर्ष : 38 अंक 143 दिसंबर 2024

पत्रिका पढ़ने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

गतिविधियाँ

बैंक के कैथेड्रल शाखा परिसर में आइओबी ई-लॉबी का शुभारंभ करते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** । साथ में हैं अन्य शीर्ष कार्यपालक गण ।

साइबर सुरक्षा माह के दौरान स्टाफ सदस्यों हेतु आयोजित इनफोसेक ईवेंट का शुभारंभ करते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव**।

वाणी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

वर्ष : 38 अंक 143 दिसंबर 2024

संदेश

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश 3

कार्यपालक निदेशक का संदेश 4

कार्यपालक निदेशक का संदेश 5

महा प्रबन्धक का संदेश 6

संपादकीय

डिजिटल भुगतान अपनी भाषा में 7

विशेष आलेख

गति नहीं, धैर्य की दौड़ 9

देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 11

संस्कारों का निर्माण करती है भाषा 27

कंठस्थ – स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 38

भारत की विदेश नीति व अंतराष्ट्रीय सहयोग 51

कार्बन फुटप्रिंट को समझना: इसका इतिहास, प्रभाव और इसे कैसे कम करें 57

बैंकिंग व अन्य लेख

भारतीय बैंकिंग में अनुपालन की उभरती भूमिका: रुझान और भविष्य 8

वर्तमान मूल्य विश्लेषण: एक विस्तृत अध्ययन 10

एआई से बैंकिंग वास्तव में सबकी कैसे हो रही है? 15

अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में हिन्दी भाषा की भूमिका 16

ब्लॉकचेन तकनीक - वित्तीय लेन-देन में सुरक्षा बढ़ाना 19

बैंकों के चलनिधि प्रबंधन पर थोक जमा की तुलना में खुदरा जमा का प्रभाव 25

भविष्य की बैंकिंग: तकनीक और नवाचार का नया युग 33

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव 34

कैशलेस सोसाइटी में बैंकिंग का भविष्य 40

डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय समावेशन: एक नवभारत की ओर यात्रा 43

बैंकिग में एआई के उपयोग से बेहतर ग्राहक सेवा तथा धोखाधड़ी के रोकथाम में सुधार 49

बैंक और पर्यावरणीय मुद्दे: एक आवश्यक संबंध 53

क्यूआरिशिंग को समझना: क्यूआर कोड के दुरुपयोग के पीछे का खतरा 55

कविता

मोबाइल के बाहर है एक 'दुनिया' 42

परिवार 47

प्रयास 54

काबिलियत 56

पुरखों की धरती 58

साहित्य का सफ़रनामा

काल तुझसे होड़ है मेरी 22

फोटो फ़ीचर

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिंदी दिवस की झलकियाँ 29-30

नराकासों से प्राप्त पुरस्कार 31-32

विविधा

शब्द शब्दांतर 37

ज्ञान के मोती 48

हंसी की फुलझड़ियाँ 48

राजभाषा प्रश्नोत्तरी 59

प्रतिस्पन्दन 60

वाणी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वर्ष : 38 अंक 143 दिसंबर 2024

मुख्य संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
अरबिन्द्र मोहन बनर्जी
महा प्रबन्धक

संपादक
कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक

तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

संपादन सहयोग
नगेन्द्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
पदमा चांदवानी
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं ।
बैंक का इससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002
फैक्स : 044-28551618
दूरभाष : 044-28519572
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय आइओबियन्स,

दिसंबर तिमाही 2024 का वित्तीय परिणाम आ चुका है। एक बार फिर आपकी अथक मेहनत एवं प्रयासों से बैंक ने इस तिमाही में ₹874 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है, सभी को हार्दिक बधाई ! पिछले वित्तीय वर्ष की दिसंबर 2023 तिमाही में बैंक के मुनाफे का आंकड़ा ₹723 करोड़ का था, जिसमें इस तिमाही में 23.68% की वृद्धि हुई है। हमें बैंक का लाभार्जन निरंतर बढ़ाते रहने के लिए अनवरत प्रयास करना है। दिसंबर तिमाही में हमें एनपीए की प्रतिशतता कम करने में भी काफी हद तक सफलता मिली है। सितंबर 2024 तिमाही में निवल एनपीए 0.47% था, जो कि दिसंबर 2024 तिमाही में घट कर 0.42% हो गया है। एनपीए की प्रतिशतता में गिरावट बैंक के लिए अच्छा संकेत है। स्लीपेज रोकने के क्षेत्र में भी हमारा प्रयास सराहनीय रहा है। संभवत: इस तिमाही में बैंकिंग जगत में स्लीपेज रोकने संबंधी पैरामीटर में, हम शीर्ष पर हैं। ध्यान रहे कि हमें आगामी तिमाही के लिए अभी से डटकर सभी रिकवरी टूल्स का उपयोग करना है और एनपीए की प्रतिशतता में निरंतर गिरावट को बरकरार रखना है।

आप अवगत हैं कि हाल ही में बैंक ने कई नए उत्पादों का विमोचन किया है। जिसमें से, एक बहुत ही चर्चित उच्च आय अर्जित करने वाले एचएनआई ग्राहकों को लक्षित कर निर्मित 3 नए वेरिएंट वाली अल्ट्रा एचएनआई एसबी योजना है। यह उत्पाद बहुत ही प्रभावी एवं विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित है। निस्संदेह यह हमारे कारोबार ग्रोथ एवं कासा बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। आप बैंक द्वारा नई सुविधाओं से लैस संशोधित स्कीम वेतन खाते, एसबी मैक्स, आइओबी सुपर स्टार, आइओबी सिक्सटी प्लस, आइओबी एसबी पेंशनर, आइओबी स्टार्ट अप आदि योजनाओं की बारीकियों को जानें। इन उत्पादों की विशेषता यानी मुफ्त वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, हवाईअड्डे पर लाउंज एक्सेस, लॉकर किराये में रियायत, वाहन ऋण एवं आवास ऋण की ब्याज-दर में कुछ प्रतिशत की रियायत आदि से परिचित हों। यहां जोर देना चाहूँगा कि इन उत्पादों को ग्राहकों तक पहुँचाएं। मुझे विश्वास है कि ये सारे उत्पाद कासा के टार्गेट को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

साथियो, हम इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रवेश कर चुके हैं। अब, वित्तीय वर्ष की शुरूआत में लिए गए संकल्पों को पूरा करके दिखाने का समय आ गया है। सभी शाखाएं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों अपने टार्गेट का अवलोकन करें और स्व-मूल्यांकन करें कि वे किस पैरामीटर में पिछड़ रहे हैं। आवश्यकता है अधिक से अधिक फोकस, दृढ़ता एवं टीम भावना के साथ कार्य करने की। विशेषकर शाखा प्रबंधकों से अनुरोध है कि वे सभी पैरामीटर के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करें।

आप सभी को मार्च तिमाही एवं इस वित्तीय वर्ष के सफल समापन हेतु शुभकामनाएं देते हुए मुझे हिंदी के मूर्धन्य कवि शिवमंगल सिंह 'सुमन' की दो पंक्तियां याद आ रही हैं, जो हमें लक्ष्य को साधने के लिए उद्वेलित करती है:

"है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं,
तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है।"

शुभकामनाओं सहित,

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एमडी व सीईओ महोदय को सुनने के लिए,
क्यूआर कोड स्कैन करें

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय सहकर्मियों,

आप सभी को दिसंबर तिमाही में बैंक को एक मजबूत बैलेंश शीट देने के लिए हार्दिक बधाई देते हुए, अपने संदेश की शुरूआत करता हूँ । हमने इस तिमाही में सिर्फ ₹874 करोड़ का शुद्ध लाभ ही पोस्ट नहीं किया है, बल्कि सभी क्रिटिकल पैरामीटर में भी पॉजिटिव रहे हैं । यह बैलेंस शीट हमारी टीम भावना एवं समर्पण को दर्शाती है । पर हमेशा की तरह, जो हमने अर्जित किया है, उससे और बेहतर करने की संभावना बनी रहती है ।

साथियो, हाल ही में हमारा देश यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है । इस वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी की अनुमानित ग्रोथ 6.4% रहने की संभावना है । विदित है कि एमएसएमई एवं सेवा क्षेत्र जीडीपी को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं । ये दोनों क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने में सक्षम हैं । रेहड़ी लगाने से लेकर बड़े स्तर के कारोबार, निर्यात-आयात, विनिर्माण क्षेत्र, स्टार्ट-अप, एमएसएमई क्षेत्र आदि रोजगार सृजन करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं । बैंक के पास सरकारी संरक्षण प्राप्त एमएसएमई उत्पादों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण उत्पाद उपलब्ध हैं, जो कि कारोबारियों को अपना व्यवसाय शुरु करने और उनके टर्न-ओवर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं । ज्यादातर इस क्षेत्र के तहत आने वाले व्यवसाय सीजीटीएमएसई और सीजीएफएमयू गारंटी कवर के अंतर्गत होते हैं । तात्पर्य है कि इस क्षेत्र को दी जाने वाली लैंडिंग, बहुत हद तक सुरक्षित है । यहां व्यवसाय करने की काफी गुंजाइश है । जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दिसंबर तिमाही में हमारे एमएसएमई कारोबार में जितनी वृद्धि की उम्मीद थी, उतनी नहीं हुई । बैंक के पास ऐसे कारोबार को त्वरित रूप से बढ़ावा देने के लिए समर्पित शाखाएं एवं काउंटर भी हैं । फिर भी, यहां पिछड़ना लाजमी नहीं है । शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों को यहां ध्यान देने एवं रणनीति बनाने की विशेष आवश्यकता है ।

दोस्तो, मार्च तिमाही की शुरूआत हो चुकी है । प्राय: यह मानसिकता होती है कि अंतिम समय में शाखा के बिजनेस मिक्स को बढ़ा लेंगे, इस सोच को त्यागते हुए हर दिन कारोबार बढ़ाने पर फोकस करें । हमें गुणवत्ता परक कारोबार करने पर जोर देना है । कासा बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करनी है । इस दिशा में उपलब्ध सभी कासा इनेबलर का उपयोग करें । डिजिटलीकरण के दौर में बैंकिंग फिंगर-टिप्स पर आकर ठहर चुकी है । ग्राहकों को ऑनलाइन कारोबार से जोड़ने के लिए बैंक द्वारा निर्मित टूल्स की जानकारी दें ।

यह समय है अपनी पूरी ऊर्जा एवं लगन के साथ आबंटित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की । आपको शुभकामनाएं देते हुए मुझे आद्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन याद आ रहा है, जहां वह लक्ष्य को संकल्प से जोड़ते हैं । वे कहते हैं- "एक लक्ष्य तय करो, एक सपना देखो, फिर उस लक्ष्य को अपने शरीर की एक-एक नस में ऊपर से लेकर नीचे तक भर दो, दिन में-रात में, सोते-जागते, बस उसी के बारे में सोचो । हर कृत्य उसी तरह करो जो आपको लक्ष्य की तरफ ले जाए । फिर आप देखेंगे उस महान लक्ष्य को अपने सामने पूरा होते हुए, मनुष्य के संकल्प से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है ।"

सादर,

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय साथियो,

एक बार फिर वाणी के नवीनतम अंक के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ । एक बैंकर होने के नाते नूतन वर्ष का पड़ाव पार करते ही हम वित्तीय वर्ष की निर्णायक तिमाही में प्रवेश कर जाते हैं । मेरा ये संदेश आप तक पहुँचने तक हम मार्च तिमाही में होंगे । यह संयोग है कि इस बार रमजान माह की शुरुआत भी 01 मार्च के साथ ही हो रही है, जो 31 मार्च तक जारी रहेगा । जिस तरह माह-ए-रमजान आत्मचिंतन, आत्मावलोकन और आत्मसुधार का महीना होता है, उसी तरह बैंकर्स के लिए मार्च का महीना लक्ष्यों की तुलना में अपने निष्पादन संबंधी आत्मचिंतन, किन्हीं कारणों के चलते लक्ष्यों की प्राप्ति में पीछे रह जाने पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्धारित नीतियों के आत्मावलोकन और अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने के आत्मसुधार का महीना होता है । साथियो, इस समय हमारा अंतिम एवं एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम हर संभव प्रयास करते हुए शाखा हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें ।

मार्च तिमाही बैंकों के लिए अपने निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का अंतिम अवसर होती है । इन लक्ष्यों में जमा संग्रह, ऋण वितरण, शुल्क आय और अन्य व्यावसायिक उद्देश्य शामिल हो सकते हैं । हमें इस तिमाही में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, क्योंकि समेकित रूप से यह बैंक के सकल निष्पादन को प्रभावित करता है साथ ही यह तिमाही भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) एवं विभिन्न नियामक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन और अन्य वित्तीय मानदंडों से संबंधित विशिष्ट दिशानिर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है ।

इसी तिमाही के दौरान बैंक को वित्तीय लेखा पुस्तकों को अंतिम रूप देते हुए सुनिश्चित करना होती है कि वे सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं । वित्तीय परिणाम निवेशकों और शेयरधारकों के लिए बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि वे बैंक की लाभप्रदता और विकास की संभावनाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं । मजबूत वित्तीय परिणाम निवेशक विश्वास को बढ़ा सकते हैं, जिससे शेयर की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और भविष्य में निवेश आकर्षित हो सकता है । इसमें भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य नियामकों को प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक रिपोर्टें और उपलब्ध करवाए जाने वाले विवरण भी शामिल हैं । यह रिपोर्टिंग करना अत्यंतावश्यक है क्योंकि इनका अनुपालन सुनिश्चित करने हुई कोई भी चूक गंभीर वित्तीय दंड और बैंक की प्रतिष्ठा की हानि के रूप में परिणामित हो सकती है । संक्षेप में, मार्च तिमाही बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है, जो उनके वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन, नियामक अनुपालन, लक्ष्य उपलब्धि और बाजार धारणा को आकार देती है। यह अवधि बैंकों को अपने वार्षिक परिणामों की समीक्षा करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने का अवसर प्रदान करती है । आप सभी को एक सफल व अभूतपूर्व उपलब्धियों से सुसज्जित वित्तवर्ष समापन हेतु शुभकामनाएँ ।

सादर,

धनराज

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

महा प्रबंधक का संदेश

साथियो, हमारी स्वनामसिद्ध पत्रिका अर्थात हमारे बैंक की "वाणी" के माध्यम से आप सभी से संवाद का यह मेरा पहला अवसर है। प्रकाशन में 142 अंकों की सुदीर्घ श्रृंखला एवं 38 वर्षों की वृहत्तम यात्रा का अनुभव समेटे हमारे बैंक की वाणी में अपना स्वर जोड़ना, एक अलग किस्म की सुखदानुभूति है। राजभाषा विभाग का नाम आते ही जो दो चीज़ें सबसे पहले दिमाग में आती हैं, उनमें से पहला नाम आता है वाणी और दूसरा नाम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। यह गर्व का विषय है कि लगातार दो वर्षों से हमारा बैंक राजभाषा कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता आ रहा है। हमें इस कीर्तिमान को बनाए रखना है, इस ख्याति को बचाए रखना है। हमें सदैव प्रयास करना होगा कि अगर हमारा कार्य अच्छा है, तो उसे हम बेहतर बनाएँ और अगर बेहतर है तो उससे बेहतरीन बनाएँ। हमें हिन्दी का काम नहीं करना है बल्कि हमें अपना काम हिन्दी में करना है। हमें अपने दैनंदिन के कार्य में राजभाषा को इस तरह शामिल करना है कि स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देते हुए राजभाषा नीति का पालन सुनिश्चित कर सकें तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सभी अपेक्षाओं का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।

आधुनिक युग में, डिजिटल बैंकिंग ने वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। यह न केवल ग्राहकों के लिए अत्यंत सुविधाजनक साबित हुई है, बल्कि बैंकों और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी यह असंख्य लाभ प्रदान करती है। डिजिटल बैंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह ग्राहकों को चौबीसो घंटे, सप्ताह के सातों दिन बैंकिंग सेवाओं तक निर्बाध पहुँच प्रदान करती है। भौगोलिक बाधाओं या बैंकिंग समय की सीमा के बिना, ग्राहक अपने खातों की शेष राशि जाँचने से लेकर धनराशि स्थानांतरित करने तक और विविध बिलों के भुगतान से लेकर ऋण के लिए आवेदन करने तक कितने ही काम अपने घरों या कार्यालयों में बैठे-बैठे करने के लिए स्वतंत्र हैं।

डिजिटलीकरण की इस दौड़ में हमार बैंक भी किसी अन्य प्रतिस्पर्धी बैंक से पीछे नहीं है। आइओबी एक सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल पेशकशों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा बैंक पहले से ही आधार-ओटीपी आधारित खाता खोलना, एपीआई बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और मिस्ड कॉल बैंकिंग जैसी तमाम बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रहा है। हाल ही में बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के निर्देशन में बैंक ने डिजिलॉकर पर आवास ऋण ब्याज प्रमाण-पत्र डाउनलोड का एकीकरण करके हमारे ग्राहकों के लिए बैंकिंग को अधिक सुलभ, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। इस लॉन्च के साथ, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने अब चार प्रमुख वित्तीय दस्तावेजों को डिजीलॉकर के माध्यम से सुलभ बना दिया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि हमारे ग्राहक पहले से ही बचत और ऋण खाता विवरण तैयार करने में सक्षम होने के साथ ही जमाकर्ताओं के लिए फॉर्म 16 डाउनलोड करने की सुविधा से लाभान्वित हैं। आवास ऋण ब्याज प्रमाण-पत्र के जुड़ने से डिजिटल सेवाओं का दायरा और बढ़ गया है, जिससे वित्तीय दस्तावेज पुनर्प्राप्ति आसान, तेज और अधिक सुरक्षित हो गई है। हमें आवश्यकता है तो बस इन पहलों को अपने ग्राहकों के बीच परिचालित करने की। शुभकामनाओं सहित,

सादर,

अ.मो.बनर्जी

अरबिन्द्र मोहन बनर्जी
महा प्रबन्धक

डिजिटल भुगतान अपनी भाषा में

प्रिय पाठको,

विभिन्न भाषागत, बैंकिंग, साहित्यिक एवं समसामयिक विषयों से समावेशित वाणी पत्रिका का 143वाँ अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है ।

हाल ही यूपीआई की अभूतपूर्व सफलता के साथ हमारे देश में डिजिटल लेन-देन में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गयी है । इस सफलता के कई कारण रहे हैं । जिसमें प्रमुख है - जन धन खाते का खुलना यानी बैंकिंग की पहुँच अनबैंक्ड लोगों तक आसानी से हुई । वर्षों से हाशिए पर खड़ी महिलाएं और ग्रामीणों के जन धन बैंक खाते खुलें । वे मुख्य धारा से जुड़ने के क्रम में आगे बढ़ें । आज डिजिटल लेन-देन समाज का हर तबका, हर वर्ग बड़ी आसानी एवं सुगमता से कर रहा है । देश की लगभग आबादी को डिजिटल भुगतान के सभी मोड यानी यूपीआई, भीम ऐप, यूपीआई लाइट, रुपे कार्ड, आईएमपीएस, एईपीएस आदि की जानकारी है । रेहड़ी लगाने वाले से लेकर बड़े कद के कारोबारी सभी डिजिटल मोड के जरिए कारोबार कर रहे हैं । अब लगभग लेन-देन लेखा प्रणाली में आ गए हैं, जिसका पहले कोई हिसाब नहीं था । आम जनता के लिए डिजिटल मोड सरल बनाने के लिए विदेशी कंपनियों ने भी भाषा को बाधा के रूप में नहीं स्वीकारा । आपने देखा होगा कि फेरीवाली से कुछ खरीदने के बाद उसके खाते में राशि क्रेडिट की सूचना वॉयस मैसेज द्वारा उसके चयनित भाषा में प्राप्त होती है । जितनी ही सरल भाषा में आमजन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, कारोबार में दिन-दूनी-रात-चौगुनी होने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी । खुशी है कि हम उस दौर का हिस्सा हैं, जहाँ राजभाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है ।

वाणी के इस अंक में हमेशा की तरह सभी स्तंभों को बरकरार रखा गया है । बैंकिंग आलेख स्तंभ में एक ओर 'भारतीय बैंकिंग में अनुपालन की उभरती भूमिका' संबंधी आलेख में विनियामकों के मानदंडों को पालन की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है, 'एआई से बैंकिंग वास्तव में सबकी कैसी हो रही है' संबंधी आलेख भविष्य में बैंकिंग के नए स्वरूप को समेटे हुए है, 'ब्लॉकचेन तकनीक – वित्तीय लेन-देन में सुरक्षा बढ़ाना' विषयक आलेख डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा के लिए किए गए बहुआयामी उपायों को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर विशेष आलेख स्तंभ में 'गति नहीं, धैर्य की दौड़' इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में नियंत्रित गति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, 'देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' भारतीय लिपियों के इतिहास को समेटे हुए है तथा 'भारत की विदेश नीति एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग' विषयक आलेख में भारत के अन्य देशों के साथ राजनैतिक संबंधों को विस्तार से दर्शाया गया है । साहित्य का सफरनामा स्तंभ में 'काल तुझसे होड़ है मेरी' आपकी साहित्यिक अभिरूचि को बढ़ाएगा तथा विभिन्न हृदयस्पर्शी विषयक कविताएं भी शामिल हैं । साथ ही, आपके लिए एमडी व सीईओ महोदय के संदेश का ऑडियो वर्ज़न भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे पृष्ठ सं 3 पर दिये गए क्यूआर कोड स्कैन कर सुन सकते हैं । इस अंक के प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी रचनाकारों को हृदय से धन्यवाद !

प्रतिक्रियाओं की प्रतिक्षा में..

आपका,

कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक सह संपादक

भारतीय बैंकिंग में अनुपालन की उभरती भूमिका: रुझान और भविष्य

नटराज कार्यमपुडी, महा प्रबंधक एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

पिछले दशक में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अनुपालन में आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है। एक विनियामक दायित्व के रूप में देखे जाने से लेकर संस्थानों की सुरक्षा करने वाला रणनीतिक कार्य बनने तक, अनुपालन बैंकिंग स्थिरता और विश्वास की आधारशिला बन गया है। तेजी से डिजिटल परिवर्तन, सख्त विनियामक ढांचे और वित्तीय अपराधों की बढ़ती जटिलता के साथ, अनुपालन आज केवल नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने और टिकाऊ बैंकिंग प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के बारे में भी है।

भारतीय बैंकिंग में अनुपालन को आकार देने वाले प्रमुख रुझान

1. प्रौद्योगिकी-संचालित अनुपालन

रेगटेक (विनियामक प्रौद्योगिकी) एक निर्णायक के रूप में उभरी है, जो बैंकों को अनुपालन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, वास्तविक समय में लेन-देन की निगरानी करने और जोखिम का पता लगाने के लिए एआई-संचालित एनालिटिक्स का लाभ उठाने में सक्षम है। धोखाधड़ी का पता लगाने, एएमएल (धन शोधन विरोधी) अनुपालन और केवाइसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रियाओं के लिए एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

2. मजबूत डेटा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा अनुपालन

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा नियम सख्त हो गए हैं। डेटा स्थानीयकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के जोर के साथ-साथ सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) जैसे वैश्विक नियामक प्रभावों ने बैंकों को अपने डेटा गवर्नेंस ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और साइबर खतरों का प्रबंधन करना अब अनुपालन कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

3. ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) अनुपालन पर अधिक ध्यान

बैंक अब न केवल वित्तीय ईमानदारी के लिए बल्कि अपनी पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रतिबद्धताओं के लिए भी जवाबदेह हैं। आरबीआई और सेबी ने ईएसजी अनुपालन अधिदेश पेश किया है, जिससे बैंकों को अपने परिचालन में स्थिरता उपायों, जिम्मेदार उधार प्रक्रियाओं और जलवायु जोखिम आकलन को एकीकृत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

4. सक्रिय जोखिम-आधारित अनुपालन दृष्टिकोण

पारंपरिक नियम-आधारित अनुपालन धीरे-धीरे जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का स्थान ले रहा है, जहाँ बैंक संभावित कमज़ोरियों का आकलन करते हैं और निवारक रणनीतियाँ अपनाते हैं। वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में यह बदलाव महत्वपूर्ण है।

5. मजबूत नियामक निरीक्षण और दंड व्यवस्था

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी जांच तेज कर दी है और गैर-अनुपालन के लिए कठोर दंड लगाया है। विनियामक परिदृश्य अधिक मांग वाला होता जा रहा है, जिससे बैंकों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और निरंतर निगरानी की संस्कृति को लागू करने की आवश्यकता है।

भारतीय बैंकिंग में अनुपालन का भविष्य

1. अनुपालन के लिए एआई और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पूर्वानुमानित जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे बैंकों को अनुपालन विफलताओं का पहले से अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। एआई-संचालित मॉडल वास्तविक समय की निगरानी को बढ़ाएंगे और विनियामक रिपोर्टिंग को स्वचालित करेंगे, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप और त्रुटियां कम होंगी।

2. व्यावसायिक रणनीति के साथ अनुपालन का एकीकरण

अनुपालन अब अलग-थलग होकर काम नहीं करेगा, बल्कि समग्र व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ एकीकृत होगा। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बैंकों को अपनी अनुपालन रणनीतियों को ग्राहक अनुभव, डिजिटल नवाचार और राजस्व सृजन के साथ संरेखित करना होगा।

3. बैंकों और नियामकों के बीच अधिक सहयोग

विनियामक सहयोग का माहौल बना रहे हैं, जहाँ बैंक और विनियामक निकाय अनुपालन ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। विनियामक सैंडबॉक्स, उद्योग-व्यापी अनुपालन पहल और सार्वजनिक-निजी भागीदारी अधिक प्रमुख हो जाएँगी।

4. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) का उदय और अनुपालन चुनौतियां

जैसे-जैसे भारत डिजिटल रुपए की ओर बढ़ रहा है, डिजिटल परिसंपत्ति विनियमन, धोखाधड़ी विरोधी उपाय और लेन-देन निगरानी जैसे क्षेत्रों में नई अनुपालन चुनौतियाँ सामने आएंगी। बैंकों को डिजिटल मुद्राओं में नियामक अपेक्षाओं के विकास के लिए तैयार रहना चाहिए।

5. बैंकों के भीतर अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना

अनुपालन का भविष्य सिर्फ़ तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि बैंकिंग संस्थानों के सभी स्तरों पर एक मज़बूत अनुपालन संस्कृति विकसित करने के बारे में भी है। सभी स्तरों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए और बैंक के अनुपालन उद्देश्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारतीय बैंकिंग में अनुपालन की भूमिका में बदलाव आ रहे हैं, जो केवल विनियामक अनुपालन से आगे बढ़कर विश्वास और स्थिरता का रणनीतिक प्रवर्तक बन गये हैं। जैसे-जैसे बैंकिंग परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, एक सक्रिय, प्रौद्योगिकी-संचालित और जोखिम-जागरूक अनुपालन कार्य, दीर्घकालिक लचीलापन और विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन परिवर्तनों को अपनाने वाले बैंक न केवल जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करेंगे बल्कि ग्राहकों का विश्वास और बाजार की विश्वसनीयता भी बढ़ाएंगे।

मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज अनुपालन के भविष्य को अपनाकर, भारतीय बैंक कल के लिए अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और लचीला वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं। आइए हम मिलकर काम करें ताकि अनुपालन न केवल एक आवश्यकता बन जाए, बल्कि हमारे संस्थान के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी बन जाए।

गति नहीं, धैर्य की दौड़

सुरेश पी, महा प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

यह खेल सबसे कठिन खेलों में से एक है । इस तरह के खेल आजकल कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे हैं । जिंदगी के व्यस्तम दौर में, आज की पीढ़ी में पारंपरिक खेलों के प्रति कुछ हद तक रूझान कम हुआ है । लोगों में आउटडोर की अपेक्षा इंडोर गेम के प्रति उत्सुकता कुछ हद तक ज्यादा बढ़ रहा है । मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में मैंने एक स्लो साइकिल रेस में हिस्सा लिया था । लेकिन तब से अब तक न तो कोई ऐसी रेस देखी और न ही इसमें शामिल होने का मौका मिला । मेरे लिए वह रेस बहुत ही स्मरणीय और शिक्षाप्रद रही । जिसे मैं आज आप सभी से साझा करना चाहूंगा ।

रेस तो रेस ही होती है । जो सबसे पहले पहुँचता है, वही विजेता कहलाता है । जीवन भी कुछ ऐसा ही है । जो आगे निकलता है, वही जीतता है—चाहे वह कोई भी प्रतियोगिता हो । जीत एवं हार प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण अंग होते हैं । जीत का स्वाद, जीवन में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है । मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव आदि सब कुछ सफल व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है । कड़वा सच यह है कि दुनिया अक्सर दूसरे या तीसरे स्थान पर आने वालों को भूल जाती है । चाँद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति, एडविन "बज़" एल्ड्रिन ने भी एक इंटरव्यू में इस सच्चाई को साफ़ किया था ।

"एक वरिष्ठ दल सदस्य के रूप में, यह तो तय था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ही सबसे पहले चाँद पर कदम रखना चाहिए। लेकिन सालों तक अलग-अलग समूहों को अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए, हर बार 'दूसरा' व्यक्ति कहलाना थोड़ा थका देने वाला हो जाता है । जब किसी ऐसे व्यक्ति का परिचय दिया जाता है, जिसने वही प्रशिक्षण लिया, वही तैयारी की और उसी मिशन का हिस्सा रहा, तो क्या यह ज़रूरी है कि बार-बार यह बताया जाए कि कोई और उससे पहले वहाँ पहुँच चुका था? फिर भी, मैं हमेशा 'चाँद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति' ही कहलाऊँगा।"

जो लोग दूसरे स्थान पर आते हैं, उनकी सोच कुछ अलग होती है। वे यह सोचकर संतुष्ट नहीं होते कि वे दूसरे स्थान पर आए, बल्कि वे इस बात से परेशान रहते हैं कि वे पहले स्थान यानी अव्वल क्यों नहीं आ सके। वे अपने पीछे आने वालों की परवाह नहीं करते, बल्कि सिर्फ़ इस पर ध्यान देते हैं कि वे पहले स्थान पर क्यों नहीं आ पाए । ज़्यादातर लोग इसी सोच में निराश हो जाते हैं कि वे सबसे ऊपर क्यों नहीं पहुँच पाए । प्रतिस्पर्धात्मक युग में सभी ने आगे बढ़ने की होड़ लगा रखी है । जीवन में प्रगति के सोपान तक पहुँचने के अतिरिक्त मानसिक शांति एवं अनमोल स्मृतियाँ को सहेजना भी आवश्यक है ।

अब वापस चलते हैं स्लो साइकिल रेस पर। ज़रा सोचिए कि तेज़ दौड़ने वाली रेस और स्लो साइकिल रेस में कितना अंतर होता है। आमतौर पर, जो सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुँचता है, वही विजेता होता या कहलाता है । लेकिन यहाँ जो सबसे बाद में पहुँचेगा, वही विजेता कहलाएगा ! यह शायद एकमात्र ऐसी रेस है, जहाँ सबसे पीछे आने वाला ही असली विजेता कहलाता है । इस रोमांचक रेस का हिस्सा बनना, अपने आप में एक अद्‌भुत निर्णय के रूप में आज भी मेरी स्मृतियों में है ।

धीमी साइकिल रेस को जीवन से जोड़कर देखें तो दोनों में कई समानताएँ दिखती हैं। औसत व्यक्ति के लिए फ़िनिश लाइन तक पहुँचना आसान नहीं होता, खासकर जब उसे विशेष नियमों का पालन भी करना हो। जीवन गतिशील है, और हमें अपनी गति खुद तय करनी होती है। हमें उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेना होता है । जीवन सिर्फ़ पूरी रफ़्तार से दौड़ने, बेपरवाह होकर आगे बढ़ने और जीतने के बारे में नहीं है । यह तरीका कुछ लोगों के लिए कारगर हो सकता है, लेकिन सफलता का यही एकमात्र रास्ता नहीं है । जिस तरह धीमी साइकिल रेस में संतुलन और धैर्य ज़रूरी होता है, उसी तरह जीवन में भी एक नियंत्रित गति बनाए रखते हुए आगे बढ़ना भी सफलता ही है । मैं अपनी बात हिंदी के प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह 'सुमन' के शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा, जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं:

क्या हार में, क्या जीत में
किंचित नहीं भयभीत मैं
संघर्ष पथ पर जो मिला,
यह भी सही, वो भी सही
वरदान मांगूंगा नहीं ।

बैंकिंग

वर्तमान मूल्य विश्लेषण: एक विस्तृत अध्ययन

सीएच वी.एस.वी. प्रसाद सहायक महा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बत्तूर

आर्थिक और गणितीय विश्लेषणों में वर्तमान मूल्य विश्लेषण (Present Value Analysis) की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जानते हैं कि जो भी उधार लिया जाता है, उसे ब्याज सहित वापस चुकाना होता है। इसके विपरीत, यदि हमें भविष्य में कोई राशि देनी है, लेकिन उसे वर्तमान समय में चुकाने की जरूरत पड़े, तो उसे वर्तमान मूल्य विश्लेषण (Present Value Analysis) कहा जाता है।

यह विश्लेषण इस सिद्धांत पर आधारित है कि वर्तमान समय की तुलना में भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि अधिक होती है, क्योंकि इसमें ब्याज दर (Interest Rate) और मुद्रास्फीति दर (Inflation Rate) को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

इस गणना के लिए, एक वृद्धि दर (Growth Rate) निकाली जाती है और उसे 1 से जोड़कर वृद्धि कारक (Growth Factor) प्राप्त किया जाता है, जिसे (1 + r) के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ r प्रतिशत वृद्धि दर (r/100) को दशमलव रूप में दर्शाता है। यदि r वार्षिक वृद्धि दर हो, तो n वर्षों के बाद (1 + r)^n के रूप में भविष्य मूल्य (Future Value) को प्राप्त किया जाता है।

वर्तमान मूल्य विश्लेषण का सिद्धांत

हालांकि, हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अवसर कम ही आते हैं जब हमें भविष्य में चुकाने वाली रकम को अभी ही चुकाने की आवश्यकता हो। लेकिन वित्तीय प्रबंधन, निवेश और अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान मूल्य विश्लेषण का अत्यधिक महत्व है।

इसका उपयोग करने के लिए, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि को छूट कारक (Discount Factor) से गुणा किया जाता है। छूट कारक को निकालने के लिए, छूट दर (Discount Rate) को 1 से जोड़कर उसका व्युत्क्रम (Reciprocal) लिया जाता है। यदि छूट दर r प्रतिशत है, तो छूट कारक 1 / (1 + r) होगा। जितने वर्षों के बाद नकदी प्रवाह (Cash Flow) होता है, उस संख्या से छूट कारक का गुणा करने पर वर्तमान मूल्य प्राप्त किया जाता है।

वर्तमान मूल्य का महत्व और विशेषताएँ

वर्तमान मूल्य विश्लेषण की एक खास विशेषता यह है कि यह न केवल किसी निवेश के लाभ और हानि को मापता है, बल्कि समय के मूल्य (Time Value of Money) को भी ध्यान में रखता है।

यह विभिन्न दरों जैसे कि अपेक्षित ब्याज दर या मूलधन लागत दर (Cost of Capital) को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकता है। हालांकि, यह केवल नकदी प्रवाह की गणना करता है और इसमें गैर-मौद्रिक लाभ और हानियाँ (Non-monetary Gains and Losses) शामिल नहीं होती हैं।

विनियोग या इस्तेमाल;

1. पूंजी बजट

एक निवेश का अलग-अलग अवधियों के लिए नकदी प्रवाह रहे तो सभी प्रवाहों का अलग वर्तमान मूल्य गणना कर के, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों का कुल वर्तमान मूल्य प्राप्त किया जा सकता है । इस को वर्तमानिक निवेश से तुलना करने से निवेश लाभप्रद या हानिकारक रहा की गणना की जा सकती है ।

2. परियोजना प्रबंधन

अगर यह निवेश हमारी निजी प्रोजेक्ट रहे तो नकदी बहिर्वाह (cash out flow) को जोड़ के शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) को निकलाते हैं । जिस छूट दर के उपरांत नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) शून्य के समान होती है वह आंतरिक प्रति फल दर (Internal Rate of Return) कहलाती है।

3. खरीदना बनाम किराए पर लेना

कार या उपकरणों को खरीदना या किराए पर लेना बोल कर फैसला में तुलनात्मक नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य निकाल कर, लाभ हानि के साथ फ्यूचर वैल्यू की गणना भी कर सकते है।

4. संवेदनशीलता विश्लेषण

ट्रेज़री निवेशों मे जोखिम मूल्यांकन (risk assessment) के अवसर पर विविध तरह के निवेशों के नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों से तुलना कर उन निवेशों की संवेदनशीलता को जान सकते हैं ।

5. समान मासिक क़िस्त

खुदरा ऋण में वृद्धि व ब्याज तथा मूलधन को जोड़ के क़िस्त की गणना की जाती है । मासिक क़िस्त को "x" मान कर पूरी किस्तों का कुल वर्तमान मूल्य (जो गुणात्मक श्रेणी संकलन होगा) निकाल कर मूल धन को बराबर करने से ईएमआई (EMI) का फार्मूला प्राप्त होता है ।

6. स्वयं करना बनाम सौंपना

नौकरी देने में लागत ज्यादा और दीर्घकालिक होता है। देयताओं के व्यय की भी गणना करनी पड़ती है। आउटसोर्स करने का व्यय अलग तरह से होता है। दोनों के प्रवाहों को वर्तमान मूल्य गणना से हम फैसला (decision) ले सकते हैं ।

7. ट्रेज़री प्रबंधन

ट्रेज़री प्रबंधन में निवेश प्रबंधन आदि अनेक कामों के लिए बहुत साधनों की अभिवृद्धि की जाती है। इस में वर्तमान मूल्य का सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है ।

8. पुनर्गठन की गणना में कमी

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनर्गठन मंजूरी के समय पुनर्गठन की गणना में कमी लाने के लिए संविदात्मक नकदी प्रवाहों का ,पुनर्गठित प्रवाहों के तथा वर्तमान मूल्य गणना के अंतर को पुनर्गठन में कमी लाने के प्रति प्रावधान बनाए रखने का निर्देश जारी किया है।

निष्कर्ष:

वर्तमान मूल्य विश्लेषण (Present Value Analysis) एक प्रभावी वित्तीय तकनीक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि निवेश निर्णय समय के मूल्य (Time Value of Money) को ध्यान में रखते हुए लिए जाएँ। यह न केवल वर्तमान और भविष्य के नकदी प्रवाह (Cash Flows) को संतुलित करता है, बल्कि यह विभिन्न वित्तीय और व्यावसायिक परिस्थितियों में एक निर्णायक भूमिका भी निभाता है। इसके अनुप्रयोग पूंजी बजट, परियोजना प्रबंधन, निवेश निर्णय, जोखिम मूल्यांकन, ट्रेजरी प्रबंधन, और ऋण चुकौती योजना जैसे कई क्षेत्रों में किए जाते हैं।

अत: वर्तमान मूल्य विश्लेषण किसी भी वित्तीय योजना या रणनीति के लिए एक आवश्यक उपकरण है, जो दीर्घकालिक लाभ को सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

विशेष आलेख

देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

अंकित श्रीवास्तव, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ

लिपि के संबंध में जो ज्ञात तथ्य हैं, उनसे संकेत मिलता है कि पूरे जीव-जगत में केवल मनुष्य ही लिपि का प्रयोग करता रहा है। लिपि का वर्तमान परिमार्जित स्वरूप जिस लंबी यात्रा का परिणाम है, उसका आरंभ चित्रलिपि, भावलिपि, संकेतलिपि, ध्वन्यात्मक लिपि एवं आक्षरिक लिपि, जैसे तमाम विकासक्रम के अलग-अलग पड़ावों से होकर गुज़रा है। प्रागैतिहासिक काल के शिलालेखों, भित्तिचित्रों को देखकर यह अनुमान लगाना सहज है कि मनुष्य में अपने भीतर संचित सूचनाओं और ज्ञान को लिखकर सुरक्षित रखने की एक उत्कंठा रही है। किसी सतह पर अपने विचार लिखने या दर्ज करने के प्राचीनतम प्रमाण इंडोनेशिया के जावा द्वीप से प्राप्त हुए हैं। मानव सभ्यता निरंतर इस उद्यम में लगी रही है कि एक ऐसी आदर्श लिपि बनाई जाए जिसमें विचारों को नितांत वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति मिल सके।

सर्वाधिक स्वीकार्य ऐतिहासिक अवधारणा के अनुसार आधुनिक लिपि की शुरुआत मेसोपोटामिया की क्यूनीफॉर्म (कीलाकार) लिपि से मानी जाती है। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य ये संकेत करते हैं कि इसका पहले-पहल प्रयोग व्यापारिक लेन-देन के हिसाब के लिए किया जाता था। इसी प्रकार प्राचीनतम भारतीय लिपियों में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का नाम आता है। इस लिपि को पूरी तरह पढ़ने में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है । लिपियों की आबूगीदा प्रणाली, जिसमें बृहत्तर ब्राह्मी लिपि परिवार आता है, यहीं से देवनागरी का उद्गम मान सकते हैं । प्राचीन ब्राह्मी लिपि 500 ई.पू. से लेकर 350 ई. तक चलती रही। इसके बाद भारतीय इतिहास में कला-साहित्य के उत्कर्ष का स्वर्णकाल समझे जाने वाले गुप्त-काल में प्राचीन ब्राह्मी लिपि की दो प्रचलित शैलियों में से उत्तरी शैली से विकसित लिपि को गुप्त शासकों ने 'गुप्तलिपि' नाम दिया। गुप्तलिपि से ही कुटिल लिपि का विकास हुआ और इसका प्रभावकाल छठी शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक माना जाता है। देवनागरी का विकास कुटिल लिपि से हुआ। नौवीं शताब्दी से आद्यपर्यंत देवनागरी निरंतर परिष्कृत-संशोधित होती आई है।

विश्व में लैटिन, चीनी और अरबी के बाद देवनागरी सर्वाधिक व्यवहार की जाने वाली लिपि है। अतः, देवनागरी के सतत विकास का प्रश्न उन सभी भाषाओं के लिखित साहित्य और उसमें अभिव्यक्त संस्कृति से जुड़ा प्रश्न है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि देवनागरी लिपि को इस प्रकार अद्यतन करते रहने की चुनौती है जिससे वह इन सभी भाषाओं के कथ्यों को उसी कौशल के साथ अभिलिखित कर सके जैसी अन्य विश्वस्तरीय भाषाओं की लिपियाँ कर रही हैं। देवनगारी लिपि की परिधि के बारे में जानने के लिए हमें सन 2011 की जनगणना का आंकड़ा देखना होगा जिसके अनुसार भारत में 122 प्रमुख भाषाएं और 544 अन्य भाषाएँ हैं। इन सभी भाषाओं को भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रो-एशियाटिक और चीनी तिब्बती परिवारों में बांटा गया है। भारत आर्य परिवार में हिंदी, असमिया, बांग्ला, ओडिआ, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी और द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम, आस्ट्रो – एशियाटिक परिवार में संथाली और चीनी – तिब्बती परिवार में बोडो तथा मणिपुरी आदि भाषाएं आती हैं।

भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु स्पष्ट निर्देश हैं कि "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वाँछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।" भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 जो कि संघ की राजभाषा से संबंधित है के उपनियम 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण करना, परिवर्धित देवनागरी का विकास एवं प्रचार करना केंद्रीय हिंदी निदेशालय का दायित्व है।

चूंकि हिंदी आज न केवल भारत की बल्कि अपनी स्वीकार्यता और तकनीकी सुदृढ़ता के कारण विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है इसलिए देवनागरी लिपि और वर्तनी में एकरूपता लाना तथा मानकीकरण करना अत्यंत प्रासंगिक और अपरिहार्य बन गया है। देवनागरी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम और सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग होने वाली लिपियों में से एक है। सामान्यत: भारत आर्य परिवार की भाषाओं में हिंदी, असमिया, बांग्ला, ओडिआ, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी इत्यादि मुख्य हैं। वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में बाईस भाषाएं सम्मिलित हैं और इसमें से तेरह भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं।

हिंदी	देवनागरी	संथाली	ओलचिकी / देवनागरी
संस्कृत	देवनागरी	गुजराती	गुजराती / देवनागरी
कोंकणी	देवनागरी	कश्मीरी	फारसी-अरबी, शारदा / देवनागरी
डोगरी	देवनागरी	सिंधी	फारसी-अरबी/ देवनागरी
नेपाली	देवनागरी	असमिया	असमिया / देवनागरी
बोडो	देवनागरी	ओड़िआ	ओड़िआ / देवनागरी
मराठी	देवनागरी	उर्दू	फारसी-अरबी / देवनागरी
मैथिली	तिरहुता / देवनागरी		

विश्व की सभी बड़ी भाषाओं की लिपियों की तुलना में उच्चरित ध्वनियों को वैज्ञानिक विश्वसनीयता के साथ लिखे जाने की दृष्टि से देवनागरी लिपि की विशेष प्रतिष्ठा है। देवनागरी लिपि अपनी विशेषताओं के कारण ही हिंदी को एक ऐसी अनूठी वर्णमाला दे सकी है जहाँ वर्षों के क्रम, उनके वर्गीकरण आदि का मनुष्य के ध्वनि-तंत्र से विलक्षण सामंजस्य है। ऐसी व्यवस्था किसी अन्य लिपि में दुर्लभ है। देवनागरी लिपि में पर्याप्त ध्वनि चिह्न होने के कारण किसी भी उच्चरित ध्वनि को लिपिबद्ध करना सुगम तो है ही, साथ ही शब्दों की वर्तनी को सुनकर लिखा जा सकता है।

लिपि की अगर परिभाषा की बात की जाए तो ध्वनियों को व्यक्त करने वाले प्रतीक चिह्नों को लिपि कहा जाता है। वर्ण लिपि की ही एक इकाई है जो कि ध्वनियों के लिखित रूप हैं। वर्ण भाषा के मौखिक रूप के प्रतीक होते हैं। वर्णों को ध्वनि चिह्न भी कहा जाता है। इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को 'वर्णमाला' कहते हैं। लिपि का दूसरा पक्ष है-वर्तनी। एक ही स्वर को प्रकट करने के लिए विविध रूपी वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। यद्यपि देवनागरी लिपि में यह दोष बहुत कम है, फिर भी उसकी अपनी कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ भी हैं।

अगर हिंदी लिपि की बात की जाए तो इसकी लिपि अर्थात हिंदी वर्णमाला में कुल 51 वर्ण हैं। जिसमें 11 स्वर, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन एवं 1 विशष्ट व्यंजन है। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में ॠ तथा ऌ भी सम्मिलित हैं, किन्तु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए केन्द्रीय हिंदी निदेशालय ने इसी साल दक्षिण के साथ-साथ कई भारतीय भाषाओं और हिंदी की अधिकांश बोलियों में प्रयुक्त होनेवाले 'ळ' वर्ण को हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थान देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दीर्घ 'ॡ' को हटाना, श्रुतिमूलक 'य' और 'व' के प्रयोग को अद्यतन करना, उर्दू से देवनागरी में लिप्यंतरण करते समय हिंदी द्वारा आत्मसात् कर लिए गए शब्दों में नुक्ते के अनावश्यक प्रयोग को हटाना आदि कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। 'ळ' वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों यथा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊँनी के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त देवनागरीतर लिपियों वाली भारतीय भाषाओं यथा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओड़िआ में भी 'ळ' ध्वनि का व्यापक प्रयोग है। अतः, वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में 'ळ' वर्ण को स्थान दिया गया है। व्यंजनों को वर्णमाला में सामान्यतः स्वर 'अ' के साथ मिलाकर लिखा जाता है।

देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के सामान्य नियम निम्नवत हैं –

हिंदी वर्णमाला का स्वरूप -

स्वर वर्ण - अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

अनुस्वार एवं विसर्ग - अं, अः

मूल व्यंजन – क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह

संयुक्त व्यंजन - क्ष, त्र, ज्ञ, श्र **उत्क्षिप्त व्यंजन -** ड़, ढ़
विशिष्ट व्यंजन – ळ

देवनागरी लिपि के संबंध में अन्य मानक नियम निम्नवत निर्धारत है -

- **हिंदी के संख्यावाचक शब्दों को निम्नवत लिखा जाएगा –**

हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्रायः विविधता दिखाई देती है। इसलिए एक से सौ तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद इनका जो मानक रूप स्वीकृत हुआ, वह इस प्रकार है-एक, दो, तीन, चार .... सौ....

- **क्रमसूचक संख्याएँ (Ordinal Numbers) को निम्नवत लिखा जाएगा -**

पहला, दूसरा, तीसरा .... सौवां ....

- **भिन्नात्मक संख्याएँ (Fractional Numbers) को लिखने का नियम**
- **समय व्यक्त करने के लिए निम्न को देखें -**

एक चौथाई = ¼	आधा = ½	पौन = ¾	सवा = 1¼	डेढ़ = 1½
पौने दो = 1¾	सवा दो = 2¼	ढाई = 2½	पौने तीन = 2¾	सवा तीन = 3¼
साढ़े तीन = 3½				

- **समय व्यक्त करने के लिए निम्न को देखें -**

पौन बजा है = 12.45	सवा बजा है = 01.15	डेढ़ बजा है = 01.30	पौने दो बजे हैं = 01.45
ढाई बजे हैं = 02.30	पौने तीन बजे हैं = 02.45	साढ़े तीन बजे हैं = 03.30	सवा दो बजे हैं = 02.15

- अनुच्छेद विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों के प्रयोग के संबंध में यह निर्णय किया गया कि A, B, C अथवा a, b, c के लिए हिंदी में क्रमशः क, ख, ग का प्रयोग किया जाए। जहाँ रोमन वर्ण कोष्ठक में हों, वहाँ देवनागरी वर्णों को भी कोष्ठकों में रखा जाए।
- विषय के विभाजन, उपविभाजन, अनुच्छेदों या उपानुच्छेदों के लिए अंतरराष्ट्रीय अंकों अर्थात् 1, 2, 3 के प्रयोग के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार रोमन अंकों का भी प्रयोग किया जा सकता है।
- शिरोरेखा (overhead line) का प्रयोग आवश्यक है।
- पूर्ण विराम (फुलस्टॉप) को छोड़कर हिंदी में शेष विरामादि चिह्न वही ग्रहण कर लिए गए हैं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं, जैसे- योजक चिह्न (-), निर्देशक चिह्न (-), विवरण चिह्न (:-), अल्पविराम (,), अर्धविराम (;), उपविराम (:), प्रश्न चिह्न (?), विस्मयादिसूचक चिह्न (!), (अपोस्ट्रॉफी ऊर्ध्व) अल्पविराम ('), उद्धरण-चिह्न (""), शब्द-चिह्न (''), तीनों कोष्ठक ((), {}, []), लोप चिह्न (...), संक्षेपसूचक चिह्न (०), हंसपद (^)।
- योजक चिन्ह एवं अव्यय संबंधी नियम -
- द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए। जैसे- राम-लक्ष्मण, चाल-चलन, हँसी-मजाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना आदि।

- सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे- रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।
- तत्पुरुष समास के दोनों पद जहाँ पृथक् लिखे जाते हों, वहाँ भी वे बिना योजक चिह्न के ही लिखे जाएँ। जैसे- लोक संगीत, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन।
- तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो। जैसे- भू-तत्त्व।
- समानता सूचक 'सा', 'से', 'सी' आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए। जैसे- तुम-सा (होशियार), छुरी-सी (जुबान)।
- जटिल संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे- द्वि-अक्षर, द्वि-अर्थ, त्रि-अक्षर आदि। किंतु, नामवाची समस्त पदों पर यह नियम लागू नहीं होगा। यथा- त्र्यंबक।
- तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ, जैसे— यहाँ तक, आपके साथ।
- सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ, जैसे— श्री गंगाधर, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी।
- यदि श्री जी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही भाग हों तो मिलाकर लिखे जाएँ, जैसे श्रीराम, रामजी लाल
- समस्त पदों में 'प्रति', 'मात्र', 'यथा' आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएँ, जैसे— प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित आदि।

र के प्रयोग संबंधी नियम एवं नुक्ता का प्रयोग

- संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे।जैसे- प्रकार, धर्म, राष्ट्र।
- संयुक्ताक्षर में 'र्' यदि पहला वर्ण हो तो 'रेफ' (कर्म) में परिवर्तित होगा और दूसरा होने पर वर्ण के नीचे (क्रम) लगेगा। 'ट' और 'ड' के बाद संयुक्त होने पर 'ट्र' और 'ड्र' रूप बनता है।
- 'श्र' का यही प्रचलित रूप मान्य होगा। 'श्' के साथ 'र' के संयोग से श्र (श्रद्धा) और 'ऋ' के संयोग से श्रृ (श्रृंगार) रूप बनते हैं।
- त् र के संयुक्त रूप के लिए 'त्र' ही मानक माना जाएगा। जैसे- क्र, प्र, ब्र, स्त्र, ह्र आदि।
- उर्दू से आए अरबी-फारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसे- कलम, किला, दाग। नुक्ता हिंदी में प्रचलित नहीं है। अतः, देवनागरी की मूल हिंदी वर्णमाला में नुक्ते को नहीं रखा जाना चाहिए।
- उर्दू के जो शब्द हिंदी ने आत्मसात् कर लिए हैं, वहाँ नुक्ते के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है। उर्दू के मूल पाठ/साहित्य का लिप्यंतरण करने में नुक्ता का प्रयोग चलता रहेगा।
- अनुस्वार का प्रयोग एवं अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु के प्रयोग में आधारभूत अंतर
- हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा।
- अनुनासिक चिह्न व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनिगुण है। उदाहरण- आँ, ऊँ, एँ, माँ, हूँ, माँगें।
- चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की संभावना रहती है, जैसे- हंस / हँस, अंगना / अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।
- हिंदी में चंद्रबिंदु का प्रयोग केवल तद्भव और देशज शब्दों के साथ होता है। जैसे- आँख, चाँद, आँत, दाँत, गाँठ।
- हिंदी में अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत एवं ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूपों में चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होता है जैसे- लड़कियाँ, लताएँ, चींटियाँ, नदियाँ, महिलाएँ, ऋतुएँ, वस्तुएँ, वधुएँ, रीतियाँ।
- अनुस्वार और चंद्रबिंदु की उच्चारण प्रक्रिया भिन्न है। अनुस्वार में प्रश्वास केवल नासिका से निकलता है, वहीं अनुनासिक में नासिका और मुँह दोनों से निकलता है।
- (इन नासिक्य व्यंजनों (ङ, ञ, ण, न, म) के बाद यदि कोई सवर्गीय वर्ण आए तो नासिक्य व्यंजन अनुस्वार के रूप में अपने पूर्ववर्ती वर्ण के ऊपर आ जाते हैं। जैसे- चञ्चल > चंचल; गङ्गा > गंगा; पण्डित > पंडित।
- वहीं हिंदी में चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी में देशज और तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है।
- संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग 'म्' का सूचक है, जैसे- अहं (अहम्) एवं (एवम्), शिवं (शिवम्)।
- ऐसे शब्दों में जहां स्वरमात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हों वहाँ स्थानलाघव के लिए बिंदु के स्थान पर केवल चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। जैसे- आँख, माँ, साँस, यहाँ, वहाँ, हँसना।

- ऐसे शब्दों में जहां स्वरमात्राएँ शिरोरेखा के नीचे लगती हों वहाँ स्थानलाघव के लिए चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे- मैं + में। इसी प्रकार खिंचाई, खींचना, बेंत, भैंस, चोंच, भौंरा इत्यादि।

अन्य सामान्य नियमों का मानकीकरण

- संस्कृत पदों में संधि के 'अ' वर्ण के लोप को संकेतित करने के लिए अवग्रह चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे- सोऽहं, शिवोऽहं आदि।
- अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र (ॅ) का प्रयोग किया जाए, जैसे-कॉलेज, हॉल, मॉल, टॉकीज, ऑफिस।
- संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे शब्द संधि या समास के साथ तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग किया जाए, जैसे- दुःखानुभूति, दुःखार्त, दुःखांत। यदि हिंदी में गृहीत तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो विसर्ग के बिना ही लिखा जाएगा, जैसे- दुख-सुख के साथी।
- तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है, जैसे- अतः, पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः, क्रमशः।
- संयुक्त क्रियापदों में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक-पृथक् लिखी जाएँ। जैसे- पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था।
- दक्षिण के अय्यर, नय्यर, रामय्या आदि व्यक्तिनामों/कुलनामों को मूल भाषा के अनुरूप लिखा जाए।
- अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं। इन्हें लेखन में यथावत् रखा जाए।
- तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया जाए।
- व्यंजन के नीचे लगा हल् चिह्न उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, यानी वह व्यंजन विशुद्ध रूप से व्यंजन है।
- सर्वनाम और उसके लिए 'के', 'को' आदि निपात हों तो परसर्ग का पृथक लिखा जाए।जैसे- आपके लिए, मुझ को।
- 'त्' को 'त' के साथ अथवा दो अर्ध 'त्' को किसी अन्य वर्ण के साथ संयुक्त करने पर परंपरागत रीति का ही अनुसरण किया जाए। जैसे-सत्ता, महत्त्व, तत्त्व।
- क और फ / फ़ के हुक के आधे भाग को हटाकर संयुक्ताक्षर बनाए जाएँ। जैसे- संयुक्त, पक्का, दफ्तर।
- ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ और ह के संयुक्ताक्षर हल चिह्न लगाकर बनाए जाएँ।जैसे- वाङ्मय, उच्छ्वास, लट्टू, बुड्ढा, चिह्न, ब्रह्मा।
- लेकिन 'द' के साथ अर्धस्वर 'य' और 'व' आने पर हल चिह्न के स्थान पर संयुक्त व्यंजन बनाने के परंपरागत रूप को प्राथमिकता दी जाए।जैसे- विद्या, विद्यालय, विद्यमान, द्विवेदी, द्विधा।
- हिंदी के परसर्ग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों से पृथक् लिखे जाएँ। जैसे- राम ने, राम को, राम से, राम का, सेवा में।
- सर्वनाम शब्दों के साथ परसर्ग मिलाकर लिखे जाएँ। जैसे- तूने, आपने, तुमसे, उसने, उसको, उससे, मुझको, मुझसे।
- सर्वनामों के साथ यदि दो परसर्ग हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए, जैसे- उसके लिए, इसमें से।
- सर्वनाम और परसर्ग के बीच 'ही', 'तक' आदि निपात हों तो परसर्ग को पृथक् लिखा जाए। जैसे- आप ही के लिए, मुझ तक को।
- देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण न केवल भाषाई दृष्टिकोण से, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया भाषा की शुद्धता, एकरूपता और व्यापकता को सुनिश्चित करती है। मानकीकरण के माध्यम से हिंदी के सही और सटीक उपयोग को बढ़ावा मिलता है, और इसे न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रतिष्ठित किया जा सकता है।देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण भारतीय भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, और तकनीकी दृष्टिकोणों का ध्यान रखना जरूरी है।

एआई से बैंकिंग वास्तव में सबकी कैसे हो रही है?

अभिषेक आर्या, मुख्य प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय

एक दिन शाम को, मेरे 7 साल के बेटे ने मुझे चौंका दिया। उसने झट से टीवी का रिमोट उठाया और अपनी मनपसंद कारों वाला यूट्यूब चैनल देखने लगा। मुझे पता है कि उसे महंगी कारों के नाम लिखने में दिक्कत होती है, तो मैंने मज़ाक में पूछा, "बिना टाइप किए वीडियो कैसे ढूंढ लिया?" वो मुस्कुराया और बोला, "बस, रिमोट पर आवाज वाला बटन दबाया और बोल दिया।" उस पल मुझे एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बदल रही है और हमारी ज़िंदगी में घुल-मिल रही है।

अब सोचो, एक दूर गाँव का किसान अपनी बोली में आराम से अपने फसल के कर्ज़ का बैलेंस चेक कर रहा है, या एक दादी ऑनलाइन पैसे भेज रही हैं, और चैटबॉट उनकी भाषा में उन्हें समझा रहा है। ये कोई सपना नहीं है; ये असलियत है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भाषा की दीवारें तोड़ रही है, जो भारत में सबको बैंकिंग से जोड़ने में रुकावट बन रही थीं।

भारत में अलग-अलग भाषाएँ हैं, ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, पर डिजिटल बैंकिंग के लिए ये हमेशा मुश्किल रही है। पहले सब कुछ अंग्रेजी में होता था, पर अब एआई वाले तरीके भाषा के पुल बन रहे हैं, जिससे बैंक ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं। चैटबॉट, जो पहले सिर्फ अंग्रेजी में जवाब देते थे, अब हिंदी, तमिल, बांग्ला और दूसरी भारतीय भाषाओं में बात कर रहे हैं। एसबीआई का योनो ऐप देखें, वो एक सिंपल ऐप से सबका "दोस्त" बन गया है, या एचडीएफसी का ईवा और आइसीआइसीआई का आइपैल, जो ग्राहकों की अपनी भाषा में बात करना सीखा रहे हैं।

आवाज से बैंकिंग, जो पहले दूर का सपना था, अब सच हो गया है। लोग बस बोलकर पैसे का लेन-देन कर रहे हैं। जैसे मेरे बेटे ने आवाज से सर्च करके अपना मनपसंद वीडियो देखा, वैसे ही पूरे भारत में लोग आवाज से बैंकिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं है, ये भाषा की बारीकियों को समझना है, लहजे में बदलाव को पहचानना है, और उस माहौल को समझना है, जिसमें बात हो रही है।

वित्तीय जानकारी, जो सबको ताकत देती है, अब उनकी अपनी भाषा में मिल रही है, जिससे हर कोई, चाहे वो कहीं का भी हो, अपने पैसों को संभाल सके। गुपशुप, हैप्टिक और येलो.एआई जैसी कंपनियां ये बदलाव ला रही हैं, वो एआई वाले टूल्स बना रही हैं जो भारत की अलग-अलग भाषाओं में काम करते हैं। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) हिंदी में बात करने वाले चैटबॉट बना रहा है, और पेटीएम तथा फोनपे जैसी बड़ी कंपनियां अपनी ग्राहक सेवा कई भाषाओं में दे रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देश भर के लोगों से जुड़ना ज़रूरी है।

क्या आपको पता है कि भारत में अपनी भाषा में आवाज से सर्च करने वाले लोग बढ़ रहे हैं? लोगों को अपने फोन से बात करना आसान लग रहा है, और बैंक भी ये देख रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि एआई से अपनी भाषा में मदद मिलने से ग्राहक बहुत खुश हैं।

आगे और भी मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। एआई अब स्लैंग, मज़ाक और भावनाओं को भी समझेगा। जल्द ही, आवाज पहचानने वाला सिस्टम इतना बढ़िया हो जाएगा कि भीड़ में भी धीरे से बैंकिंग के लिए बोल सकेंगे, और एआई वाले वित्तीय सलाहकार अपनी भाषा में सलाह देंगे।

सिर्फ बैंकों में ही नहीं, बल्कि अन्य सरकारी विभाग भी अपनी एआई आधारित सेवाएं स्थानीय भाषाओं और राजभाषा में उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी विभागों में भी एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 'डिजिटल इंडिया' मिशन के तहत, सरकार नागरिकों तक सेवाओं को उनकी अपनी भाषा में पहुंचाने के लिए एआई-संचालित अनुवाद, वॉयस असिस्टेंट और जानकारी देने वाले चैटबॉट का उपयोग कर रही है। 'भाषिणी' जैसी पहल क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी योजनाओं और सूचनाओं को उपलब्ध कराने में मदद कर रही हैं। कृषि विभाग किसानों को उनकी स्थानीय भाषाओं और हिंदी में मौसम की सटीक जानकारी, फसल प्रबंधन, और मंडी के भाव के लिए एआई-आधारित सलाह दे रहा है, जिससे किसानों को अपनी पैदावार बढ़ाने और जोखिम कम करने में मदद मिल रही है। इसी तरह, स्वास्थ्य मंत्रालय दूर-दराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं को उनकी भाषा में बेहतर बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रहा है।

एआई-संचालित निदान उपकरण डॉक्टरों को उनकी भाषा में तेजी से और सटीक निर्णय लेने में मदद कर रहे हैं। 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के तहत, एआई का उपयोग मरीजों के रिकॉर्ड को सुरक्षित और आसानी से उनकी भाषा में एक्सेस करने के लिए किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और दक्षता बढ़ रही है। सरकारी वेबसाइटों और आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि, सरकार एआई की मदद से आम नागरिकों के जीवन को उनकी भाषा में सरल और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और यह सुनिश्चित कर रही है कि तकनीक का लाभ हर भारतीय तक पहुंचे। इन सेवाओं के अपनी भाषा में उपलब्ध होने से, लोगों को जानकारी बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं और वे सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ उठा पा रहे हैं।

ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम बनाने की बात है, जो सच में सबका हो, सबको मिले, और सबको ताकत दे। ये पक्का करने की बात है कि हर भारतीय, चाहे वो शहर में हो या गाँव में, जुड़ा हुआ और समझा हुआ महसूस करे। एआई की क्रांति बैंकिंग को एक बातचीत के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है — एक ऐसी बातचीत जो लोगों की भाषा में की जा रही है ।

अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में हिन्दी भाषा की भूमिका

डेजी भारती, ग्राहक सेवा सहयोगी, दिल्ली क्षेत्र

किसी राष्ट्र की भाषा जिसे "राष्ट्रभाषा" कहते हैं; वहाँ की विकास, संस्कृति एवं परंपरा की आधारशीला होती है। जिस प्रकार अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमें किसी भाषा विशेष की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र को अपना सरकारी काम-काज सम्पन्न करने के लिए एक राजभाषा की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में मुगलों के शासन काल में जहाँ यह सम्मान फारसी भाषा को मिला, वहीं ब्रिटिश काल में इस पद पर अंग्रेजी भाषा सुशोभित रही । स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात देश के संविधान-निर्माताओं का ध्यान अन्य मामलों के साथ-साथ भाषा संबंधी मुद्दे की ओर भी गया था। इस संबंध में एक उप समिति का गठन किया गया। जिसमें विभिन्न भाषा-भाषियों को शामिल किया गया । इस उप समिति के सुझावों तथा जनता की आकांक्षाओं के अनुरुप हिन्दी को राजभाषा के रुप में स्वीकार करते हुए संविधान के अंतर्गत तदनुरुप व्यवस्था की गई। इस संवैधानिक व्यवस्था तथा उसके उपरांत संसद एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं निर्देशों के रुप में एक सुविचारित एवं सुनिश्चित राजभाषा नीति आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत है, जिसका अनुपालन करते हुए सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों द्वारा अपने काम-काज में हिन्दी का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

पी.वी. नरसिंहराव ने कहा था- "हिन्दी के विकास के लिए उसकी शुद्धता पर अधिक ध्यान न देकर उसे निर्बाध गति से बहने दिया जाए। जो कुछ हिन्दीत्तर क्षेत्र के लोग लिखना चाहते हैं, वे लोग बेझिझक लिखते रहें, इसके लिए उन्हें हिन्दी प्रदेशों की ओर देखने की जरुरत नहीं है। अपने-अपने प्रांतों की संस्कृति की समस्या और भाषा को जब हिन्दी में लाया जाएगा तब हिन्दी का अखिल भारतीय स्वरुप निखरेगा"।

परिभाषा:- विषयवस्तु पर प्रकाश डालने से पहले आवश्यकता है विषय को समझने एवं विषय की परिभाषा का अर्थ समझने की।

(1) अर्थव्यवस्था :- उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है या इसकी परिभाषा हम संधि विच्छेद कर भी बता सकते हैं। 'अर्थ' का तात्पर्य है 'मुद्रा' अर्थात धन और व्यवस्था का मतलब है एक स्थापित कार्यप्रणाली।

भाषा किसी भी राष्ट्र के व्यापार के बाज़ार को निर्धारित करती है। भारत में हिन्दी का विस्तार अधिक है। अर्थव्यवस्था पर भाषा के माध्यम से ग्राहक व बाजार का सीधा असर होता है। अर्थव्यवस्था के आवश्यक स्तंभ का काम भाषा ही करती है।

(2) बैंक : बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता की धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग (ग्राहक) अपनी-अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के लिए इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय-समय पर निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। वर्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है।

(3) हिन्दी भाषा : हिन्दी की उत्पत्ति 'अपभ्रंश' भाषाओं से है और अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति 'प्राकृत' से है। प्राकृत अपने पहले की पुरानी बोल-चाल की संस्कृति से निकली है, जिसकी लिपि 'देवनागरी' है। हमारे देश, भारत की राजभाषा हिन्दी है। भाषा राष्ट्र की पहचान होती है। भाषा किसी व्यक्ति के भावनाओं को व्यक्त करने का एक मात्र साधन या कहें सशक्त माध्यम होती है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश की पहचान, ज्ञान व अभिमान भाषा से जुड़ी होती है। हमारी राजभाषा हिन्दी समुद्र की भांति विशाल एवं गहरी है एवं उदार हृदय भी। जिसमें अन्य भाषाओं का समावेश नदी, सरिताओं की भांति आसानी से हो जाता है।

"हिन्दी सिर्फ देश के आम जन की भाषा ही नहीं है, यह उनके विचारों को व्यक्त करने का जरिया भी है"।

बैंकिंग क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव एवं इतिहास (हिन्दी की भूमिका) :

26 जनवरी 1950 से संविधान के लागू होने के बाद भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राष्ट्रपति के विभिन्न आदेशों के अधीन कुछ काम अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी होने शुरु हो गए थे। वर्ष 1955 में 'खेर आयोग' की नियुक्ति तथा 1956 में तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविन्दवल्लभ की अध्यक्षता में नियुक्त संसदीय समिति द्वारा आयोग की रिपोर्ट पर की गई सिफारिशों के परिणामस्वरुप, अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया। इसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राजभाषा में किए जाने वाले कार्य तथा उनके कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। वर्ष 1969 में जब देश के चौदह बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब जहाँ सरकार की राजभाषा नीति उन पर लागू कर दी गई, वही उनके पास न तो यह काम करने के लिए कोई आधारभूत ढांचा था और न ही उनके काम स्वरुप कोई स्पष्ट दिशानिर्देश। वित्त मंत्रालय में 1954 में उस समय हिन्दी अनुभाग की स्थापना हो गई थी। परंतु उस समय सरकार की कोई स्पष्ट राजभाषा नीति नहीं थी। वर्ष 1955-1956 से सरकार का बजट अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रस्तुत किया जाने लगा था।

बैंकों के पास हिन्दी में काम करने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जन आकांक्षाओं और सरकार के उपेक्षाओं को समझने में बैंकों को देर नहीं लगी। वित्त मंत्रालय में गठित बैंकिंग विभाग तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के दिशा-निर्देशन में बैंकों में सरकार की राजभाषा नीति से काम आरंभ हुआ। शुरुआत की गयी ग्राहक तथा जनसंपर्क स्थलों से

जनता के साथ व्यवहार में आनेवाले फार्म अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी तैयार किए गए, बैंकों की रिपोर्ट भी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होने लगी।

बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था में हिन्दी का महत्व :

आज देश में 12 बिलियन (यानि 120 करोड़) से अधिक मोबाइल बाजार है। भारतीय मोबाइल बाजार देश का इतना बड़ा बाजार बिना हिन्दी और स्थानीय भाषाओं के सहायता के संभव नही है। ग्राहक सेवा केन्द्र की सुविधा हिन्दी भाषा के साथ-साथ सभी प्रमुख भाषाओं में उल्लेखनीय रुप से उपलब्ध है। अत: कह सकते हैं कि हिन्दी का प्रभुत्व एवं उपयोग बढ़ा है। अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा सकारात्मक असर भी देखा जा रहा है। दो पंक्ति जो सार्थक है। "पूरब पश्चिम का भेद दूर करो, हिन्दी को अपनाकर सब एक बनो"।

बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में :

बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में भी हिन्दी के प्रयोग में क्रांतिकारी रुप से बदलाव आ रहे हैं। हिन्दी भाषा को प्रयोग में लाने की कोशिश सहजता से प्रयुक्त हो रही है। सरकारी क्षेत्रों में अपने ग्राहकों तक पहुँचने के लिए उनकी भाषा का रास्ता अपनाया है। सभी बैंकों में पत्रिका अब प्रकाशित होती है। जैसे इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में 'वाणी', जो पूरी तरह से हिन्दी के प्रचार-प्रसार में योगदान देती है। यह पत्रिका स्टाफ सदस्यों से कविताएँ, लेख, संस्मरण इत्यादि के अलावा बैंकिंग विषयों पर प्रविष्टियाँ संग्रह कर प्रकाशित करती है। रिज़र्व बैंक एवं गृह मंत्रालय द्वारा जाँच की जाती है कि बैंकिंग में हिन्दी का विस्तार हो रहा है या नही। बैंकों ने अपनी पंच लाइन भी अब हिन्दी रखनी शुरु कर दी हैं, जिससे हृदय से ग्राहक उनसे जुड़ सकें। जैसे एलआइसी का पंच लाइन है 'जिन्दगी के साथ भी, जिन्दगी के बाद भी'। इससे ग्राहक ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कंपनी को पूरी तरह समर्पित कर पाएंगे। भावनाएं मूल भाषा में ही तो व्यक्त अच्छे से होती हैं। उपरोक्त स्थिति पर दो पंक्ति है:-"हिन्दी सबको साथ लाएगी, हमारी मातृभाषा ही देश को तरक्की की राह पर ले जाएगी"

बैंकिंग या अन्य सरकारी कार्यालयों में हिन्दी से जुड़ी समस्याएं :

1. प्रशिक्षण :

बैंकों में अभी तक जो स्टाफ सदस्य भर्ती किए जाते हैं उनके लिए हिन्दी जानना आवश्यक नहीं है, जिससे बैंक में चयन होने के बाद कार्यग्रहण करने के उपरान्त उन्हें जब राजभाषा हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ऐसा लगता है मानो उनसे कोई नया काम करने के लिए कहा जा रहा है और वे हिन्दी जानने के बावजूद हिन्दी में बिना किसी प्रोत्साहन राशि के काम नहीं करना चाहते। दूसरा बैंकों की वर्तमान स्थिति में, जबकि सभी बैंक स्टाफ कमी के दौर से गुजर रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए स्टाफ सदस्य को कार्यमुक्त करना, शाखाओं/कार्यालयों के लिए मुश्किल होता है। हिन्दी में काम करने की कोई अनिवार्यता न होने के कारण अधिकतर स्टाफ सदस्य हिन्दी सीखने में कोई रुचि नहीं रखते और जो प्रशिक्षण प्राप्त कर भी लेते हैं, वे हिन्दी में काम करने के इच्छुक नहीं होते। परिणामत: प्रशिक्षण का कोई तत्काल प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलने के कारण हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं।

2. शब्दावली:

कार्यालयों की कामकाज की एक बंधी-बंधायी भाषा होती है। परन्तु हिन्दी में कार्य अभी कुछ वर्षों से ही बैंकों में प्रारंभ हुआ है। उपयुक्त पर्यायवाची शब्द हिन्दी में प्राप्त न होने पाने के कारण भी स्टाफ सदस्य हिन्दी में काम करने से कतराते हैं क्योंकि अंग्रेजी में काम का एक रुटीन बन गया है। अत: पुराने पत्र, ड्राफ्ट, नोट इत्यादि देखकर कर्मचारी अपना काम करते रहते हैं। चूकि हिन्दी में अभी भी मौलिक कार्य नहीं हो रहा है। कई बार शाखाओं में हिन्दी शब्दावली, शब्दकोश भी उपलब्ध नहीं होते जिससे वे दूसरों से पूछकर लिखने को प्राथमिकता देते हैं, जिससे हिन्दी के कार्यान्वयन में कठिनाई होती है।

3. समान प्रशासनिक नीति का अभाव :

समान प्रशासनिक नीति न होने के कारण भी राजभाषा प्रयोग में कठिनाई आती है। राजभाषा कार्यान्वयन के लक्ष्य 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग है, जिससे राजभाषा कार्यान्वयन की गति प्रभावित होती है। अंग्रेजी पत्रों पर हिन्दी में हस्ताक्षर कराकर लक्ष्य प्राप्ति की खानापूर्ति की जाती है। फलत: राजभाषा कार्यान्वयन का सही विकास नहीं हो पा रहा है।

4. मानसिक अवरोध :

मानसिक अवरोध के कारण भी राजभाषा के प्रयोग में कठिनाई होती है। यद्यपि हमें स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो गए हैं। परंतु हमारी मानसिकता में परिवर्तन नहीं हो पाया है। आज भी अंग्रेजी में ही काम करने को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ मौलिक कार्य हो रहे हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जो भी कार्य हो रहे हैं वह अनुवाद के जरिए हीं हो पा रहा है। यही कारण है कि राजभाषा को उसका उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है।

(5) अधिकारियों से प्रेरणा न मिलना :

बैंकों में अभी भी दो वर्ग हैं एक वह जो हिन्दी जानते हैं और दूसरे वह जो हिन्दी नहीं जानते। एक अधिकारी जो हिन्दी नहीं जानता तो स्वाभाविक है, उसके अधीन काम करने वाले स्टाफ सदस्य चाहकर भी हिन्दी में काम नहीं कर सकते।

(6) भर्ती के समय राजभाषा जानना आवश्यक नहीं :

राजभाषा कार्यान्वयन की यह भी एक समस्या है कि भर्ती के समय न तो राजभाषा संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और न ही राजभाषा जानना आवश्यक होता है। दूसरे यदि साक्षात्कार के समय परीक्षार्थी हिन्दी में उत्तर देता है, तो यह समझा जाता है कि उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, अत: वह बैंक के अन्य पदों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा भर्ती या पदोन्नति के बाद भी जब बैंक या कार्यालय अपने कर्मचारियों को कोई कार्यगत प्रशिक्षण देता है तो प्रशिक्षण के बाद उसके काम के परिणाम भी देखता है परंतु हिन्दी के मामले में ऐसा नहीं है। जब हिन्दी में मौलिक लेखन कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा तो अवश्य ही हिन्दी भाषा में भी निखार आएगा।

(7) द्विभाषीकरण के कारण विलम्ब :

द्विभाषी रुप में जारी करने एवं हिन्दी का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बैंक विशेषकर दक्षिण भारत स्थित जहाँ ग्राहक एवं स्टाफ अभी भी हिन्दी में निपुण नहीं है वहाँ सरकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए द्विभाषी पत्रों का सहारा लिया जाता है, जिससे अनावश्यक विलंब होता है। कारणवश लोग अंग्रेजी में ही कार्य को प्रधानता देते हैं।

(8) प्रत्यक्ष दंड का विधान नहीं :

राजभाषा नियम, अधिनियम का पालन न करने पर प्रत्यक्ष दंड का विधान नहीं है, जिसके कारण भी बैंक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी प्रयोग में रुचि नहीं रखते। यदि कर्मचारियों / अधिकारियों को पदोन्नति के समय या उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में हिन्दी कार्यों का भी मूल्यांकन किया जाए तो स्टाफ प्रत्यक्ष दंड के बिना ही हिन्दी में कार्य करने को स्वत: ही प्रेरित होंगे।

बैंकिंग में राजभाषा का प्रयोग (समस्या समाधान हेतु प्रयास) :

(I) सरकारी प्रयास :

आजादी के बाद संविधान के अनुसार राजभाषा के प्रयोग में एवं प्रसार के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित है:

(1) वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना :

सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 351 और राष्ट्रपति के 2 अप्रैल 1960 के आदेश के अनुसार अक्टूबर 1961 में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। अब तक आयोग द्वारा लगभग साढ़े चार लाख पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया गया है।

(2) प्रशिक्षण की व्यवस्था :

राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के आदेश के अनुसार कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना चलाई जा रही है।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कार्यपालकों पर :

राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का समुचित रुप से पालन किया जाता है।

(4) प्रोत्साहन योजनाएं :

सरकार की नीति है कि राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति प्रोत्साहन एवं सद्भावना द्वारा की जाए। इसके अनुरुप राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार के अन्य उपायों के साथ कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरु की गई हैं।

(II) व्यक्तिगत प्रयास :

सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों ने भी राजभाषा के प्रचार-प्रसार में भरपूर सहयोग दिया है, जैसे-दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, केन्द्रीय हिन्दी परिषद इत्यादि।

(1) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा:-

इसकी शाखाएं भारत के प्रत्येक राज्य में स्थापित है, साथ ही विदेशों में इसकी अनेक शाखाएं हैं जो समिति द्वारा आयोजित परीक्षाओं की व्यवस्था तथा हिन्दी प्रचार कार्य करती हैं।

(2) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग :

इसकी "साहित्यरत्न" विशारद आदि उपाधियों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस संस्था ने देश-विदेश में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में ऐतिहासिक महत्व की भूमिका अदा की है। अन्य कई ऐसी संस्थाएं है जो हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में दिन-रात जुटी हुई हैं। दो पंक्ति जो सही है उपरोक्त वृतांत पर :

"भारतेन्दु और दिनकर के कलम से निकले हिन्दी के साहित्य, भारतवासियों के जीवन में उमंग भरते हैं नित्य"।

हिन्दी स्वप्निल संसार की वह भाषा देवी है, जो नि:संदेह हमारे भाल की बिन्दी एवं भाषा साहित्य का मयूर पंख बनकर सत चित्र आनंद के साथ नैसर्गिक सौन्दर्य को आच्छादित कर रही है, जिसको वर्तमान में बेजोड़ व अनूठा बनाने में अपरिमित त्याग व साधना की आवश्यकता है।

भाषा भावों और विचारों की संवाहक होती है। भाषा का स्वरुप निरंतर बदलता रहता है। हिन्दी हमारी आत्मा का प्रबोधन है, मन का रंजन है और चित्त वृत्ति प्रवृत्ति का मंजन है। मैं भी भारतीय हूँ, भारत माता के चरणों में नमन कर यही शपथ लेती हूँ कि मैं जितना हो हिन्दी प्रचार-प्रसार में योगदान दूँगी। बैंक में कार्यरत होने पर भी मैंने हिन्दी प्रतियोगिताओं में सक्रिय भूमिका दर्ज़ करायी है। हिन्दी भाषा में स्वयं तो काम-काज करती हूँ साथ ही दूसरे कर्मचारियों एवं ग्राहकों को हिन्दी बात करने से लेकर लिखने तक पर जोर देती हूँ। हिन्दी के अथाह सागर को जन-जन तक पहुँचाने में हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में कहा गया है कि-

'मातृभाषा परित्यज्य यों अन्य भाषामुपासते
तत्र यांति हि ते देश: यत्र सूर्यो न भास्ते'।

अर्थात जो अपनी मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषा की उपासना करता है, वह देश अंधकारमय हो जाता है।

आइए इस निबंध लेख द्वारा प्रण लें कि अर्थव्यवस्था को ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र को हिन्दी की गरिमा का बोध करायें। देश में ही नहीं विदेश में भी हिन्दी का प्रकाश पहुँचायेंगे।

अंत में दो पंक्ति से लेखन को विराम दूंगी-"हिन्दी मेरे देश बिन्दी है, गौरव है, अभिमान है।यह भाषा भारतवासियों का स्वाभिमान है, सम्मान है"॥

ब्लॉकचेन तकनीक - वित्तीय लेन-देन में सुरक्षा बढ़ाना

मुनमुन दत्ता, मुख्य प्रबन्धक, ऋण समर्थन सेवाएँ विभाग, केन्द्रीय कार्यालय

प्रस्तावना

बैंकिंग उद्योग हमेशा तकनीकी नवाचारों में सबसे आगे रहा है, जो सुरक्षित और कुशल वित्तीय लेन-देन प्रदान करने का प्रयास करता है। डिजिटल बैंकिंग के आगमन के साथ, धोखाधड़ी, हैकिंग और डेटा उल्लंघन जैसे साइबर सुरक्षा खतरे प्रमुख चिंता का विषय बन गए हैं। ब्लॉकचेन तकनीक, जो अपने विकेंद्रीकृत और अपरिवर्तनीय स्वभाव के लिए जानी जाती है, बैंकिंग लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाकर इन चुनौतियों का एक क्रांतिकारी समाधान प्रस्तुत करती है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त विवरण

ब्लॉकचेन एक वितरित खाता बही तकनीक है जो सुरक्षित और छेड़छाड़-रहित तरीके से कई नोड्स में लेन-देन रिकॉर्ड करती है। प्रत्येक लेन-देन को क्रिप्टोग्राफ़िक एल्गोरिदम के माध्यम से सत्यापित किया जाता है और फिर एक ब्लॉक में जोड़ा जाता है, जो पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिससे एक श्रृंखला बनती है। ब्लॉकचेन की विकेंद्रीकृत प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी एकल इकाई डेटा को नियंत्रित नहीं करती है, जिससे केंद्रीकृत विफलताओं और साइबर हमलों के जोखिम कम हो जाते हैं।

बैंकिंग लेन-देन में सुरक्षा बढ़ाने में भूमिका

1. अपरिवर्तनीय खाता प्रणाली

ब्लॉकचेन की एक प्रमुख विशेषता इसकी अपरिवर्तनीयता है। एक बार जब कोई लेन-देन ब्लॉकचेन पर दर्ज हो जाता है, तो उसे बदला या हटाया नहीं जा सकता। इससे धोखाधड़ी या वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर का जोखिम समाप्त हो जाता है, जिससे बैंकों और ग्राहकों के लिए एक पारदर्शी और भरोसेमंद प्रणाली उपलब्ध होती है।

2. विकेंद्रीकरण और विफलता के एकल बिंदु में कमी

पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम केंद्रीकृत डेटाबेस पर निर्भर करते हैं, जिससे वे हैकिंग के प्रयासों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरी ओर, ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करता है, जहाँ प्रत्येक नोड पूरे बहीखाते की एक प्रति रखता है। यह साइबर अपराधियों को एक बिंदु के सफलता मिलने पर भी पूरे सिस्टम को क्षति पहुँचने से रोकता है।

3. उन्नत पहचान सत्यापन और धोखाधड़ी रोकथाम

ब्लॉकचेन तकनीक डिजिटल पहचान समाधानों के माध्यम से पहचान सत्यापन को बढ़ा सकती है। ब्लॉकचेन-आधारित नो योर कस्टमर (केवाइसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रक्रियाओं का उपयोग करके, बैंक ग्राहक क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर सकते हैं, जिससे पहचान की चोरी और अनधिकृत पहुँच को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट अनुबंध सत्यापन प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकते हैं, जिससे मानवीय त्रुटियों और धोखाधड़ी गतिविधियों में कमी आ सकती है।

4. सुरक्षित और पारदर्शी लेन-देन

ब्लॉकचेन पर दर्ज हर लेन-देन एन्क्रिप्टेड और टाइम-स्टैम्प्ड होता है, जिससे उसे ट्रेस किया जा सकता है और ऑडिट किया जा सकता है। इससे बैंकिंग लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, जिससे विनियामक प्राधिकरण वित्तीय गतिविधियों की प्रभावी रूप से निगरानी कर सकते हैं और वास्तविक समय में संदिग्ध लेन-देन का पता लगा सकते हैं।

5. क्रिप्टोग्राफ़िक सुरक्षा उपाय

ब्लॉकचेन लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक और निजी कुंजी एन्क्रिप्शन जैसी उन्नत क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीकों का उपयोग करता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास एक अद्वितीय क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजी होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि केवल अधिकृत पक्ष ही लेन-देन तक पहुँच और सत्यापन कर सकते हैं। इससे हैकिंग, फ़िशिंग और अनधिकृत निधि लेन-देन का जोखिम काफी कम हो जाता है।

6. बिचौलियों और लेन-देन की लागत में कमी

पारंपरिक बैंकिंग लेन-देन में कई मध्यस्थ शामिल होते हैं, जिससे डेटा उल्लंघन और साइबर खतरों का जोखिम बढ़ जाता है। ब्लॉकचेन पीयर-टू-पीयर लेन-देन को सक्षम बनाता है, तीसरे पक्ष की आवश्यकता को समाप्त करता है और मध्यस्थ की भागीदारी से जुड़ी सुरक्षा भेद्यताओं को कम करता है। इसके अतिरिक्त, ब्लॉकचेन-आधारित लेन-देन तेज़ और लागत प्रभावी होते हैं, जिससे समग्र बैंकिंग दक्षता में सुधार होता है।

7. स्वचालित लेन-देन के लिए स्मार्ट अनुबंध

स्मार्ट अनुबंध स्व-निष्पादित अनुबंध हैं, जिनमें ब्लॉकचेन पर संग्रहित पूर्वनिर्धारित नियम और शर्तें होती हैं। ये अनुबंध शर्तों के पूरा होने पर स्वचालित रूप से कार्रवाई शुरू कर देते हैं, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है और यह सुनिश्चित होता है कि बिचौलियों की आवश्यकता के बिना लेन-देन सुरक्षित रूप से निष्पादित हो।

बैंकिंग में अनुप्रयोग

कई वित्तीय संस्थानों ने सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए पहले ही ब्लॉकचेन तकनीक को अपना लिया है :

- जेपी मॉर्गन चेस ने सुरक्षित सीमा पार लेन-देन के लिए अपना स्वयं का ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल सिक्का, जेपीएम कॉइन विकसित किया है ।
- रिपल बढ़ी हुई सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ वास्तविक समय सीमा पार भुगतान के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
- एचएसबीसी ने व्यापार वित्त के लिए ब्लॉकचेन को लागू किया है, जिससे धोखाधड़ी के जोखिम कम हुए हैं और दक्षता बढ़ी है
- वीज़ा और मास्टरकार्ड डिजिटल भुगतान को सुरक्षित करने और धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने के लिए ब्लॉकचेन समाधान तलाश रहे हैं

वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का महत्व

आज के डिजिटल युग में, बैंकिंग लेन-देन साइबर खतरों, धोखाधड़ी और अक्षमताओं के प्रति तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं। चूंकि वित्तीय

संस्थान भारी मात्रा में संवेदनशील डेटा संभालते हैं, इसलिए लेन-देन की सुरक्षा और प्रमाणिकता सुनिश्चित करना प्राथमिकता बन गई है। ब्लॉकचेन तकनीक, अपने विकेंद्रीकृत और अपरिवर्तनीय स्वभाव के साथ, वैश्विक स्तर पर लेन-देन करने के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल तरीका प्रदान करके बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला रही है।

विकेंद्रीकरण के माध्यम से बढ़ी हुई सुरक्षा

बैंकिंग में ब्लॉकचेन तकनीक का एक मुख्य लाभ इसकी विकेंद्रीकृत प्रकृति है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम केंद्रीकृत डेटाबेस पर निर्भर करते हैं, जिससे उन्हें हैकिंग और विफलता के एकल बिंदुओं का खतरा होता है। हालाँकि, ब्लॉकचेन एक वितरित खाता प्रणाली पर काम करता है जहाँ लेन-देन के रिकॉर्ड कई नोड्स में संग्रहित होते हैं। यह विकेंद्रीकरण साइबर अपराधियों के लिए डेटा को बदलना या उसमें हेरफेर करना बेहद मुश्किल बना देता है, जिससे बैंकिंग लेन-देन की सुरक्षा बढ़ जाती है।

अपरिवर्तनीय और पारदर्शी लेन-देन

ब्लॉकचेन लेन-देन का अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड बनाए रखकर डेटा प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है। एक बार जब कोई लेन-देन ब्लॉकचेन पर दर्ज हो जाता है, तो उसे संशोधित या हटाया नहीं जा सकता। यह सुविधा वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी और अनधिकृत परिवर्तनों के जोखिम को समाप्त करती है। इसके अलावा, ब्लॉकचेन की पारदर्शिता नेटवर्क में सभी प्रतिभागियों को वास्तविक समय में लेन-देन को सत्यापित करने की अनुमति देती है, जिससे वित्तीय विसंगतियों की संभावना कम हो जाती है और वैश्विक बैंकिंग संस्थानों के बीच विश्वास बढ़ता है।

धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान सुरक्षा

पहचान की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अनधिकृत लेन-देन जैसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख चिंताएँ हैं। ब्लॉकचेन लेन-देन और ग्राहक पहचान को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफ़िक एन्क्रिप्शन का उपयोग करके एक मज़बूत समाधान प्रदान करता है। उन्नत क्रिप्टोग्राफ़िक तकनीकें, जैसे कि सार्वजनिक और निजी कुंजी प्रमाणीकरण, यह सुनिश्चित करती हैं कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही वित्तीय लेन-देन तक पहुँच और प्रसंस्करण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ब्लॉकचेन-आधारित अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) प्रक्रियाएँ पहचान सत्यापन को सुव्यवस्थित करती हैं, जिससे पहचान धोखाधड़ी का भेद्यताएँ जोखिम कम होते हैं।

तेज़ और लागत प्रभावी सीमा-पार लेन-देन

पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में सीमा पार लेन-देन में कई मध्यस्थ शामिल होते हैं, जिससे देरी, उच्च लागत और सुरक्षा भेद्यताएँ होती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक सीधे पीयर-टू-पीयर लेन-देन को सक्षम बनाती है, जिससे तीसरे पक्ष के मध्यस्थों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह न केवल लेन-देन प्रक्रिया को गति देता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग से जुड़ी लागतों को भी कम करता है। इसके अलावा, स्मार्ट अनुबंध - पूर्वनिर्धारित शर्तों के साथ स्व-निष्पादित समझौते - वित्तीय प्रक्रियाओं को स्वचालित करते हैं, जिससे वैश्विक लेन-देन में दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

विनियामक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन

वैश्विक स्तर पर परिचालन करने वाले बैंकों के लिए विनियामक अनुपालन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ब्लॉकचेन लेन-देन का एक पारदर्शी और ऑडिट करने योग्य रिकॉर्ड प्रदान करता है, जिससे वित्तीय संस्थानों के लिए विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना आसान हो जाता है। स्मार्ट अनुबंध स्वचालित रूप से अनुपालन नियमों को लागू कर सकते हैं, जिससे मानवीय त्रुटि और कानूनी जटिलताओं की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, ब्लॉकचेन की वास्तविक समय की निगरानी क्षमताएं बैंकों को संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करती हैं।

भारतीय वित्तीय प्रणाली में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की चुनौतियां और आगे का रास्ता

ब्लॉकचेन तकनीक वित्तीय क्षेत्र में एक युगांतरकारी शक्ति के रूप में उभरी है, जो पारदर्शिता, दक्षता और सुरक्षा का वादा करती है। भारत में, जहाँ वित्तीय प्रणाली विशाल और जटिल है, ब्लॉकचेन में बैंकिंग, भुगतान और पूंजी बाजारों को बदलने की अपार संभावनाएँ हैं। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ उठाया जा सके।

कार्यान्वयन चुनौतियाँ:

1. विनियामक अनिश्चितता

भारत में ब्लॉकचेन तकनीक के लिए स्पष्ट और व्यापक विनियामक ढांचे का अभाव है। सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर सतर्क रुख बनाए रखते हुए ब्लॉकचेन में रुचि दिखाई है। विशिष्ट विनियमनों की अनुपस्थिति वित्तीय संस्थानों और व्यवसायों के लिए अस्पष्टता पैदा करती है जो ब्लॉकचेन-आधारित समाधान अपनाना चाहते हैं।

2. मापनीयता और प्रदर्शन संबंधी मुद्दे

ब्लॉकचेन नेटवर्क, खास तौर पर सार्वजनिक नेटवर्क, स्केलेबिलिटी चुनौतियों का सामना करते हैं। यूपीआई या वीज़ा जैसी पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों की तुलना में ब्लॉकचेन पर प्रति सेकंड लेन-देन (टीपीएस) काफी कम है। यह सीमा ब्लॉकचेन की वास्तविक समय प्रसंस्करण क्षमताओं में बाधा डालती है, जिससे यह उच्च मात्रा वाले वित्तीय लेन-देन के लिए कम आकर्षक हो जाता है।

3. विरासती व्यवस्था के साथ एकीकरण

भारत के वित्तीय संस्थान अच्छी तरह से स्थापित विरासती बुनियादी ढांचे पर काम करते हैं। इन मौजूदा प्रणालियों के साथ ब्लॉकचेन को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और प्रयास की आवश्यकता होती है। कई बैंक और वित्तीय फर्म संभावित डाउनटाइम, परिचालन जोखिम और संगतता मुद्दों के कारण इस नई तकनीक को अपनाने के लिए अनिच्छुक हैं।

4. उच्च प्रारंभिक लागत

ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचे, कुशल कार्यबल और साइबर सुरक्षा उपायों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। ब्लॉकचेन नेटवर्क को तैनात करने और बनाए रखने की लागत छोटे और मध्यम आकार की वित्तीय संस्थाओं के लिए एक बाधा बनी हुई है ।

5. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा चिंताएँ

ब्लॉकचेन पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, लेकिन यह डेटा गोपनीयता के बारे में चिंता भी पैदा करता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन लेन-देन के विवरण को विकेंद्रीकृत तरीके से संग्रहित करते हैं, जो भारत के कड़े डेटा सुरक्षा नियमों के साथ टकराव कर सकता है। ब्लॉकचेन के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।

6. कुशल कार्यबल का अभाव

ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी, स्मार्ट अनुबंध और वितरित लेजर तकनीक में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसी प्रतिभाओं की कमी है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में ब्लॉकचेन अपनाने की गति धीमी हो रही है।

7. अंतर-संचालन संबंधी मुद्दे

कई ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जिससे अंतर-संचालन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। निर्बाध वित्तीय लेन-देन के लिए, विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क को एक-दूसरे के साथ संवाद करने की आवश्यकता होती है, जो एक ऐसी चुनौती है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।

आगे की राह

1. स्पष्ट विनियामक ढांचा

भारत सरकार को वित्तीय क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित विनियामक ढांचा विकसित करना चाहिए। स्मार्ट अनुबंध, डिजिटल पहचान प्रबंधन और अनुपालन पर दिशानिर्देश स्पष्टता प्रदान करेंगे और व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करेंगे।

2. सार्वजनिक-निजी सहयोग

सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी फर्मों के बीच सहयोग से ब्लॉकचेन को अपनाने में तेज़ी आ सकती है। आरबीआई की ब्लॉकचेन-आधारित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) और एनपीसीआइ की परियोजनाओं जैसी पहल व्यापक कार्यान्वियन के लिए मंच तैयार कर सकती हैं।

3. स्केलेबल ब्लॉकचेन समाधान

ब्लॉकचेन की मापनीयता और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए लेयर 2 स्केलिंग समाधान, शार्डिंग और प्रूफ-ऑफ-स्टेक (पीओएस) जैसे सहमति तंत्र जैसे नवाचारों का पता लगाया जाना चाहिए।

4. अनुसंधान और विकास में निवेश

वित्तीय संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी से परे ब्लॉकचेन के उपयोग के मामलों, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यापार वित्त और स्वचालित निपटान, का पता लगाने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिए।

5. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कुशल कार्यबल बनाने के लिए ब्लॉकचेन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

6. हाइब्रिड ब्लॉकचेन मॉडल

सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन को मिलाकर पारदर्शिता और डेटा गोपनीयता के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सकता है। वित्तीय संस्थाएँ संवेदनशील लेन-देन के लिए निजी ब्लॉकचेन का उपयोग कर सकती हैं जबकि पारदर्शिता और ऑडिटेबिलिटी के लिए सार्वजनिक नेटवर्क का लाभ उठा सकती हैं।

7. क्रॉस-इंडस्ट्री अंतर-संचालन मानक

वित्तीय संस्थानों में ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के मानकीकरण से निर्बाध अंतर-संचालन और व्यापक स्वीकृति संभव होगी।

ब्लॉकचेन तकनीक में सुरक्षा, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाकर भारतीय वित्तीय क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन में विनियामक, तकनीकी और परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण बाधाएँ हैं। सरकारी निकायों, वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को शामिल करने वाला एक सहयोगी दृष्टिकोण, अनुसंधान, प्रतिभा विकास और बुनियादी ढाँचे में निवेश के साथ मिलकर, भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में ब्लॉकचेन के सफल एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

इसके लाभों के बावजूद, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

- स्केलेबिलिटी संबंधी मुद्दे: उच्च कम्प्यूटेशनल आवश्यकताओं के कारण ब्लॉकचेन नेटवर्क में लेन-देन की गति धीमी हो सकती है।
- विनियामक अनिश्चितता: बैंकिंग में ब्लॉकचेन के लिए विनियामक ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है, जिससे अनुपालन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।
- विरासत प्रणालियों के साथ एकीकरण : बैंकों को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की आवश्यकता है।

हालांकि, निरंतर प्रगति और बढ़ते उपयोग के साथ, ब्लॉकचेन तकनीक से भविष्य में बैंकिंग सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक सुरक्षित और कुशल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नियामक निकायों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ सहयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

ब्लॉकचेन तकनीक बैंकिंग उद्योग के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का एक मज़बूत समाधान प्रदान करती है। इसके विकेंद्रीकृत, अपरिवर्तनीय और क्रिप्टोग्राफ़िक गुणों का लाभ उठाकर, बैंक धोखाधड़ी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं और वित्तीय लेन-देन की दक्षता में सुधार कर सकते हैं। जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, बैंकिंग लेन-देन को सुरक्षित करने में ब्लॉकचेन की क्षमता निर्विवदित है, जो अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद वित्तीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है।

साहित्य का सफ़रनामा

काल तुझसे होड़ है मेरी

नगेन्द्र कुमार सिंह, प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय

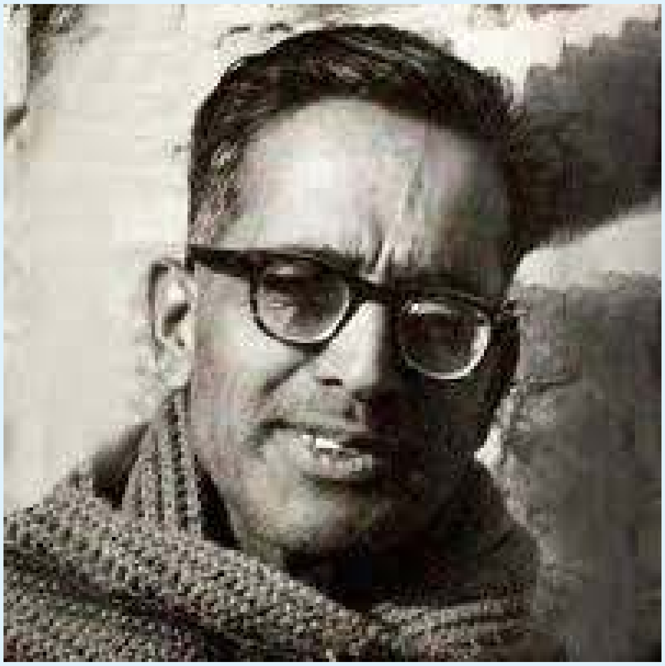

हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवादी धारा के अगले क्रम में नई कविता का जन्म होता है। प्रयोगवादी धारा से लगभग मिलते-जुलते और कुछ मामलों में इतर विचारों को समेटे नए कवि समाज के ज्वलंत मुद्दों को लिपिबद्ध करने के लिए प्रयासरत थे। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयायन 'अज्ञेय' द्वारा संपादित 'तार सप्तक' के प्रमुख कवियों ने नई कविता को तरासने में बढ़चढ़ कर योगदान दिया। नई कविता में लघुमानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, क्षणवाद को महत्व, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, जीवन संघर्ष और चेतना, सत्यानुभूति, आस्था, मानव मन में कुंठा आदि विभिन्न विषयों को प्रमुखता से जगह दी गयी। इस धारा के कवियों ने मानव जीवन को नूतन रूप देते हुए साहित्य में एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया। आज ऐसे ही एक कवि के साहित्यिक सफर को जानने का प्रयास करेंगे, वह जितना प्रयोगवादी हैं, उतने ही नए कवियों के श्रेणी में भी आते हैं। वे दूसरे 'तार सप्तक' में स्थान प्राप्त करने वाले प्रमुख कवियों में से एक हैं। इस सप्तक से जुड़ने वाली कविताएं भावना की धरातल पर ही नहीं बल्कि भाषा और शिल्प की भूमि पर भी मजबूत पायी गयी। उनकी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, अकेलेपन की भाव और प्रकृति की अनुपम छटाएं मौजूद हैं। प्राय: उन्हें दुरुह कवि कहा जाता है। चूंकि उनकी लेखनी में बिंब विधान की अधिकता और सधी हुई भाषा का प्रयोग दिखता है। जी हाँ, ये भूमिका हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त साहित्यकार शमशेर बहादुर सिंह के लिए गढ़ी गयी है। जिनके विषय में एक बात बहुत इसरार के साथ जोर देकर कही जाती है कि शमशेर बहादुर सिर्फ कवि नहीं है, बल्कि वे 'कवियों के कवि' हैं। उन्हें नागार्जुन और त्रिलोचन के साथ हिंदी कविता की 'प्रगतिशील त्रयी' में शामिल किया जाता है। आइये, इस अंक में नई कविता के प्रमुख कवि, निबंधकार, कहानीकार, समीक्षक, अनुवादक एवं चित्रकार शमशेर बहादुर सिंह के साहित्यिक सफर एवं विचारों से परिचित होते हैं।

शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून के एक जाट परिवार में श्री बाबू तारीफ सिंह और श्रीमती प्रभुदेई के घर हुआ। उनके बचपन का नाम कुलदीप सिंह था। जिसे बाद में बदलकर उनके मामा ने शमशेर बहादुर सिंह रखा। उन्हें माता से चित्रकारी करने की शौक ऊपजी और पिता से साहित्य पढ़ने और समझने की जिज्ञासा बढ़ी। उन्हें पहला अक्षर ज्ञान घर में उर्दू भाषा में मिला। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई, फिर वह उच्च शिक्षा के लिए गोंडा और इलाहबाद विश्वविद्यालय के लिए रूख किये। वे इंटर तक आते-आते टेनिसन, इकबाल, निराला और रवींद्रनाथ टैगोर के साहित्य को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिये थे। कवि के व्यक्तित्व निर्माण में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से परिवारिक संस्कार भी प्रेरणा स्त्रोत बने हैं। कवि ने स्वयं लिखा है कि "बचपन में भारतेंदु का 'दशरथ विलाप' पढ़ा था। एक ऋषि की कहानी, राजा दशरथ की जुबानी ने भी बहुत प्रभावित किया था।" उच्च शिक्षा स्वरूप उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष 1933 में स्नातक की उपधी मिली। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह धर्मवती से हुआ। छह वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद 1935 में उनकी पत्नी की यक्ष्मा रोग के कारण मृत्यु हो गई। अल्पायु में माता की मृत्यु और युवा अवस्था में पत्नी की मृत्यु से उनके जीवन में उत्पन्न यह अभाव सदैव उनके अंदर बना रहा। उन्होंने 'रुगण पत्नि के प्रति', 'एक पीली शाम' 'आओ' जैसी कविताएं अपनी पत्नी के प्रति आत्मीय लगाव को व्यक्त करने वाली इसी समय लिखी है। पत्नी के बिछोह का वियोग उन्हें ता-उम्र रहा। उनकी लेखनी में प्रेम पाने की उत्कंठा कई जगह देखने को मिलती है।

नई कविता के कवियों में शमशेर बहादुर सिंह अपनी अनुभूतिपरक अभिव्यक्ति और जटिल बिंब-विधान के लिए विशिष्ट माने जाते हैं। निराला को अपना काव्य-गुरु मानने वाले शमशेर ने प्रकृति और प्रयोग की प्रेरणा निराला से प्राप्त की। उन्होंने छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी—सभी धाराओं की कविताएँ लिखी, पर अपनी अभिव्यक्ति और शिल्प की विशिष्टता के कारण वह किसी भी वाद में फँसते नज़र नहीं आते और इसलिए समकालीन काव्य आंदोलनों से प्रभावित होकर भी विलग बने रहते हैं। हिंदी में चित्र और संगीत पर कविताओं का विधिवत आरंभ शमशेर से ही माना जाता है। मुक्तिबोध ने कहा था कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। उनकी कविताओं में रंग अपनी संपूर्ण आभा के साथ बिखरे नज़र आते हैं। उन्हें चित्रकला और काव्यकला के बीच के सेतु के रूप में देखा जाता है।

शमशेर बहादुर सिंह का रचना संसार गुणात्मक और भावात्मक दोनों ही दृष्टियों से सम्पन्न हैं। वे साहित्यिक जगत में 1932 में प्रवेश किए और एक लंबी अवधि 1993 तक बिना रुके, बिना थके निरंतर आगे बढ़ते रहें। उस समय हिन्दी कविता संक्रमण के दौर से गुजर रही थी। कविता छायावाद की काल्पनिक दुनिया को छोड़कर मानव जीवन की वास्तविकताओं से टकराटी हुई प्रगतिशील चेतना की ओर बढ़ रही थी। इसी समय कविता के क्षेत्र में शमशेर बहादुर सिंह का आगमन हुआ।

उन्होंने साहित्य लेखन का शुभारंभ अपने बचपन में ही साहित्यिक पत्रिका के लेखकीय कार्य की चुनौती को स्वीकार करके कर दिया था। वे उर्दू,

हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी और अन्य भाषाओं के अच्छे जानकार थे। उन्होंने अपना लेखकीय कार्य उर्दू भाषा में आरंभ किया। वे खुद को हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं के दोआब भी कहते थे। उन्होंने 'बाढ़' कविता में लिखा भी है कि –

मैं उर्दू और हिन्दी दोनों का दोआब हूँ।
मैं वह आईना हूँ, जिसमें आप हैं।

उनकी मूल प्रवृति एक चित्रकार की रही हैं, लेकिन साहित्य में उन्होंने कविता को मूल केंद्र बनाकर अपना कवि होने का अहसास बखूबी कराया है। हिन्दी काव्य साहित्य में उनके द्वारा लिखित कविताओं की संख्या लगभग 300 के पार हैं। जो उनके आठ कविता संग्रहों में संकलित है। उनकी दृष्टि में कविता कोई बुनावट या गढ़ने की चीज नहीं है, वह स्वतः उत्पन्न होती है। वस्तुत: कवि के भीतर अनुभूतियाँ कितनी जीवंत हैं। इस बात पर यह सब निर्भर करता है। डॉ अंजना अरगड़े से एक भेंट वार्ता में कवि ने स्वीकारा है कि 'कविता मेरे सामने एक फ़्लैश की तरह आती है। एकदम फोर्स के साथ। मेरे सामने कोई फ़्लैश आता है ... उस समय अगर अपने आपको उठाकर लिखने के लिए तैयार किया, तब तो कविता बन गई समझो, वरना वह गई और कभी नहीं आई और यह सारी बातें कुछ मिनटों की होती हैं।'

वे कभी किसी विषय के बंधन को नहीं स्वीकारे हैं, बस उनके मन में जो भी कोई बात कौंधी उस पर अपनी लेखनी चला दी। प्रकृति के विविध रूप, कवियों के प्रति उनकी आस्था, जीवनानुभव, प्रणय वेदना और आदि के ऊपर लिखी गई कविता इसी तरह की हैं। वे लिखते हैं कि 'मेरी कविता के निर्माण के आस-पास की साधारण सी वस्तु भी या कोई ऐसा व्यक्ति जो एकाएक मेरी कविता के पथ पर खड़ा हो जाता है, मैं उसको भी अपने रंगों में लपेटकर अपनी कविता में शामिल कर लेता हूँ।' कवि ने कविता के लिए सच्ची भावनाओं का होना भी अनिवार्य माना है। उनके दृष्टि में 'कवि का कर्म अपनी भावनाओं में, अपनी प्रेरणाओं में, अपने आंतरिक संसारों में समाज-सत्य के मर्म को अपनी पूरी कलात्मक क्षमता से पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त करना है, जहां तक वह कर सकता है।'

वस्तुत: शमशेर बहादुर सिंह एक समर्पित काव्य-साधक थे। उन्होंने अपना मुकाम खुद हासिल किया था। प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने लिखा है कि ' शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का जो प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है, उसमें जाने से मुक्तिबोध को भी डर लगता था।' आईये शमशेर जी की महत्वपूर्ण काव्य-संग्रहों में छिपी मूलभूत गहराईयों को समझने एवं जानने का प्रयास करते हैं -

तार सप्तक (वर्ष 1951) में शमशेर बहादुर सिंह हिन्दी साहित्य जगत में सबसे पहले एक कवि के रूप में आए। उनकी कविताओं को विधिवत प्रकाशन अज्ञेय द्वारा संपादित 'दूसरा सप्तक' में मिला। इसमें उनकी कुल 21 कविताओं को शामिल किया गया। तार सप्तक की भूमिका में शमशेर जी का वक्तव्य आगे चलकर नई कविता के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बना।

वर्ष 1959 में उनकी पहली काव्य संग्रह 'कुछ कविताएं' नाम से प्रकाशित हुई। इसमें उनकी कुल 36 कविताएं शामिल हैं, जो कि वर्ष 1941 से लेकर 1958 तक लिखी गई थी। इन कविताओं में उनके उनपर छायावादी प्रभाव स्पष्ट दिखायी पड़ता है। ये कविताएं प्रकृति और प्रेम जैसे विषयों को लेकर प्रगतिशील चेतना की ओर बढ़ने वाली है। इसमें उनकी प्रगतिशील चेतना का जन्म काल दिखायी देता है।

उनकी दूसरी कविता संग्रह 'कुछ और कविताएं' वैविध्यपूर्ण विषय और शिल्पगत नवीनता को समेटे वर्ष 1961 में प्रकाशित हुई। इस संग्रह में कुल 49 कविताएं हैं, जिसे स्वयं शमशेर जी ने चयन किया। इसमें उनकी प्रसिद्ध कविताएं 'वाम वाम दिशा' उनके मार्क्सवादी विचारों को दर्शाने वाली, 'टूटी हुई बिखरी हुई' कविता खंडित व्यक्तित्व को चित्रण देने वाली, 'सावन' कविता प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली आदि महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं।

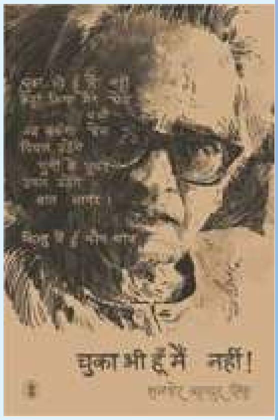

इसी क्रम में, वर्ष 1975 में कवि का तीसरा एवं बहुचर्चित काव्य संग्रह 'चुका भी हूँ मैं नहीं' प्रकाशित होता है। इसमें चयनित कुल 50 कविताएं शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ हैं। किन्तु इसमें शामिल उनकी 'दो मोती की दो चंद्रमा होते' रचना शिल्प की दृष्टि से अतिबेजोड़ है। इस काव्य की कविताओं में उनकी प्रयोगशीलता अपने चरमोत्कर्ष पर दिखायी देती है। अन्य संग्रहों की तुलना में उनकी सामाजिक अभिमुखता इस संग्रह की कविताओं में अधिक गहराई में मिलती है। कवि के प्रेम, सौन्दर्य और अकेलेपन की जटिल भावनाओं को निम्नलिखित कविता 'चुका भी हूँ मैं नहीं' व्यक्त करती है-

चुका भी हूँ मैं नहीं
कहाँ किया मैंने प्रेम
अभी
जब करूंगा प्रेम, पिघल उठेंगे
युगों के भूधर
उफन उठेंगे, सात सागर।

कवि का चौथा काव्य संग्रह 'इतने पास अपने' वर्ष 1980 में छापकर आया। इसमें शामिल उनकी कुल 33 कविताएं उनकी प्रयोगधर्मिता को कतई स्पष्ट कर देती है। इन कविताओं में कवि के चेतना के विकास को देखा जा सकता है। कवि के प्रिय विषय प्रकृति सौन्दर्य, मनुष्य सौन्दर्य के साथ में उनके कला, साहित्य संबंधी विचार एवं साथी कलाकारों के प्रति हार्दिक आभार आदि को समझने में ये कविताएं बहुत सहयोग करती हैं। इस संग्रह की कविताओं के विषय में प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह लिखते हैं 'शमशेर के लिए तो जैसे हाड़-मांस के जीते जागते इंसान ही समाज है।' स्पष्ट है कि शमशेर इस संग्रह में बहुत ही मजे हुए नजर आते हैं।

वर्ष 1980 में कवि का एक और काव्य संग्रह 'उदिता' प्रकाश में आया। यह उनका पाँचवाँ काव्य संग्रह है। इस समय उनके भीतर जो रचनात्मक का तीव्रतर संघर्ष चल रहा था, वह इस कविता संग्रह के माध्यम से बाहर

आया। इस संग्रह में उनकी शैली व सोच का नया रूप देखने में आता है। उत्तरछायावाद से लेकर, प्रगतिशील चेतना के विचारों से, उनके समकालीन विचारों तक की यात्रा को इस कविता संग्रह में देखा जा सकता है। इस संग्रह की भूमिका में कवि लिखते हैं "उदिता की कविताएं मेरे भावुक और संघर्षशील दौर की कविताएं है और कविताओं की पाखीम भी।"

कवि का नवीनतम काव्य संग्रह 'काल तुझसे होड़ है मेरी' वर्ष 1988 में प्रकाशित हुआ। इसकी संपादिका डॉ रंजना अरगड़े हैं। इसमें कुल 33 कविताओं को स्थान दिया गया है, जो कवि द्वारा पिछले 17 वर्षों के दौरान लिखी गई थी। इसमें कवि ने विभिन्न देशों और तत्कालीन महान कवियों जैसे 'मदर टरेसा', 'नागार्जुन', 'प्रभाकर माचवे' आदि पर लिखी गई कविताएं हैं, जो उनकी श्रेष्ठ रचनाएं तो हैं ही, रचनाकारों के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाने वाले भी हैं। इस संग्रह की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें 'यूनानी वर्णमाला का कोरस' तथा 'मणिपुरी काव्य साहित्य की नन्हीं सी विहंगम झांकी' को भी स्थान मिला है। इस संग्रह की सबसे प्रसिद्ध कविता है 'काल तुझसे होड़ है मेरे'। जहां कवि को लगता है विधि ने मेरे भाग्य में विश्राम लिखा कहाँ है -

'काल,
तुझसे होड़ है मेरी : अपराजित तू..
तुझमें अपराजित मैं वास करूं।'

ऐसा प्रतीत होता है कि नियति को कवि की यह ललकार अच्छी नहीं लगी। वह जीवन-भर कवि की परीक्षा लेती रही और कवि उसकी। न उसने अपनी टेक छोड़ी और न कवि ने अपनी आन तोड़ी।

आगे कुछ बातें गद्य साहित्य की भी कर लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह साहित्य जगत में कवि से पहले गद्यकार हैं। 'तार सप्तक' से जुड़ने से पूर्व उनके दो निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। वे वर्ष 1948 में निबंधकार के रूप में प्रकाश में आए। उनका पहला निबंध संग्रह 'दोआब' उसी साल प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं। इन आलोचनात्मक निबंधों में उन्होंने हिन्दी और उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकारों की कृतियों का मूल्यांकन किया है। ये निबंध पूर्ण रूप से समीक्षात्मक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि 'दोआब संग्रह में सबसे दिलचस्प लेख 'सात आधुनिक कवि' है और 'नया साहित्य' उस समय प्रगतिशील साहित्य का प्रतिनिधि पत्र था।' उनका एक और गद्य संग्रह वर्ष 1992 में ' गद्य रचनाएं' नाम से प्रकाशित हुई। इसकी संपादिका डॉ रंजना अरगड़े ने इस संग्रह की भूमिका में लिखा है कि 'शमशेर का ये निबंध, अपने समकालीनों के कृतित्व से जुड़े रहे हैं। एकाध निबंधों को छोड़कर प्राय: सभी निबंधों में शमशेर जी के व्यक्तित्व के विविध पहलू नजर आते हैं।'

कहानी संग्रह में उनका एक मात्र संग्रह 'प्लाट का मोर्चा' है। यह वर्तमान में अप्राप्य है, इसके रचनाकाल के बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता है। इसमें लगभग 23 कहानियाँ और स्केच हैं। जिसके लेख आज भी पत्र पत्रिकाओं में उपलब्ध हैं। इन कहानियों के बारे में आनंद प्रकाश ने लिखा है कि 'कहानियों में चित्र देना और टिप्पणी से बचना निरंतर चलता है। असल में यह शमशेर की कहानियों का तिलिस्म है जिसमें 'स्टिल और मूविंग तस्वीर, रंग और रंगहीनता, अतीत और वर्तमान के रहस्यात्मकता में घिर जाती है।

शमशेर बहादुर सिंह एक अच्छे समीक्षक व अनुवादक भी रहे हैं। वे समीक्षाओं में बातचीत करते हुए दिखायी देते हैं। जे. स्वामीनाथन की पेंटिंग देखकर वे चिड़िया की व्यवहारिकता पर बात करने लगते हैं कि 'मुझे जे. स्वामीनाथन की वह चिड़िया ध्यान या रही है जो प्राय: उनके कैनवास पर मिल जाएगी।' उन्होंने अनुवाद कार्य अपने साहित्यिक जीवन के शुरू में ही आरंभ कर दिया था। उनके श्रेष्ठ अनुवादों में 'षड्यन्त्र' (1946), 'पृथ्वी और आकाश' (1944) आदि की गिनती होती है।

वे रोजगार एवं जीवनयापन के लिए कई पत्रिकाओं से सीधे तौर पर जुड़े रहें। उन्होंने 'रुपाभ', 'कहानी', 'नया साहित्य', 'माया', 'नया पथ' और 'मनोहर कहानियाँ' जैसी पत्रिकाओं में संपादन सहयोग दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान की एक महत्वपूर्ण परियोजना 'हिंदी-उर्दू कोश' का सफल संपादन किया। उनकी कई रचनाएं एनसीआरटी और कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उनके जीवन में विशेष उपलब्धि का क्षण तब आया, जब वर्ष 1977 में साहित्य अकादमी ने उनकी रचना 'चुका भी हूँ नहीं मैं' काव्य संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना।

जीवन में ख्याति, उपलब्धि और सफलता की प्राप्ति त्याग और समर्पण के बिना नहीं मिलता। हमारे कवि भी साहित्य साधना के लिए जीवनपर्यंत संघर्ष करते हुए देखे गये। उन्हें जीवन की आखिरी पड़ाव में आंखों से बहुत कम दिखता था और प्राय: तबीयत नासाज रहती थी। पर यदि कोई उन्हें किताबें पढ़ने और लिखने के समय टोंकता तो वे कहा करते थे कि लिखना और पढ़ना ही मेरा खुराक है। धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती गयी और कहा भी जाता है कि हर दौर का अंत निश्चित है। साहित्यिक जगत में अपना विशिष्ट पहचान रखने वाले शमशेर बहादुर सिंह ने 13 मई 1993 को अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में डॉ रंजना अरगड़े के साथ अहमदाबाद गुजरात में रहते थे। उनकी मृत्यु से साहित्यिक जगत में स्तब्धता छा गयी।

आइये साहित्य की विभिन्न विधाओं में दिए उनके योगदान से रूबरू होते हैं –

कविता संग्रह : कुछ कविताएँ (1956), कुछ और कविताएँ (1961), चुका भी नहीं हूँ मैं (1975), इतने पास अपने (1980), उदिता-अभिव्यक्ति का संघर्ष (1980), बात बोलेगी (1981), काल तुझसे होड़ है मेरी (1988)।

निबंध संग्रह : दोआब, कुछ गद्य रचनाएँ, कुछ और गद्य रचनाएँ।
कहानी : प्लाट का मोर्चा

बैंकों के चलनिधि प्रबंधन पर थोक जमा की तुलना में खुदरा जमा का प्रभाव

प्रवीण कुमार, मुख्य प्रबन्धक, जोखिम प्रबंधन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय

बैंकों के चलनिधि प्रबंधन पर थोक जमा की तुलना में खुदरा जमा का प्रभाव

दैनिक दिनचर्या के दौरान या समाचार सुनते समय, अखबार पढ़ते समय, मुझे विश्वास है कि हमने बैंकों के विफल होने की खबरें सुनी होंगी, जिसके परिणामस्वरूप नियामकों द्वारा ऐसे बैंकों से पैसे निकालने जैसे विभिन्न प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे बैंक के ग्राहकों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

हाल ही में एक घटना सामने आई, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया है और न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार 13 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने के बाद से, बैंक आरबीआई के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना, कोई भी ऋण या अग्रिम राशि प्रदान या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, धन उधार लेने और नए जमा स्वीकार करने सहित कोई भी देयता नहीं लेगा, अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन में या अन्यथा कोई भुगतान नहीं करेगा या संवितरित करने के लिए सहमत नहीं होगा, कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा और आरबीआई को सूचित किए बिना अपनी किसी भी संपत्ति या परिसंपत्ति को नहीं बेचेगा, न स्थानांतरित करेगा या न ही निपटान करेगा । इसके अतिरिक्त, बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति पर विचार करते हुए, बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे, लेकिन आरबीआई के उपर्युक्त निर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमाराशियों के विरुद्ध ऋण सेट ऑफ करने की अनुमति दी गई है।

अब, उक्त मामले में, इस तरह के संकट के वास्तविक कारणों का पता विभिन्न जाँचों से लगाया जाएगा, लेकिन, यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि आरबीआई, बैंक के प्रति मुख्य रूप से बैंक की तरलता पर तनाव के कारण ऐसी सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा।

अब, आइए समझते हैं कि इस चलनिधि का क्या अर्थ है। आम भाषा में, इसका मतलब है कि कोई संगठन अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कितनी जल्दी धन की व्यवस्था कर सकता है। चलनिधि को हमेशा अल्पकालिक उपाय के रूप में देखा जाता है। बैंकिंग उद्योग के लिए, यह उन प्रमुख मापदंडों में से एक है, जिसके आधार पर निवेशकों और नियामकों द्वारा बैंकों का मूल्यांकन/ जाँच की जाती है।

शायद, हमारे पाठकों को यह ज्ञात हो गया होगा कि बैंकों के लिए चलनिधि प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। बैंकों में चलनिधि प्रबंधन बैंक की अपनी परिसंपत्तियों को निधि देने और अपने अपेक्षित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों को तर्कसंगत मूल्य पर और अवांछित नुकसान उठाए बिना पूरा करने की क्षमता है।

आइए अब समझते हैं कि चलनिधि प्रबंधन कैसे होता है और बैंकों के लिए चलनिधि के स्रोत क्या हैं।

बैंकों में चलनिधि प्रबंधन संबंधित बैंक के राजकोष विभाग द्वारा किया जाता है जो बैंकों के भीतर धन के दैनिक प्रवाह की निगरानी करता है, अर्थात बहिर्वाह और अंतर्वाह का प्रबंधन करता है। यदि किसी कमी की आशंका होती है, तो राजकोष विभाग कमी की व्यवस्था करता है।

यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि किसी भी बैंक का राजकोष विभाग मूल रूप से एक फंड सेंटर के रूप में कार्य करता है जो शाखाओं से जुटाई गई जमाराशियों को स्वीकार करता है और ऋण वितरण के लिए शाखाओं को निधियों को आबंटित करता है, इष्टतम तरीके से विभिन्न प्रतिभूतियों में राशि का निवेश करता है। राजकोष जमाराशियों को प्राप्त करके या विनियामक/ अंतरबैंक आदि से उधार लेकर बैंक के भीतर चलनिधि का प्रबंधन करता है।

अब तक हमारे पाठक बैंकों में चलनिधि प्रबंधन की अवधारणा से परिचित हो चुके होंगे। आइए अब चलनिधि प्रबंधन के एक स्रोत यानी जमाराशि के बारे में चर्चा करते हैं।

भारत में बैंकों को मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त जमाराशि यानी खुदरा जमाराशि और थोक जमाराशि से वित्तपोषित किया जाता है। हालाँकि, विकसित देशों में संचालित बैंक मुख्य रूप से उधार या थोक जमाराशि पर निर्भर हैं। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सभी जमाराशि ग्राहकों से ली जाती है, फिर हम उन्हें खुदरा या थोक में क्यों वर्गीकृत कर रहे हैं? इसके अलावा, क्या इन जमाराशियों का बैंकों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है?

इसका उत्तर देने के लिए आइए सबसे पहले यह समझें कि खुदरा और थोक जमाएँ क्या हैं और वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं:

- आरबीआई (आरबीआई-एमडी-जमाराशियों पर ब्याज दर) द्वारा

थोक अवधि जमाराशि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए तीन करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशि के रूप में परिभाषित किया गया है। अत: इसलिए, तीन करोड़ रुपये से कम की एकल रुपया सावधि जमाराशि को खुदरा सावधि जमाराशि माना जाएगा।

- बैंक अल्पावधि तरलता के लिए थोक जमा/ वित्तपोषण पर तथा दीर्घावधि वित्तपोषण के लिए खुदरा जमा पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
- थोक जमा आम तौर पर बड़े और अधिक अस्थिर होते हैं, और बैंक की चलनिधि और वित्तपोषण लागत पर बड़ा प्रभाव डालते हैं क्योंकि वे ब्याज दर में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हालांकि, खुदरा जमा प्रकृति में स्थिर होते हैं और सिस्टम में बने रहते हैं और तुलनात्मक रूप से थोक जमा की तुलना में कम संवेदनशील होते हैं।
- बैंक के चलनिधि प्रबंधन को मजबूत बनाने और निरंतर आधार पर इसकी निगरानी करने के लिए, बेसल द्वारा चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पेश किया गया था जिसे बहुत सारे नियामकों द्वारा लागू किया गया है। एलसीआर में, खुदरा और लघु व्यवसाय स्थिर जमा और खुदरा और लघु व्यवसाय कम स्थिर जमा में क्रमशः 5% और 10% का रन ऑफ फैक्टर होता है। गैर-वित्तीय कॉरपोरेट और सॉवरेन जमा में रन ऑफ फैक्टर 40% होता है
- हालांकि, अन्य कानूनी संस्थाओं जैसे वित्तीय संस्थानों (वित्त पोषण व्यवस्था की राशि पर ध्यान दिए बिना), ट्रस्ट, सोसायटी, व्यक्तियों का संघ, भागीदारी, स्वामित्व (कुल वित्त पोषण व्यवस्था 7.50 करोड़ से अधिक) से जमा राशि पर 100% रन ऑफ फैक्टर है।

थोक जमा पर बढ़ती निर्भरता बनाम बैंक पर इसका प्रभाव:

आइए हम इन जमाराशियों के बैंक पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित दूसरे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें।

एक कार्यक्रम में आरबीआई के उप गर्वनर एम राजेश्वर राव जी ने चेतावनी दी कि ऋण माँग को पूरा करने के लिए थोक निधियों पर अधिक निर्भरता संभावित संरचनात्मक तरलता मुद्दों का संकेत है। थोक निधियों पर निर्भर बैंकों को आर्थिक तनाव के दौरान रोलओवर जोखिम और बहिर्वाह का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये जमाएँ ब्याज दर परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं।

वर्तमान में, भारतीय बैंकों को अपनी लाभप्रदता पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि घरेलू बचत पारंपरिक बैंक जमा से हटकर उच्च-उपज वाले वित्तीय साधनों की ओर जा रही है। अल्पकालिक वित्तपोषण पर बढ़ती निर्भरता शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और लाभप्रदता को प्रतिकूल बाजार स्थितियों के दौरान प्रभावित कर सकती है । थोक जमा पर बढ़ती निर्भरता का प्रभाव नीचे विस्तार से बताया गया है:

I. जमा वृद्धि से अधिक ऋण वृद्धि

आरबीआई गवर्नर के 7 फरवरी 2025 के वक्तव्य के अनुसार, जनवरी 2025 के अंत में बैंकिंग प्रणाली के लिए ऋण जमा अनुपात (सीडी अनुपात) 80.8 प्रतिशत था। 24 जनवरी, 2025 तक कुल बैंक ऋण और जमा में क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो दर्शाता है कि बैंकों में ऋण वृद्धि ने जमा वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। यह बेमेल आंकड़े बैंकों के लिए तरलता दबाव पैदा करते हैं ।

II. एनआईएम का संकुचन

महंगे थोक जमा पर बढ़ती निर्भरता के परिणामस्वरूप एनआईएम में कमी आने से बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित हुई है। थोक जमा से मार्जिन कम हो जाता है, जबकि खुदरा जमा अधिक लागत प्रभावी होते हैं।

III. बेमेल परिसंपत्ति देयता

वित्तपोषण के लिए थोक जमा पर अधिक निर्भरता का मतलब है कि बैंक की परिसंपत्तियाँ जो मध्यम से दीर्घ अवधि की प्रकृति की होंगी, उन्हें अल्पावधि निधि स्रोतों से वित्तपोषित किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह में असंतुलन होगा और परिसंपत्तियों और देनदारियों की अवधि में असंतुलन होगा जो बैंक के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है।

IV. उच्च ब्याज दर जोखिम :

स्रोतों से नकदी प्रवाह और उसके उपयोग में बेमेल होने से ब्याज दर जोखिम में वृद्धि होगी। यदि दर संवेदनशील परिसंपत्तियों और दर संवेदनशील देनदारियों से नकदी प्रवाह के बीच अंतर नकारात्मक रहता है, तो ब्याज दर में प्रतिकूल बदलाव बैंक की आय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इस प्रकार बैंक की पूंजी पर भी असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

थोक जमा पर खुदरा जमा की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए, ग्रहणशील बैंक अधिक से अधिक खुदरा स्थिर जमा जुटाने पर जोर देते हैं और थोक जमा को केवल तरलता प्रबंधन उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं।

बैंक खुदरा स्थिर जमा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों को अपनाते हैं जिसमें नई शाखाएँ खोलना और नए बाज़ारों तक पहुँच विस्तारित करना, अभिनव बैंकिंग समाधान प्रदान करना, आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करके ग्राहकों को आकर्षित करना या विशेष सावधि जमा शुरू करना शामिल है। यह अस्थिर और डिजिटल जमा के लिए नई एलसीआर आवश्यकताओं को करता है, ऋण देने की उनकी गति का प्रबंधन करता है और अपने मार्जिन से समझौता किए बिना चलनिधि प्रबंधन को नेविगेट करता है।

संस्कारों का निर्माण करती है भाषा

नेहा रंजन, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

भाषा और संस्कार एक-दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। भाषा न केवल संवाद का एक माध्यम है, बल्कि यह समाज में संस्कृति, मूल्य और परंपराओं के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन भी है। हमारी सोच, विचारधारा, और व्यवहार को भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति मिलती है और यही भाषा हमें संस्कारों को समझने और अपनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। संस्कारों का निर्माण केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें समाज, परिवार, और भाषा की भूमिका अहम है। भाषा और संस्कार दोनों समाज के महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज की सामाजिक संरचना को आकार देते हैं। संस्कार किसी भी व्यक्ति के जीवन और उसके नैतिक मूल्यों की पहचान होते हैं, जबकि भाषा वह माध्यम है, जिसके द्वारा इन संस्कारों का आदान-प्रदान और प्रसार किया जाता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के आचार-विचार, सोच, व्यवहार और आदतें उसके संस्कारों का परिणाम होती हैं और ये संस्कार भाषा के माध्यम से और भी पुख्ता होते हैं।

संस्कार शब्द का अर्थ है, किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छी आदतों और नैतिक मूल्यों का निर्माण करना है। यह प्रक्रिया एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देती है और उसे समाज में एक आदर्श नागरिक बनाने में मदद करती है। संस्कार केवल धार्मिक या पारंपरिक प्रथाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह व्यक्ति के आचार-विचार, उसके विचारों और कर्मों में प्रकट होते हैं। यह उसकी सामाजिक और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। संस्कार समाज के प्रति दायित्व, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति सहानुभूति का संचार करते हैं। संस्कार केवल एक व्यक्ति की निजी प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह समाज के आदर्शों और पारंपरिक मूल्यों को अपनाने और उनका पालन करने की एक सामाजिक प्रक्रिया है। संस्कार व्यक्ति को सही-गलत का फर्क समझाते हैं, उसे अच्छे आचार-व्यवहार की ओर प्रेरित करते हैं और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उसकी भूमिका को सुदृढ़ बनाते हैं। संस्कारों का निर्माण किसी व्यक्ति के परिवार, समाज, शिक्षा प्रणाली, और सांस्कृतिक परिवेश के माध्यम से होता है। यह व्यक्ति को मानवीय संवेदनाओं, सच्चाई, न्याय, प्रेम और सहानुभूति जैसे गुणों से परिचित कराता है। संस्कार, व्यक्ति के जीवन में संतुलन और शांति को स्थापित करते हैं और वे समाज में आदर्श नागरिकों के निर्माण में सहायक होते हैं।

भाषा मानवता का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली माध्यम है। यह किसी भी समाज की संचार प्रणाली का मूल आधार है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, और इच्छाएं दूसरों तक पहुंचाता है। यह समाज में रिश्तों और भावनाओं का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा से हम अपनी संस्कृति, परंपराएं, और मूल्यों को संरक्षित रखते हैं और उसे आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। भाषा न केवल संवाद का साधन है, बल्कि यह समाज के आदर्शों, परंपराओं और संस्कारों की वाहक भी है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने संस्कारों को समाज में प्रसारित करते हैं। व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करता है, वह उसके संस्कारों का प्रतीक होती है। यह भाषा ही है जो बच्चों में पहले संस्कारों की नींव रखती है और उन्हें समाज में सही और गलत का अंतर समझाती है।

भाषा और संस्कारों का संबंध:

भाषा और संस्कारों के बीच गहरा संबंध है। संस्कारों का निर्माण, उनका आदान-प्रदान और उनका प्रसार सभी कुछ भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। संस्कारों को समझने और उसे अपनी जीवनशैली में अपनाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। जब हम किसी से अच्छे संस्कारों के बारे में बात करते हैं, तो हम उन्हीं संस्कारों को भाषा के रूप में व्यक्त करते हैं।

भाषा संस्कारों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करती है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं, और संस्कारों को व्यक्त करते हैं। हम जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, वह हमारे संस्कारों को परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरों से सम्मानजनक और सौम्य भाषा का प्रयोग करना, यह दर्शाता है कि उसके संस्कार ऊंचे हैं। यदि हम अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे संस्कारों की कमी को व्यक्त करता है।

भाषा का हमारे संस्कारों पर गहरा प्रभाव होता है क्योंकि भाषा का प्रयोग हमारे आचार-व्यवहार को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति जब अच्छे और संयमित शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह न केवल अपने संस्कारों का प्रदर्शन करता है, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है और समाज में सकारात्मक माहौल का निर्माण करता है। इसके विपरीत, अशिष्ट भाषा और गलत शब्दों का प्रयोग समाज में नकारात्मक प्रभाव डालता है। भाषा एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है, जिसके द्वारा संस्कारों का प्रसार होता है। बच्चों को संस्कार देने के लिए भाषा का अत्यधिक महत्व है। जब माता-पिता, शिक्षक और अन्य बड़े लोग बच्चों से अच्छे शब्दों में बात करते हैं, तो बच्चों को भी यह सीख मिलती है कि सही शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे से कहा जाता है कि "आपको दूसरों का सम्मान करना चाहिए," तो यह एक संस्कारी संदेश होता है। जब यह बात बच्चे की भाषा में उतरती है, तो वह दूसरों के प्रति आदर और सम्मान के भाव को समझता है।

संस्कारों का निर्माण केवल परिवार में नहीं, बल्कि समाज में भी होता है। हम अपने आस-पास के लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। यदि समाज में अच्छा संवाद, आदर्श व्यवहार और सद्भावना का वातावरण हो, तो व्यक्ति के संस्कारों का निर्माण होता है। समाज में एक-दूसरे के प्रति सम्मान, शिष्टाचार, और अच्छे शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के मन में नैतिक मूल्यों को स्थापित करता है।

भाषा और संस्कार के संबंध में कई श्लोक भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य में पाए जाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भाषा का उपयोग समाज और व्यक्ति के संस्कारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है :

वाक्यं मधुरं यत्र, शान्तं च, सत्यं च, यत्र।

तत्र संस्कार सर्वे ये, धर्मात्मा सदा श्रीः॥

जिसका अर्थ यह है कि हमारे शब्द हमारे आचार और विचारों का दर्पण होते हैं, और हमें अपने शब्दों को सत्य, विनम्रता और धर्म के अनुरूप रखना चाहिए, ताकि वे हमारे संस्कारों और सिद्धांतों का प्रतीक बन सकें। जहां मधुर, शान्त और सत्य वाक्य बोले जाते हैं, वहां संस्कारों का पूरी तरह पालन होता है। ऐसी भाषा व्यक्ति के धर्म और आदर्श को प्रकट करती है और जीवन में सुख-शांति लाती है।

संस्कारों का निर्माण भाषा के माध्यम से सिर्फ व्यक्तित्व निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है। हर समाज की अपनी भाषा होती है और उसकी भाषा में उन समाज के मूल्य और संस्कार समाहित होते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संस्कृति में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है और हिंदी या संस्कृत जैसी भाषाओं में संस्कारों से संबंधित अनेक शब्दावली और कथाएँ प्रचलित हैं। संस्कृत में शब्दों की गहराई और अर्थों का अन्वेषण करने से हम संस्कारों की उपेक्षा किए बिना जीवन को समझ सकते हैं।

भाषा के माध्यम से हम न केवल अपने संस्कारों को संप्रेषित करते हैं, बल्कि उन्हें जीवित भी रखते हैं। हमारी भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, वे हमारे समाज की आदर्शों और मूल्यों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत में "धर्म" शब्द का उपयोग आदर्श, सत्य, और न्याय के लिए किया जाता है। यह शब्द हमारे जीवन में संस्कारों को स्थापित करने के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है।

भाषा का संस्कारों के निर्माण में एक और अहम योगदान शिक्षा के क्षेत्र का है। शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को भाषा के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती है। पाठ्यक्रम में जो उपदेश दिए जाते हैं, वे भाषा के माध्यम से ही विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं। "सत्यमेव जयते," "अहिंसा परमो धर्म" जैसे उदाहरण हमें न केवल भाषा के अर्थ समझाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में उन संस्कारों को भी स्थापित करने का मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से जब अच्छे शिष्टाचार के बारे में बात करते हैं, तो वे उन्हें यह बताते हैं कि उनका व्यवहार और शब्दों का चयन कैसे संस्कारों को प्रभावित करता है।

परिवार वह पहला स्थान है, जहाँ बच्चे सबसे पहले भाषा सीखते हैं और संस्कार ग्रहण करते हैं। माता-पिता और अन्य परिवारजनों की भाषा, उनकी बातें और उनके व्यवहार से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अगर परिवार में प्यार, सम्मान और संयमित भाषा का प्रयोग होता है, तो बच्चे उन संस्कारों को अपनाते हैं। इसके विपरीत, अगर परिवार में नकारात्मक भाषा का प्रयोग होता है, तो वही संस्कार बच्चे के मन में अंकित होते हैं।

भाषा, संस्कारों का आदान-प्रदान और उनके प्रसार का सबसे प्रभावी तरीका है। एक व्यक्ति के शब्दों का चयन न केवल उसकी शिक्षा और संस्कारों को दर्शाता है, बल्कि वह समाज में उन संस्कारों को प्रसारित करने का कार्य भी करता है। भाषा और संस्कार एक-दूसरे के पूरक हैं। भाषा न केवल संवाद का साधन है, बल्कि यह संस्कारों को समझने, उन्हें आत्मसात करने और उन्हें समाज में फैलाने का एक प्रभावी तरीका है। संस्कारों का निर्माण तभी संभव है, जब हम अपने विचारों और शब्दों में अच्छाई, सच्चाई, और प्रेम का समावेश करें। भाषा एक माध्यम है, जो संस्कारों को जीवन में लागू करने का कार्य करती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि संस्कारों का निर्माण और उनका प्रसार भाषा के माध्यम से ही होता है।

भाषा न केवल संवाद का साधन है, बल्कि यह समाज और व्यक्ति के संस्कारों का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती है। हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वह हमारे संस्कारों और मूल्य-बोध को दर्शाती है। अच्छा व्यवहार, सौम्य शब्द और सकारात्मक संवाद से हम न केवल अपने संस्कारों का निर्माण करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि "संस्कारों का निर्माण करती है भाषा।"

फोटो फीचर

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित विश्व हिन्दी दिवस की झलकियाँ

अहमदाबाद

बड़ौदा

भुवनेश्वर

ब्रह्मपुर

देहरादून

दिल्ली

एर्णाकुलम

गोवा

गुवाहाटी

जयपुर

हैदराबाद

कारैकुड़ी

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित विश्व हिन्दी दिवस की झलकियाँ

लखनऊ

मदुरै

मेरठ

मुंबई

मैसुरू

नागरकोइल

पटना

पुणे

रांची

तंजाऊर

तिरुनलवेलि

वाराणसी

फोटो फीचर

नराकासों से प्राप्त पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर (प्रथम पुरस्कार)

क्षेत्रीय कार्यालय ब्रह्मपुर (प्रथम पुरस्कार)

क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (प्रथम पुरस्कार)

क्षेत्रीय कार्यालय सेलम (प्रथम पुरस्कार)

ऊटी शाखा (प्रथम पुरस्कार)

क्षेत्रीय कार्यालय कोयंबत्तूर (द्वितीय पुरस्कार)

नराकासों से प्राप्त पुरस्कार

क्षेत्रीय कार्यालय पुदुचेरी (द्वितीय पुरस्कार)

क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम (द्वितीय पुरस्कार)

सूरत शाखा (द्वितीय पुरस्कार)

क्षेत्रीय कार्यालय मदुरै (तृतीय पुरस्कार)

बालाघाट शाखा (तृतीय पुरस्कार)

क्षेत्रीय कार्यालय गोवा (प्रोत्साहन पुरस्कार)

भविष्य की बैंकिंग: तकनीक और नवाचार का नया युग

विक्रांत सिंह मुण्डा, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय राँची

बैंकिंग क्षेत्र ने बीते दशकों में अपने पारंपरिक स्वरूप को तेजी से बदलते हुए डिजिटल और तकनीकी युग को अपनाया है। जहां पहले बैंकिंग का मतलब केवल शाखाओं में जाकर जमा और निकासी करना था, आज यह सेवाएं मोबाइल एप्लिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, और वर्चुअल असिस्टेंट्स तक सीमित नहीं हैं। भविष्य की बैंकिंग इन प्रगतियों से भी आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, और फिनटेक जैसे नवाचारों को समाहित कर रही है।

1. डिजिटल बैंकिंग का विकास

डिजिटल बैंकिंग पिछले एक दशक में मुख्यधारा का हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ने न केवल ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाया है, बल्कि बैंकिंग प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और तेज बनाया है।

भविष्य में बैंक शाखाओं का महत्व धीरे-धीरे कम होता जाएगा, और उनकी जगह पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ले लेंगे। ग्राहक अब अपने खाते खोलने से लेकर, फंड ट्रांसफर करने, और निवेश प्रबंधन तक, सब कुछ अपने स्मार्टफोन पर कर सकेंगे।

डिजिटल बैंकिंग का यह विकास खासतौर पर निम्नलिखित नवाचारों पर आधारित होगा:

1. चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट: ग्राहकों को रियल-टाइम में सहायता प्रदान करने के लिए एआई-पावर्ड चैटबॉट्स का उपयोग होगा। ये न केवल सवालों का जवाब देंगे, बल्कि ग्राहकों को उनके वित्तीय फैसलों में भी मदद करेंगे।

2. स्मार्ट निवेश प्रबंधन: एआई-आधारित प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को उनके खर्च और बचत पैटर्न के आधार पर स्मार्ट निवेश योजनाएं सुझाएंगे।

3. ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी का प्रभाव

ब्लॉकचेन तकनीक ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। यह तकनीक लेन-देन को सुरक्षित, तेज, और पारदर्शी बनाती है।

ब्लॉकचेन का बैंकिंग में उपयोग: तेज और सुरक्षित लेन-देन: ब्लॉकचेन तकनीक बैंकिंग लेन-देन को सुरक्षित और धोखाधड़ी-रहित बनाती है।

स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स: ये स्वचालित अनुबंध हैं, जो लेन-देन के नियमों का पालन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि भुगतान तभी हो जब शर्तें पूरी हो जाएं।

क्रिप्टोकरेंसी: क्रिप्टोकरेंसी भविष्य की बैंकिंग का एक अहम हिस्सा बन सकती है। बिटकॉइन, एथेरियम, और अन्य डिजिटल मुद्राएं पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के विकल्प के रूप में उभर रही हैं। हालांकि, यह क्षेत्र अभी भी विनियमों और स्थिरता की चुनौतियों का सामना कर रहा है।

4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग

एआई और मशीन लर्निंग बैंकिंग का भविष्य हैं। ये तकनीकें बैंकिंग सेवाओं को अधिक व्यक्तिगत और कुशल बनाने में मदद करती हैं।

एआई का उपयोग:

1. फ्रॉड डिटेक्शन: एआई सिस्टम संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाकर धोखाधड़ी रोकने में मदद करता है ।

2. पर्सनलाइज्ड बैंकिंग: ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को समझते हुए, एआई उन्हें विशेष सेवाएं और उत्पाद प्रदान करेगा।

3. क्रेडिट स्कोरिंग: मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पारंपरिक क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम की तुलना में अधिक सटीक और तेज परिणाम प्रदान करेंगे।

4. बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी और सुरक्षा

भविष्य की बैंकिंग में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बायोमेट्रिक तकनीक, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, फेस रिकग्निशन, और वॉयस ऑथेंटिकेशन, पारंपरिक पासवर्ड और पिन की जगह लेंगी।

बायोमेट्रिक बैंकिंग के फायदे:

क. उच्च सुरक्षा स्तर: धोखाधड़ी और पहचान चोरी की संभावना को कम करता है।

ख. बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव: तेज और सुविधाजनक लॉग-इन प्रक्रिया।

5. फिनटेक का बढ़ता प्रभाव

फिनटेक (फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी) कंपनियां पारंपरिक बैंकों को प्रतिस्पर्धा दे रही हैं। ये कंपनियां नई और अभिनव सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे:

- पेमेंट गेटवे
- डिजिटल वॉलेट
- पीयर-टू-पीयर लेंडिंग
- रियल-टाइम फंड ट्रांसफर

भविष्य में, फिनटेक और पारंपरिक बैंकों के बीच सहयोग के अधिक अवसर होंगे।

6. हरित बैंकिंग और स्थिरता : पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग न केवल कागज के उपयोग को कम करती है, बल्कि ऊर्जा-कुशल प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को भी घटाती है।

हरित बैंकिंग के प्रयास: पर्यावरण-अनुकूल निवेश योजनाओं को बढ़ावा देना। हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता देना।

7. वित्तीय समावेशन और वैश्विक पहुंच : डिजिटल बैंकिंग ने वित्तीय समावेशन की संभावनाओं को बढ़ाया है। यह ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में मदद करता है।

उदाहरण: मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से बिना बैंक शाखा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। कम लागत वाले डिजिटल लेन-देन।

8. चुनौतियां और संभावनाएं : हालांकि भविष्य की बैंकिंग नई तकनीकों से प्रेरित होगी, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी होंगी।

चुनौतियां:

1. साइबर सुरक्षा: डिजिटल बैंकिंग में डेटा चोरी और साइबर हमले का खतरा हमेशा रहेगा।

2. विनियमन और अनुपालन: नई तकनीकों के साथ प्रभावी नियमों और कानूनों की आवश्यकता होगी।

3. डिजिटल विभाजन: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे का अभाव।

संभावनाएं: तकनीकी नवाचारों से बैंकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। वित्तीय सेवाएं अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-केंद्रित होंगी।

निष्कर्ष: भविष्य की बैंकिंग पारंपरिक ढांचे से कहीं अधिक उन्नत, सुरक्षित, और ग्राहक-केंद्रित होगी। यह तकनीकी नवाचारों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ बनाएगी और ग्राहकों को एक सहज अनुभव प्रदान करेगी।

डिजिटल क्रांति और नई प्रौद्योगिकियों के साथ, बैंकिंग उद्योग एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहा है जहां ग्राहक न केवल सेवाओं का उपयोग करेंगे, बल्कि बैंकिंग प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बनेंगे। भविष्य की बैंकिंग न केवल हमारे जीवन को सरल बनाएगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

खलीक अहमद सिद्दीकी, ग्राहक सेवा सहयोगी, लखनऊ क्षेत्र

भूमिका

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव है। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य भारतीय कर प्रणाली को एकीकृत करना, व्यापार और वाणिज्य में सरलता लाना, और कर चोरी को कम करना था। इसके साथ ही, जीएसटी का उद्देश्य था कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर प्रणाली लागू हो, जिससे व्यापार को एक समान दृष्टिकोण से देखा जा सके और विभिन्न राज्यों के बीच कर विवादों को समाप्त किया जा सके।

जीएसटी का इतिहास: अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में 1954 में हुई थी। फ्रांस में जीएसटी की शुरुआत को 'मूल्य वर्धित कर (वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी)' के रूप में किया गया । इस प्रणाली को पूरी दुनिया में अपनाया गया, क्योंकि यह व्यापारियों को सिंगल टैक्स के तहत विभिन्न स्तरों पर करों के भुगतान से राहत प्रदान करता था। जीएसटी प्रणाली का लाभ यह है कि इसमें किसी भी व्यापार या निर्माण के चरण में हर स्तर पर मूल्य वर्धन (वैल्यू एडिशन) पर कर लगाया जाता था, लेकिन अंतिम उपभोक्ता को ही पूरी कीमत चुकानी पड़ती थी। इससे व्यापार में पारदर्शिता आई और कर चोरी की संभावनाएं कम हुईं। जीएसटी के विचार को आगे बढ़ाते हुए कई देशों ने इसे अपनाया, जिनमें यूरोपीय संघ के सदस्य देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और सिंगापुर शामिल थे। भारत में जीएसटी की आवश्यकता महसूस की गई, जब यह देखा गया कि अप्रत्यक्ष करों की जटिल प्रणाली और विविध कर दरों के कारण व्यापार में समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं।

भारत में जीएसटी की शुरुआत

भारत में जीएसटी की आवश्यकता 1990 के दशक के मध्य में महसूस हुई, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण और उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे। उस समय भारत में विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए करों की प्रणाली बहुत जटिल हो चुकी थी। विभिन्न प्रकार के राज्य-स्तरीय कर, जैसे वैट (VAT), उत्पाद शुल्क (Excise Duty), सेवा कर (Service Tax), और अन्य कर प्रणाली के कारण व्यापार में कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं।

इस जटिलता को हल करने के लिए एक समान कर प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए भारत सरकार ने 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय कर व्यवस्था को सुधारना था। इस समिति की अध्यक्षता भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. शंकर अय्यर ने की थी। समिति ने सिफारिश की कि भारत में जीएसटी को लागू किया जाए, ताकि कर प्रणाली को सिंगल और एकीकृत किया जा सके।

जीएसटी की संरचना पर विचार

भारत में जीएसटी की संरचना पर विचार करते हुए, यह देखा गया कि भारतीय कर प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा होता है। इसलिए, जीएसटी की संरचना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भागीदारी आवश्यक थी। इस प्रकार, भारत में जीएसटी को एक ड्यूल सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया गया, जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपनी-अपनी भूमिका निभानी थी। इसका मतलब था कि एक ही वस्तु या सेवा पर केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दोनों एक साथ लागू होंगे। इसके अलावा, अंतर-राज्य व्यापार के लिए एक अन्य कर, इंटर-स्टेट जीएसटी (आइजीएसटी) लागू किया गया। यह मॉडल कई देशों द्वारा अपनाया गया था, जिसमें एक ही समय में दोनों स्तरों पर कर संग्रहण किया जाता है।

जीएसटी का भारतीय राजनीति और नीति में विकास

1. 2000-2005: प्रारंभिक तैयारी

भारत में जीएसटी की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम 2000 में उठाया गया, जब तत्कालीन वित्त मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने भारतीय कर प्रणाली की समीक्षा की और इसे सरल बनाने के लिए जीएसटी को एक अच्छा विकल्प माना।

2. 2006: जीएसटी की सिफारिश

2006 में, भारत सरकार ने जीएसटी के निर्माण के लिए एक बिल को तैयार किया और इसे संसद में प्रस्तुत किया। 2006 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यह घोषणा की थी कि भारतीय कर प्रणाली को सुधारने के लिए जीएसटी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी समय, जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया और इसे 2010 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया।

3. 2007-2014: जीएसटी बिल की तैयारी और विवाद

2007 में जीएसटी बिल के लिए प्रारंभिक रूप से तैयारियाँ शुरू की गईं, लेकिन विभिन्न राज्यों के बीच मतभेदों के कारण इसे लागू करना कठिन हो गया। राज्यों के बीच सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी) की मुआवजा राशि, एक समान कर दर, और राजस्व के बंटवारे पर विवाद थे। इसके बावजूद, सरकार ने लगातार राज्यों के साथ वार्ता की, और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी को लागू करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा दिखाई, जिससे जीएसटी बिल को संसद में पास करने का रास्ता खोला।

4. 2016-2017: जीएसटी विधेयक और पारित होना

2016 में जीएसटी संशोधन विधेयक को संविधान में संशोधन करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदित किया गया। इस विधेयक के तहत जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए संविधान में आवश्यक परिवर्तन किए गए। इस विधेयक को राज्यों के अधिकांश हिस्सों द्वारा मंजूरी दी गई, और आखिरकार इसे 8 अगस्त 2016 को संसद द्वारा पारित किया गया।

इसके बाद, जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। जीएसटी काउंसिल की स्थापना हुई, जिसने विभिन्न कर दरों और नियमों को तय किया। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया, और इसने भारतीय कर प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया।

जीएसटी की कार्यान्वयन प्रक्रिया

1. जीएसटी काउंसिल का गठन: जीएसटी की संरचना और इसके कार्यान्वयन के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। इस काउंसिल में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

2. जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन): जीएसटी के लिए एक डिजिटल नेटवर्क भी स्थापित किया गया, जिसे जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) कहा गया। यह नेटवर्क व्यापारियों को कर रिटर्न फाइल करने, कर भुगतान करने, और टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।

3. प्रारंभिक चुनौतियाँ: जीएसटी के पहले चरण में व्यापारियों को नए कर नियमों और प्रक्रियाओं के पालन में कठिनाई हुई। इसके अलावा, डिजिटल प्रणाली में कुछ तकनीकी समस्याएँ आईं, लेकिन सरकार और जीएसटी काउंसिल ने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए तत्परता दिखाई।

जीएसटी का परिचय

जीएसटी एक बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है, जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कर की दोहरी गणना (Cascading Effect) समाप्त हो जाती है। जीएसटी को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) - केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है।

2. राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) - राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है।

3. समेकित जीएसटी (आइजीएसटी) - अंतर्राज्यीय लेन-देन पर लगाया जाता है और केंद्र को जाता है।

4. यूनियन टेरिटरी जीएसटी (यूटीजीएसटी) - केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है।

इसके अतिरिक्त, जीएसटी विभिन्न कर दरों (5%, 12%, 18% और 28%) में विभाजित किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव

1. कर संरचना पर प्रभाव

जीएसटी ने भारत में कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया है। पहले विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कर दरें लागू थीं, जिससे व्यापारियों और निवेशकों को कठिनाई होती थी। जीएसटी लागू होने के बाद, एक समान कर प्रणाली से कारोबार करना आसान हो गया है।

2. व्यापार और उद्योग पर प्रभाव

जीएसटी से व्यापार और उद्योगों को निम्नलिखित लाभ हुए हैं:

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी): पहले कंपनियों को विभिन्न करों पर आइटीसी नहीं मिलता था, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती थी। अब आइटीसी की सुविधा से उनकी कर देनदारी कम हो गई है।

लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला: पहले राज्यों के बीच कर अड़चनों और चेक पोस्ट की वजह से लॉजिस्टिक्स खर्च अधिक था। जीएसटी से यह खर्च घटा है और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हुआ है।

छोटे और मध्यम उद्योग (एसएमई): जीएसटी ने छोटे कारोबारियों के लिए कम्पोज़िशन स्कीम प्रदान की, जिससे वे कम कर दर पर कारोबार कर सकते हैं।

3. उपभोक्ताओं पर प्रभाव : जीएसटी से पहले, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के कारण उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक कर चुकाना पड़ता था। कर की दोहरी गणना समाप्त होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि, कुछ वस्तुओं (जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स) पर उच्चतम स्लैब (28%) में कर होने के कारण उनकी कीमतें बढ़ी हैं।

4. महंगाई पर प्रभाव : शुरुआती दौर में जीएसटी से महंगाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि कर दरों में बदलाव से कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ीं। हालांकि, दीर्घकालिक रूप में, आइटीसी और कर प्रणाली के सरलीकरण के कारण महंगाई नियंत्रित हुई है।

5. सरकार के राजस्व पर प्रभाव : जीएसटी लागू होने के बाद सरकार का राजस्व बढ़ा है, क्योंकि कर चोरी पर अंकुश लगा है। डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग, ई-वे बिल और इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसी प्रक्रियाओं ने कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया है।

6. रोजगार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव : **संगठित क्षेत्र में वृद्धि:** पहले कई व्यवसाय अनौपचारिक रूप से चलते थे, लेकिन जीएसटी की वजह से वे संगठित क्षेत्र में आए हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन: जीएसटी के तहत व्यापार करना सरल हो गया है, जिससे स्टार्टअप्स और नए उद्यमों को बढ़ावा मिला है।

7. विदेशी निवेश और "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" भारत में व्यापार करना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। विदेशी निवेशक अब जीएसटी के कारण भारतीय बाजार को अधिक अनुकूल मान रहे हैं। विश्व बैंक की "ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस" रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।

8. कृषि क्षेत्र पर प्रभाव कृषि उत्पादों की अंतर्राज्यीय आवाजाही सुगम हुई है। कृषि से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी दर कम होने से किसानों को राहत मिली है। हालांकि, उर्वरकों और कीटनाशकों पर जीएसटी लागू होने से किसानों की लागत में थोड़ी वृद्धि हुई है।

जीएसटी से संबंधित चुनौतियां

1. जीएसटी की जटिलता हालांकि जीएसटी का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना था, लेकिन विभिन्न टैक्स स्लैब और लगातार बदलते नियमों के कारण छोटे व्यापारियों और कंपनियों को परेशानी होती है।

2. जीएसटी पोर्टल और तकनीकी समस्याएं जीएसटी रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, लेकिन शुरुआती वर्षों में इसमें कई तकनीकी समस्याएं आईं, जिससे व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

3. छोटे व्यापारियों पर प्रभाव छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण और अनुपालन करना चुनौतीपूर्ण रहा है। कम्पोज़िशन स्कीम के बावजूद, कई छोटे कारोबारी अभी भी कर प्रणाली से पूरी तरह से परिचित नहीं हैं।

4. कर राजस्व का असमान वितरण कुछ राज्य जीएसटी से अधिक लाभान्वित हुए हैं, जबकि कुछ राज्यों का राजस्व अपेक्षाकृत कम हुआ है।

जीएसटी का भविष्य और सुधार की दिशा

जीएसटी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं:

1. कर संरचना को सरल बनाना: चार कर स्लैब की जगह दो या तीन स्लैब अपनाने से कर प्रणाली अधिक सहज हो सकती है।

2. तकनीकी बुनियादी ढांचे में सुधार: जीएसटी पोर्टल की कार्यक्षमता को और मजबूत करना चाहिए ताकि कर अनुपालन सरल हो सके।

3. छोटे व्यापारियों के लिए अधिक राहत: कम्पोज़िशन स्कीम की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए और अनुपालन की प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए।

4. एकल रिटर्न फाइलिंग प्रणाली: विभिन्न फॉर्म भरने के बजाय एकल मासिक रिटर्न प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

भारत में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना और देशभर में एक एकीकृत कर व्यवस्था लागू करना था। हालांकि, जीएसटी के लागू होने के बाद कुछ जटिलताएँ बनीं, जो व्यापारियों, उपभोक्ताओं और सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुईं। इन जटिलताओं को सुधारने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं।

1. जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाना:

जीएसटी के तहत रिटर्न भरने की प्रक्रिया काफी जटिल हो सकती है, खासकर छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए। विभिन्न प्रकार के रिटर्न **(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9 आदि)** और समयसीमा का पालन करना एक चुनौती है। इसे सरल और केंद्रीकृत करने के लिए, एक रिटर्न प्रणाली बनाई जा सकती है, जहां सभी आवश्यक विवरण एक ही दस्तावेज़ में भरे जा सकें। इसके अलावा, रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और अधिक स्वचालित करने से समय और प्रयास दोनों की बचत हो सकती है।

2. शुल्क दरों में अधिक समानता: भारत में जीएसटी के तहत विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए अलग-अलग टैक्स दरें हैं, जो छोटे व्यापारियों के लिए समझना और पालन करना कठिन हो सकता है। जीएसटी दरों को कम करने और अधिक समान बनाने से व्यापारियों के लिए इसे लागू करना आसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, तीन प्रमुख दरें (5%, 12%, 18%) के बजाय केवल दो या तीन दरों को लागू किया जा सकता है, जिससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सरल हो।

3. मिनी जीएसटी की शुरुआत: छोटे व्यापारियों के लिए एक "मिनी जीएसटी" प्रणाली बनाई जा सकती है, जिसमें कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को कम से कम रिटर्न और अनुपालन की आवश्यकता हो। इसके तहत, छोटे व्यवसायों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और अन्य कर दायित्वों से बचाया जा सकता है, जो उन्हें नियमित व्यापार करने में मदद करेगा।

4. जीएसटी शिक्षा और जागरूकता: अक्सर व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों को जीएसटी के नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में सही जानकारी नहीं होती, जिससे वे गलतियां कर बैठते हैं और जुर्माना भरने के लिए बाध्य होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए, सरकार को जीएसटी के बारे में अधिक जागरूकता फैलानी चाहिए। जीएसटी पर प्रशिक्षण और सेमिनार आयोजित किए जा सकते हैं, ताकि व्यापारियों को नई प्रणाली के बारे में समझ हो सके।

5. क्रेडिट ट्रैकिंग में सुधार: जीएसटी के तहत, करदाता को अपने क्रेडिट का दावा करने के लिए सप्लायर से सही इनवॉयस की जरूरत होती है। कभी-कभी, सप्लायर द्वारा इनवॉयस सही से दाखिल नहीं किया जाता, जिससे खरीदार को क्रेडिट लेने में कठिनाई होती है। इसे सुधारने के लिए सरकार को सख्त निगरानी और क्रेडिट ट्रैकिंग प्रणाली में सुधार लाना होगा, ताकि व्यापारियों को सही समय पर अपना क्रेडिट मिल सके और नकली इनवॉयस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके।

निष्कर्ष: जीएसटी के तहत जटिलताओं का समाधान, इसके सही और प्रभावी अनुपालन के माध्यम से किया जा सकता है। सही नीति, सुधारात्मक कदम, शिक्षा और ऑटोमेशन से जीएसटी प्रणाली को अधिक प्रभावी, सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। इस तरह, व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए जीएसटी एक लाभकारी और सहज प्रणाली बन सकती है।

जीएसटी एक क्रांतिकारी कर सुधार है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दिया है। हालांकि, इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधारों की आवश्यकता बनी रहेगी। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए, तो जीएसटी भारत के आर्थिक विकास को और गति देने में सक्षम होगी।

शब्द शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Compte joint	con-t zong	फ्रेंच	संयुक्त खाता
Virement	vee-reh-mohnt	फ्रेंच	हस्तांतरण
Kreditkarte	kreh-dit-kahr-tah	जर्मनी	क्रेडिट कार्ड
Per capita	puh ka-puh-tuh	लैटिन	प्रति व्यक्ति
Gratia	grah-Tiy-aa	लैटिन	धन्यवाद
Ex post facto	eks postet fak-toh	लैटिन	इस तथ्य के बाद
Magnum Opus	Mag-nuhm oh-puhs	लैटिन	एक महान कार्य
Acte de vente	aa-k-t-ee-de vente	फ्रेंच	बिक्री विलेख
Bank Filiale	Bank- fi-lee-uhl	जर्मनी	बैंक शाखा
Quittance	Kvit-uhns	फ्रेंच	रसीद
Benefice	Beh-nuh-fush	मध्यकालीन अंग्रेजी	धर्मवृत्ति
Facile	Fa-sile	फ्रेंच	आसान
Die hypothek	die-hee-poe-tehk	जर्मनी	बंधक
Corpus Juris	Ko-rpes-dju-ris	लैटिन	कानून का निकाय
Attendre	ein-kom-men-steu-er	जर्मनी	आय कर
Ipso Facto	Ip-soh-fak-tob	लैटिन	तथ्य से
Rendezvous	Rawn-day-voo	फ्रेंच	मिलन स्थल
Zahlung	Tsaa-lung	जर्मनी	भुगतान
un impot	un -impot	फ्रेंच	कर

पी राजशेखर
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु

कंठस्थ – स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली

रेणु सरोज, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर

कंठस्थ क्या है – कंठस्थ एक सॉफ्टवेयर समर्थित अनुवाद प्रणाली है जो विभिन्न दस्तावेजों को एक भाषा से दूसरी भाषा में (हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी) अनुवाद करने में सहायता करती है । कंठस्थ विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम अनुवाद प्राप्त करने के लिए अनुवाद स्मृति (टीएम) और न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (एनटीएम) के मिश्रित दृष्टिकोण को नियोजित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में कोई अनुवाद भूल न जाए।

अनुवाद स्मृति अनिवार्य रूप से एक डेटाबेस है जो अनुवादित डेटा को संरेखित स्त्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा खंडों के रूप में संग्रहीत करता है । अनुवाद स्मृति प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक अनुवादक को एक नई फाइल पर काम करते समय पहले अनुवादित खंडो का पुन: उपयोग करने में सक्षम बनाता है, या तो पूर्ण मैच या टीएम में आंशिक मैच के माध्यम से।

टीएम का डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं: ग्लोबल ट्रांसलेशन मेमोरी (जीटीएम) तथा लोकल ट्रांसलेशन मेमोरी (एलटीएम) । एलटीएम प्रत्येक अनुवादक के कंप्यूटर पर अलग – अलग होती है , जबकि जीटीएम एक सामूहिक डेटाबेस है, जोकि राजभाषा विभाग के सर्वर पर उपलब्ध है।

ट्रांसलेशन मेमोरी पर आधारित यह सिस्टम, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग ने सी-डैक, पुणे की मदद से विकसित किया है।

सिस्टम की मुख्य विशेषताएं:

- लोकल एवं ग्लोबल टी.एम. बनाना
- वर्क-फ्लो संयोजन
- अनुवाद के लिए टी.एम. से पूर्ण मिलान
- अनुवाद के लिए टी.एम. से आंशिक मिलान
- पैकेज बनाने/अन्य कम्प्यूटर से प्राप्त करने/अन्य कम्प्यूटर पर भेजने की सुविधा
- प्रोजेक्ट बनाने/अन्य कम्प्यूटर से प्राप्त करने/अन्य कम्प्यूटर पर भेजने की सुविधा
- फाइल को अन्य कम्प्यूटर से प्राप्त करने/अन्य कम्प्यूटर पर भेजने की सुविधा
- गुणवत्ता निर्धारक मानदंड
- अनुवादित फाइल का विश्लेषण - अनुवादित फाइलों की संख्या, पूर्ण एवं आंशिक रूप से मिले हुए वाक्यों की संख्या, प्राप्त/अप्राप्त शब्द इत्यादि की रिपोर्ट
- एक समय-विशेष में बनाए गए पैकेज, प्रोजेक्ट तथा अनुवाद की गई फाइलों की रिपोर्ट
- न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन
- चैटबॉट
- द्विभाषिक फाइल को डाउनलोड एवं अपलोड करना
- विभिन्न फाइल एक्सटेंशन को समर्थन
- फाइल फॉर्मेट को यथावत रखना

कंठस्थ सॉफ्टवेयर को ऐप स्टोर से डाउनलोड करने का तरीका

- ऐप स्टोर पर जाएं।
- सर्च बार में कंठस्थ टाइप करें।
- कंठस्थ सॉफ्टवेयर का विकल्प चुनें।
- डाउनलोड पर क्लिक करें।

पंजीकरण

डाउनलोड करने के बाद कंठस्थ का उपयोग करने से पूर्व प्रयोगकर्ता को पंजीकरण करना आवश्यक है । इस सिस्टम में पंजीकरण करने के लिए पंजीकरण बटन दबाएं एवं पंजीकरण फार्म में आवश्यक सूचनाएं भरें । पंजीकरण की प्रक्रिया में प्रयोगकर्ता की ई-मेल आई.डी. का सत्यापन किया जाता है । प्रयोगकर्ता द्वारा अपनी ई-मेल आई.डी. लिखे जाने पर वेरिफाई बटन सक्रिय होता है । इस बटन को दबाने पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) दिए गए मेल पर प्राप्त होगा। प्रयोगकर्ता को ई-मेल के सत्यापन के लिए इस ओ. टी. पी. को दिए गए बॉक्स में लिखना है। पंजीकरण फार्म के लिए आवश्यक सूचनाएं नीचे दिए गए चित्र में दर्शायी गई है:

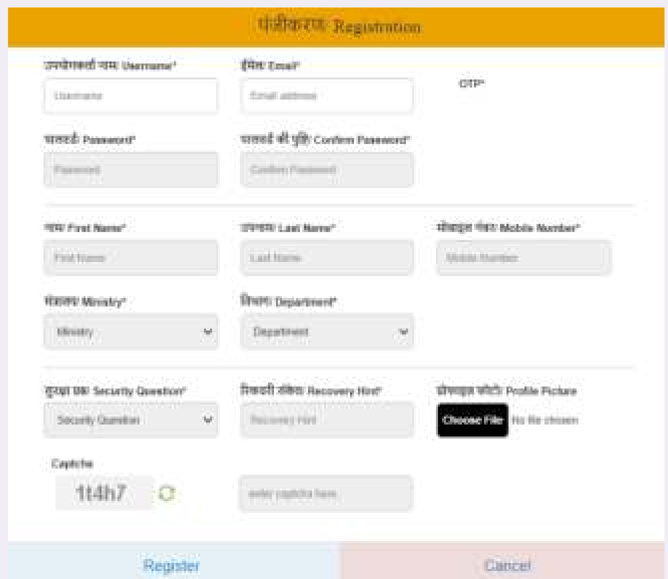

सभी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि एवं सत्यापन के पश्चात रजिस्टर बटन दबाएं। पंजीकरण – प्रक्रिया सफलतापूर्वक होने पर निम्न पृष्ठ खुलेगा। यहाँ दिखाई दे रहे लॉग-इन बटन को दबाने से लॉग-इन पृष्ठ खुलेगा।

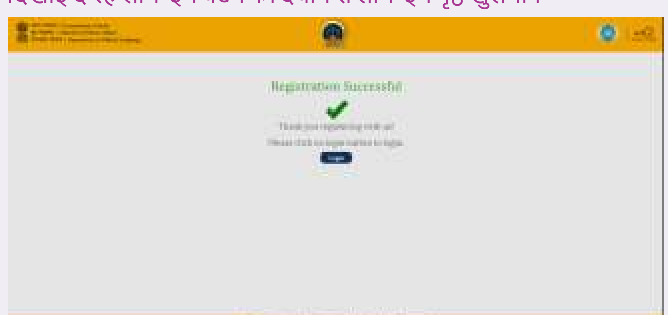

लॉग – इन

ट्रांसलेशन मेमोरी के इस वेब-एप्लिकेशन का प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता अपने यूजरनेम एवं पासवर्ड के साथ-साथ स्क्रीन पर प्रदर्शित "Captcha" कॉलम को भरकर लॉग-इन बटन को दबाएं । इसके पश्चात, सिस्टम यूजरनेम एवं पासवर्ड की जांच करता है एवं "Captcha" प्रविष्टि के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम का मानवीय, न कि यांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है । सत्यापन के सफल होने पर निम्न पृष्ठ दिखाई देता है :

कंठस्थ से अनुवाद करने में सहायता मिलती है । इस तकनीक के जरिए प्राप्त अनुवाद में दूसरी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से कोई परहेज नहीं किया गया है । कुछ शब्द ज्यों के त्यों अंग्रेजी से हिन्दी में लिप्यांतरित कर दिए जाते हैं जैसे – ट्रांसलेशन मेमोरी जिसका संक्षिप्तीकरण टी. एम. किया गया है ।

इस सिस्टम में अनुवाद के लिए प्रयोग हेतु प्रयोगकर्ता को नया फोल्डर बनाना आवश्यक है ।

नया फोल्डर बनाने के लिए :

- सबसे पहले प्रोजेक्ट चुनें
- अब Create Folder विकल्प चुनें
- एक नया पृष्ठ खुलेगा
- इस नए पृष्ठ में फोल्डर का नाम एवं फोल्डर का विवरण इत्यादि सूचना भरें
- उस प्रोजेक्ट का नाम चुनें जिसके अंतर्गत नया फोल्डर बनाना है
- इस फोल्डर के लिए पहले से मौजूद ट्रांसलेशन मेमोरी को चुनें अथवा नई बनाएं

ट्रांसलेशन मेमोरी पर आधारित अनुवाद पद्धति मशीन द्वारा की गयी अनुवाद प्रणाली का एक भाग है जिससे अनुवाद की प्रक्रिया में सहायता मिलती है । इस पद्धति के द्वारा पूर्व में किए गए अनुवाद को भविष्य में किए जाने वाले अनुवाद के लिए प्रयोग करना संभव होता है ।

ट्रांसलेशन मेमोरी के दो प्रकार हैं : प्राथमिक ट्रांसलेशन मेमोरी और द्वितीयक ट्रांसलेशन मेमोरी

प्राथमिक ट्रांसलेशन मेमोरी – प्रोजेक्ट बनाते समय प्रयोगकर्ता प्राथमिक ट्रांसलेशन मेमोरी का निर्धारण कर सकता है । प्रयोगकर्ता द्वारा किया गया अनुवाद कार्य इसी प्राथमिक ट्रांसलेशन मेमोरी में ही सेव होता है । एक फोल्डर के अंतर्गत केवल एक ही प्राथमिक ट्रांसलेशन मेमोरी हो सकती
है ।

द्वितीयक ट्रांसलेशन मेमोरी - प्राथमिक ट्रांसलेशन मेमोरी के अतिरिक्त सिस्टम में द्वितीयक ट्रांसलेशन मेमोरी भी हो सकती है । इस द्वितीयक ट्रांसलेशन मेमोरी को प्रयोगकर्ता स्वयं भी बना सकता है अथवा किसी अन्य फोल्डर में प्रयुक्त मेमोरी को भी द्वितीयक ट्रांसलेशन मेमोरी के रूप में प्रयोग कर सकता है । यदि किसी वाक्य का अनुवाद प्राथमिक ट्रांसलेशन मेमोरी में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम उस वाक्य का अनुवाद द्वितीयक ट्रांसलेशन मेमोरी में ढूढ़ेगा ।

ट्रांसलेशन मेमोरी बनाने के लिए :

- Create TM बटन दबाएं
- आवश्यक सूचनाएं भरें
- ट्रांसलेशन मेमोरी का नाम लिखें तथा लक्षित भाषा चुनें
- यदि आप इसे प्राथमिक मेमोरी बनाना चाहते हैं तो बॉक्स में विकल्प चुनें । बॉक्स में विकल्प न चुनने पर वह द्वितीयक ट्रांसलेशन मेमोरी रहेगी ।

यदि आपके पास अन्य प्रयोगकर्ता / सिस्टम से प्राप्त कोई जिप फोल्डर है तो Import Folder मेनू बटन से उसे अपने सिस्टम पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपके द्वारा किए हुए कार्य का अन्य प्रयोगकर्ता भी उपयोग कर सकें अथवा स्वयं एक सिस्टम पर किए गए कार्य का अन्य सिस्टम पर प्रयोग करना चाहते हैं तो Export Project बटन से भेज सकते हैं ।

Translate All बटन के माध्यम से एडिटर पर सभी स्रोत वाक्यों का एक ही बार में लक्षित भाषा में अनुवाद प्राप्त किया जा सकता है ।

यदि कोई उपयोगकर्ता फोल्डर नहीं बनाना चाहता है तो Instant Translation बटन के माध्यम से सीधे ही फाइल का अनुवाद कर सकते है । इसके लिए स्क्रीन पर बने बॉक्स में विषय –वस्तु लिखे अथवा कॉपी करें और एडिटर वाले बटन पर क्लिक करे । फाइल एडिटर में खुल जाती है और वहाँ से तुरंत अनुवाद प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार कंठस्थ स्क्रीन पर कोई प्राप्त सूचना, संदेश,प्रेषित फाइल के बारे में अद्यतन जानकारी लेने के लिए नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं। स्थानीय और वैश्विक टी. एम. के निर्माण के अंतर्गत वाक्यों को उनके अनुदित रूप के साथ क्रमबद्ध ढंग से सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग किया जा सके । कंठस्थ विभिन्न फाइल एक्सटेंशन का समर्थन करते हुए लगभग सभी फाइलों के स्वरूप से इनपुट लेकर उनका अनुवाद करने की क्षमता भी रखता है ।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके जरिए जो भी विषय-सामग्री ग्लोबल मेमोरी में जाती है, वह सुरक्षित रहेगी । यह एप्लिकेशन काफी सुरक्षित और विश्वनीय है । इसके जरिए कार्यालयी अनुवाद अंगेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बड़ी सुगमता से कर सकते हैं ।

कैशलेस सोसाइटी में बैंकिंग का भविष्य

मधुमिता कर, ग्राहक सेवा सहयोगी, रायपुर क्षेत्र

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र एक निरंतर आधार पर विकसित हो रहा है, जिसमें इसके अनन्य होने से लेकर सामाजिक सुधार और वित्तीय समावेशन का वाहक बनना भी शामिल है । आज के आधुनिक समय में पूरी दुनिया में कैशलेस अर्थव्यवस्था देखी जा सकती है। हमारे देश में भी कैशलेस उपयोग में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है । नकदी रहित भारत मिशन की शुरुआत नवम्बर 8, 2016 में हुई थी जब भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी पहल करते हुए 500 एवं 1000 रुपए के पुराने नोटो का अचानक चलन से बाहर कर दिया। विमुद्रीकरण के बाद भारत में डिजिटल माध्यम द्वारा किए गए नकद लेन-देन में भारी उछाल देखने को मिला। ग्लोबल पेमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में कैश का उपयोग दर 2019 में 71%, 2023 में 18% तथा 2027आने तक 10% ही रह जाएगा ।

सरल शब्दों में कहें तो, कैशलेस भुगतान का मतलब है बिना नकदी के पैसे का लेन-देन करना है। आज, कैशलेस भुगतान करने के कई तरीके हैं, जैसे कि मोबाइल ऐप, ऑनलाइन बैंकिंग और डेबिट / क्रेडिट कार्ड इत्यादि। ये तरीके भौतिक रूप से नकद राशि को संभाले बिना चीज़ों के लिए भुगतान करने का एक त्वरित तरीका प्रदान करते हैं।

डिजिटल तकनीक के माध्यम से नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के बहुत लाभ है, जो निम्नानुसार है -

- समय की बचत
- सुविधाजनक
- सरकारी पैसे की बचत,जो नकद छापने तथा परिवहन खर्च को बचाता है।
- अवैध गतिविधियों पर रोक व निगरानी
- भुगतान साक्ष्य
- कैश के लेन-देन से होने वाली विभिन्न प्रकार के इन्फ़ैकशन व बीमारियों से बचाव

कैशलेस सोसाइटी अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें डिजिटल माध्यम या तकनीक के उपयोग से सभी कार्य होते हैं । कैशलेस पेमेंट करने के लिए बैंकिंग के विभिन्न चैनल या डिजिटल बैंकिंग सुविधा का उपयोग किया जाता है। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई (एकत्रित भुगतान इंटरफ़ेस) पेमेंट ऐप के माध्यमों से कैशलेस बैंकिंग या भुगतान किया जा सकता है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि हर जगह नकदी ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे चोरी के कारण नकदी खोने का जोखिम कम हो जाता है और जेब में बहुत ज़्यादा नकदी रखने की परेशानी भी खत्म हो जाती है। इससे जाली मुद्रा का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पैसा सीधे बैंकों से और बैंकों को भेजा और प्राप्त किया जाता है।

बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी सोसाइटी के विकास के लिए आवश्यक है। फिर चाहे वह सरकारी योजना का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंचाना हो या सरकार तक नागरिकों या किसी विभाग द्वारा आय कर या प्रभारों का भुगतान किया जाना हो, बैंक या बैंकिंग उत्पादों के उपयोग के बिना यह संभव नहीं है।

हम बैंकिंग की बात करें तो हर घर में बैंक या उसकी सेवाएं आभासी रूप से घुल-मिल चुकी है। आज किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए आपको बैंक जाकर पैसा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं रही है क्योंकि डिजिटल बैंकिंग की सहायता से आज हर कोई कैशलेस बैंकिंग कर रहा है जिससे उन्हें पैसे जेब में या पर्स में रखकर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि वे केवल अपना मोबाइल फोन या डेबिट/क्रेडिट कार्ड्स आदि से पेमेंट कर सकते हैं।

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत आज भारत में, शहर हो या गाँव, हर कोई डिजिटल होता जा रहा है। अधिकतर लोगों को डिजिटल माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के लाभ के बारे में पता है तथा हर किसी को यह ज्ञात है कि सुविधाजनक या सुरक्षित बैंकिंग डिजिटल भुगतान से हो सकती है।

आज के इस रोज़मर्रा की दौड़ती भागती हुई जीवनशैली में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो हर वक्त अपने साथ नकदी ले कर चले या बैंक एटीएम का चक्कर लगाता रहे। भविष्य में हमारी जीवन शैली और भी रोबोटिक मशीनों की तरह हो जाएगी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाएगा। ऐसे में हमें सरल समाधान ढूंढने की ज़रूरत है जो भविष्य में हमारी सोसाइटी में बैंकिंग का महत्व बरकरार रखे।

जे पी मॉर्गन जी ने कहा है "किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसे किसी सरल रूप में न बदल दिया जाए। किसी अस्पष्ट कठिनाई को एक विशिष्ट व ठोस रूप में बदलना आपकी सोच का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है"।

वर्तमान में देखें तो, नकदी प्रचलन से बाहर होती जा रही है। विभिन्न प्रकार के बिलों से भरा हुआ बटुआ ले जाने के बजाए, अब आप अपनी ख़रीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वालेट ऐप आदि प्रकार की मनी ट्रांसफर प्रक्रियाओं पे भरोसा कर सकते है । कई मायनों में, भुगतान की ये कैशलेस प्रणालियाँ जीवन को आसान बनाती है। कार्ड स्वाइप करने या फोन को स्कैन करके अपनी ज़रूरत का सामान खरीदना त्वरित और आसान हो जाता है। इसमें नकदी को गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको नकदी निकालने के लिए बैंक में रुके बिना जब चाहे अपनी ज़रूरत की वस्तु खरीदने की अनुमति देता है। यह खुदरा विक्रेताओं के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि उन्हें हर दिन उतनी नकदी जमा नहीं करनी पड़ती और वे अपनी खाता बही को अधिक आसानी से संतुलित कर सकते है,क्योंकि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर आधारित बिक्री तुरंत और निर्बाध रूप से कम्प्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर सकती है।

अवैध गतिविधियों से सुरक्षा :-

कैशलेस लेन-देन से हमें कानून प्रवर्तन में मदद मिल सकती है। कैशलेस

भुगतान के विभिन्न प्लेटफॉर्म अधिकांश रूप से इस बात का डिजिटल रिकॉर्ड रखते हैं कि ख़रीदारी कब और कहां की गई है जिससे अपराधिक व्यवहार का पता लगाने या उस पर नज़र रखने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त आप समाचार में या अखबार में पढ़ते होंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी या इंटरनेट धोखाधड़ी क्या है, यह संदर्भित करती है कि ऑनलाइन लेन-देन से बहुत सी धोखाधड़ी की जाती है लेकिन इसका मुख्य कारण ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करने वाले अधिकांश वे लोग हैं जो ऑनलाइन लेन-देन के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षित प्रक्रियाओं से अंजान है यदि वे सही प्रक्रिया का पालन करें तो इन धोखाधड़ियों से आसानी से बच सकते हैं।

बैंक ऑनलाइन लेन-देन करते वक्त तथा समय-समय पर बैंक की शाखाओं में जाने पर भी विभिन्न प्रकार के अपराधों से अवगत कराता है ताकि उनका ग्राहक सुरक्षित बैंकिंग कर सके तथा कभी धोखाधड़ी का शिकार हो जाने पर अतिशीघ्र बिना विलंब के ग्राहक की समस्या के समाधान हेतु नियमित कदम उठाते हैं और यह प्रयास करते हैं कि ग्राहकों को उनकी धनराशि अतिशीघ्र मिल जाए।

कैशलेस अर्थव्यवस्था स्वचालित भुगतान का एक अभिन्न अंग है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करता है। यह देनदारियों को लाभ पहुंचाता है और अर्थव्यवस्था में प्रगति लाने का काम करता है। कैशलेस अर्थव्यवस्था नकदी की चोरी या धोखाधड़ी को रोकने या खत्म करने में मदद करती है। नोटबंदी के बाद इसके फायदे भी देखने को मिले हैं। काले धन के प्रचलन को कम करके और कर अनुपालन में सुधार करके, नकदी रहित भुगतान एक स्वस्थ वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है।

कैशलेस का एक फायदा यह भी है कि यदि आप सैकड़ों रूपए की नकदी अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं, तो आप डकैती के लिए कम लक्षित हैं और यहां तक कि अगर कोई चोर आपके क्रेडिट कार्ड या स्मार्टफोन चुरा भी लेता है, तो ज्यादातर कंपनियां चोरी से सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको अपने कार्ड या मोबाइल वॉलेट ऐप पर किसी भी अपराधी द्वारा खरीदी गई किसी भी चीज़ के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

डिजिटल बैंकिंग:-

जिस तरह हमारी सोसाइटी कैशलेस होती जा रही है हम आज बिना किसी रुकावट के आसानी से एक क्लिक पर धनराशि कहीं भी प्रेषित कर सकते हैं यह इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री ने इसको कई साल पहले ही यह भांप लिया था कि बैंकिंग का भविष्य क्या है और इसी कारण ऑनलाइन लेन-देन के लिए कई प्लेटफॉर्म तैयार किए गए । अभी भी बैंकिंग इंडस्ट्री ने भविष्य में होने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करके रखा हुआ है। लोग चाहे बैंक में आए या ना आए पर बैंक अपनी सेवाओं को उन तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा रहा है और पहुंचाता रहेगा । ग्राहक अपने घर से ही लैपटाप / मोबाइल या कार्ड्स की मदद से अपना काम कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ने डिजिटल हब या ग्राहक सेवा केंद्र बना कर रखे हैं ।

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या और ई-कॉमर्स बाजार के आकार में अपेक्षित वृद्धि के साथ भारत में डिजिटल भुगतान का भविष्य उज्ज्वल दिखता है। डिजिटल भुगतान डैशबोर्ड को 118 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, भुगतान, क्षेत्रीय ग्रामीण और विदेशी बैंकों के साथ एकीकृत किया गया है।

भविष्य की बैंकिंग:- बैंकिंग उद्योग में तकनीक की प्रगति से सुरक्षा बढ़ती है,परिचालन दक्षता में सुधार और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने में मदद करती है। इस प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण समय में बैंक को सफल होने के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा -

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस –** ए.आई बैंक को उच्च कोटि की डिजिटल बैंकिंग सेवा देने में सहायता प्रदान करता है जैसे बैंक में खाता खोलना, खाते का विवरण देखना, ऋण संबंधी कार्यों में सुविधा प्रदान करना आदि। एआई द्वारा बैंकिंग सेवाओं को सरल व सुविधाजनक बनाया जा रहा है तथा यह ग्राहकों एवं कर्मचारियों में आधुनिक बैंकिंग का लाभ देती है।
- **ओपन बैंकिंग -** ये तकनीक ग्राहकों को अद्वितीय वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और खुदरा बैंकों के बीच साझेदारी बनाने में मदद करती है।
- **अति व्यक्तिगत (पर्सनलाइज्ड) बैंकिंग:-** लोग आज अत्यधिक ऑनलाइन ई-कॉमर्स अनुभवों के आदि हो गए हैं और उन्हे बैंक से भी यही उम्मीद है। व्यक्तिगत मोबाइल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने से ग्राहक प्रतिधारण में सुधार होता है और सकारात्मक संचार बढ़ता है ।
- **ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी-** ब्लॉकचेन अक्सर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी होती है हालांकि, यह उससे कहीं अधिक बड़ी है। यह सभी वित्तीय लेन-देन का अत्यधिक सुरक्षित, छेड़छाड़–रोधी और शाश्वत रिकॉर्ड प्रदान करता है । यह बैंकिंग लेन-देन की गति और दक्षता में सुधार करती है, विशेषकर सीमा पार लेन-देन के सिलसिले में यह सुविधाजनक है ।

अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भविष्य में बैंकिंग उद्योग अति आधुनिक रूप से सोसाइटी को अपने उपयोग के अनुरूप आदि बना चुका होगा तथा वर्तमान में होने वाले दिन-प्रतिदिन के बदलाव जो आधुनिकता का प्रसार करते हैं इन्हें अपनाकर लोग बैंकिंग सेवाओं का आनंद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सोसाइटी भले ही कैशलेस हो जाए, ग्राहक को अपने कैशलेस माध्यमों के उपयोग के लिए बैंक एवं बैंकिंग उत्पादों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। बैंक भविष्य में होने वाले सम्पूर्ण डिजीटलाईज़ेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है जो ग्राहकों के कैशलेस भुगतान या इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रांसफर को सरलता से पूर्ण करेगा तथा साइबर धोखाधड़ी से भी सुरक्षा प्रदान करेगा।

2030 तक बैंकिंग अदृश्य, अंतर्दृष्टि – संचालित और उद्देश्यपूर्ण होगी। तेज़ी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में, बैंकों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए बैंक में अनुकूलन और नवप्रवर्तन

की आवश्यकता है। लेकिन इन तमाम बदलावो के बीच भरोसे का महत्व लगातार बना हुआ है। वर्तमान परिदृश्य बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक बदलाव हेतु प्रेरित करता है ताकि इसके लचीलेपन में सुधार हो और वित्तीय स्थिरता बनी रहे। इस संदर्भ में सरकार ने हाल ही में नए बैंकिंग सुधारों की घोषणा की है , जिसमें बुनियादी ढांचे के लिए एक विकास वित्त संस्थान (डी.एफ़.आइ) की स्थापना , एक बेड बैंक का निर्माण शामिल है।

एक नए बैंकिंग व्यवसाय मॉडल का उदय: बैंकिंग-एज़-ए-सर्विस(BaaS) चूंकि पारंपरिक बैंको को बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें आगे बने रहने के लिए प्लैटफ़ार्म आधारित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यहीं पर बैंकिंग एज़ ए सर्विस (BaaS) की भूमिका आती है, जो ऑफ द शेल्फ आइटी प्लैटफ़ार्म प्रदान करता है जो बैंको को नवीन उत्पादों और सेवाओं को तेजी से लाँच करने में सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष- बैंकिंग उद्योग एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुज़र रहा है। इस तेज़ी से बदलते परिदृश्य में सफलता के लिए सक्रिय कार्रवाई करते हुए एक कदम आगे रहने की आवश्यकता है। बैंकिंग उद्योग, अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्रों के साथ, अगले कुछ वर्षों में अधिक ग्राहक सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी संचालित नवविचार के कारण महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव करने के लिए तैयार है ।

बैंकिंग का भविष्य-पूर्व वर्ष और उसके बाद की रिपोर्ट इस क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंकर विकसित होते व्यावसायिक परिदृश्य के विस्तृत अवलोकन से लेस है। अतः भविष्य की बैंकिंग प्रणाली उस अनुरूप तैयार हो चुकी है जो आगे की पीढ़ी के लिए उपयोग करने में समर्थ तथा सुरक्षित है। कैशलेस सोसाइटी पूर्णतः बन जाने पर बैंकिंग उद्योग पर और भी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी । बैंक ग्राहकों तक अपनी सेवाएं सक्षम रूप से देने और देश की वित्तीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की भूमिका अतुलनीय रहेगी।

मोबाइल के बाहर है एक 'दुनिया' ॥

आज मैं मोबाइल घर में भूल गई...
दुखी हुई कि अब पूरे रास्ते भर क्या करूंगी,
खुद पर गुस्सा आया, पर अब जो भूल गई,
तो खामियाजा बोरियत से भरूंगी ॥

बस खिड़की पर सिर रख लिया
सड़कों को निहारने लगी,
आसमान को नापने लगी,
और खुद को मन ही मन में खूब डांटने लगी ॥

फिर देखा आसमान में घर जाते हुए पंक्षी को,
आसमान में कोई चित्रकला-सी बनाते हुए,
पंख को हवा में लहराते हुए कितनी खुशी से,
वो जा रहे हैं, अपने घर मुस्कुराते हुए ॥

मेरे बगल में बैठी दादी को देखा, जो खुश थी,
अपने नाती-पोतों से मिल के, उन्हें खिलाने के लिए,
देखा उस प्रेमी को, जो जा रहा है शादी करने,
अपनी प्रेमिका के साथ घर बसाने के लिए ॥

किसी को जल्दी है कही पहुंचने की,
किसी ने इंतजार के मजे को समझा,
कोई खुश है अपने सफर से,
किसी को किसी से दूर जाने का ग़म था ॥

धुंधलाने लगी रोशनी ऐसा लगा मानो,
मैंने बरसों बाद शाम होते हुए देखा,
ढलने लगा सूरज, जब क्षितिज पर,
मैंने गगन का धरती के लिए गुलाबी पैगाम देखा ॥

सुनी मैंने गुफ्तगू चिड़ियों के चहचहाने की,
सुना रास्ते का शोर, सुनी खामोशी संध्या की,
दिल की धड़कने सुनाई दी पहली बार,
वो मोबाइल वाली दुनिया कितनी बड़ी मिथ्या थी ॥

कितना कुछ नजरंदाज कर रहे हैं हम,
ये खूबसूरत नज़ारे, हसीन यादें,ये रंगीन फिजा,
खो गए एक ऐसी दुनिया में जो बनावटी है,
जिसमें डूब कर अब इंसान, इंसान नहीं रहा ॥

अंजली तिवारी
ग्राहक सेवा सहयोगी
रायपुर क्षेत्र

डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय समावेशन: एक नवभारत की ओर यात्रा

सोमशुभ्र बनर्जी, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली

वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान आधुनिक भारत के आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रतीक बन चुके हैं। इन दोनों ने न केवल आर्थिक गतिविधियों को सरल और सुलभ बनाया है, बल्कि समाज के उन वर्गों को भी मुख्यधारा में शामिल किया है जो अब तक वित्तीय सेवाओं से वंचित थे। यह परिदृश्य देश की आर्थिक स्थिरता, समृद्धि और न्यायसंगत विकास की ओर एक मजबूत कदम है, जो न केवल तकनीकी परिवर्तनों के प्रभाव को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

वित्तीय समावेशन: प्रधानमंत्री जन-धन योजना का प्रभाव

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक पहुँच अत्यधिक असमान है, वहाँ वित्तीय समावेशन की अवधारणा विशेष महत्व रखती है। इस आवश्यकता को समझते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) का शुभारंभ किया। यह योजना न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की सशक्त नींव रखी है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिक को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना था, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और आर्थिक गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी निभा सकें। इस योजना का लक्ष्य सिर्फ बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण था, जो क्रेडिट, बीमा, और निवेश जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय उत्पादों तक आसान पहुँच को सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है । 28 अगस्त 2023 तक, इस योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के नाम पर और 67% खाते ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में खोले गए। यह आंकड़ा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वित्तीय सेवाओं तक पहुँच अब समाज के हर वर्ग तक फैल चुकी है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, पुरुष हो या महिला।

हालाँकि, पीएमजेडीवाई ने भारतीय समाज में वित्तीय समावेशन की यात्रा का सूत्रपात किया, लेकिन इस योजना का वास्तविक प्रभाव उन लोगों पर अधिक पड़ा, जो पहले बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बैंक शाखाओं की कमी थी और लोग अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक उधारी नेटवर्क पर निर्भर थे, वहाँ इस योजना ने एक नया अवसर प्रदान किया। अब इन लोगों को भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनने का मौका मिला, जिससे वे क्रेडिट, बीमा, और बचत की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इसका सबसे बड़ा प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है। महिलाएँ, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में, आर्थिक निर्भरता की स्थिति में रही हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम उठाने का अवसर प्रदान किया। योजना में महिलाओं के लिए विशेष प्राथमिकताएँ दी गई हैं, जैसे कि उनके नाम पर खाता खोलने की सुविधा और लघु ऋणों तक आसान पहुँच। इस प्रकार, इस योजना ने न केवल आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को भी सशक्त किया।

वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान का संगम

वित्तीय समावेशन का लक्ष्य सिर्फ बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन सभी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है, जो किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती हैं। यहाँ डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में डिजिटल भुगतान ने वित्तीय समावेशन को एक नई दिशा दी है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की वृद्धि के कारण, अब गाँव-गाँव में भी लोग डिजिटल भुगतान के माध्यम से अपनी खरीदारी कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, और अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान का जो उभार हुआ, वह एक अप्रत्याशित, लेकिन आवश्यक बदलाव था। सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कीं, जैसे यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), बैंकिंग ऐप्स, और डिजिटल वॉलेट्स का विकास। इन उपायों ने न केवल आम नागरिक के लिए भुगतान को सहज बनाया, बल्कि उन्होंने वित्तीय संस्थाओं के लिए एक नए अवसर भी उत्पन्न किए, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय सेवाएँ अधिक सुलभ और सर्वव्यापी हो गईं।

इसका एक और पहलू यह है कि डिजिटल भुगतान ने भुगतान प्रणाली को पारदर्शी और सुलभ बनाया है। पहले जहाँ नकद लेन-देन में कई बार भ्रष्टाचार और काले धन का प्रवाह देखा जाता था, वहीं अब डिजिटल लेन-देन से यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो गई है। इसके अलावा, सरकार की कई योजनाओं जैसे कि सब्सिडी और लाभार्थी ट्रांसफर को भी सीधे डिजिटल माध्यमों से लागू किया गया है, जिससे सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है।

वित्तीय समावेशन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

वित्तीय समावेशन का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। यह उन लाखों भारतीयों के लिए एक अवसर है, जो अब तक वित्तीय सेवाओं से वंचित थे। इस प्रक्रिया ने न केवल आर्थिक विकास में तेजी लाई है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब गरीब और पिछड़े वर्गों के लोग भी वित्तीय उत्पादों तक पहुँच पा रहे हैं, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो रहा है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना और डिजिटल भुगतान ने एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया है, जो न केवल सुलभ है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक कदम है। यह समावेशी अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो न केवल भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

इस प्रकार, वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है, बल्कि यह समाज में समृद्धि और समानता की नई नींव भी रख रहा है। यह एक नई आर्थिक दृष्टि का प्रतीक

है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को आर्थिक सेवाओं तक समान पहुँच है, और यह एक कदम और आगे बढ़कर भारत को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

वर्तमान में भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, डिजिटल भुगतान और माइक्रोफाइनेंस जैसे अभिनव वित्तीय उपायों ने जीवन की गुणवत्ता को न केवल सुधारने का कार्य किया है, बल्कि यह आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। ये छोटे, लेकिन सशक्त बदलाव समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दे रहे हैं। बड़वानी जिले की सुनीता बाई, दिल्ली की अंजु, वाराणसी के रामलाल मिश्रा, और अयोध्या के अन्नू मांझी जैसे लोगों की कहानियाँ यह दर्शाती हैं कि कैसे डिजिटल भुगतान और माइक्रोफाइनेंस ने उनके जीवन को बदल दिया है, और किस प्रकार ये बदलाव उनके व्यवसायों और रोजमर्रा की जिंदगी को सरल, सशक्त और अधिक लाभकारी बना रहे हैं।

सुनीता बाई: हस्तशिल्प व्यवसाय से माइक्रोफाइनेंस तक का सफर

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की सुनीता बाई एक समय था जब उन्हें अपने छोटे से हस्तशिल्प व्यवसाय के लिए महाजनों से ऊँची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता था। यह ऋण उनकी वित्तीय स्थिति को और कठिन बना देता था, क्योंकि महाजन के द्वारा लिए गए ऋण में उधारी की दरें इतनी अधिक होती थीं कि उन्हें इसे चुका पाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब, माइक्रोफाइनेंस और डिजिटल बैंकिंग की उपलब्धता ने सुनीता बाई के जीवन को एक नया मोड़ दिया है।

अब, वे सीधे माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऋण प्राप्त कर रही हैं, जिससे उन्हें पहले की तुलना में बहुत कम ब्याज दरों पर ऋण मिलता है। इसके अलावा, उनके डिजिटल लेन-देन के रिकॉर्ड ने उन्हें बैंक से औपचारिक ऋण लेने योग्य बना दिया है। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उनका व्यवसाय भी तीन गुना बढ़ चुका है। सुनीता ने अपनी सफलता का लाभ अन्य महिलाओं को भी दिया है। अब वे उन महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं, जो छोटे व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, और उन्हें भी माइक्रोफाइनेंस और डिजिटल बैंकिंग के महत्व से परिचित कराती हैं। इस प्रकार, सुनीता बाई ने अपनी मेहनत और उद्यमिता से न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाया, बल्कि समाज में एक सशक्त परिवर्तन का बीजारोपण भी किया है।

अंजु: डिजिटल भुगतान से आर्थिक स्वतंत्रता की ओर

दिल्ली की 48 वर्षीय अंजु, जो प्लास्टिक के फूल जोड़ने का काम करती है, की कहानी भी एक प्रेरणास्त्रोत है। अंजु के लिए डिजिटल भुगतान एक वरदान साबित हुआ है। पहले अंजु को अपने काम के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन बिचौलियों की मौजूदगी के कारण भुगतान में अक्सर देरी होती थी, और कभी-कभी उनके द्वारा की गई कटौती भी उन्हें झेलनी पड़ती थी। यह न केवल अंजु की आर्थिक स्थिति के लिए कठिनाई पैदा करता था, बल्कि उनके काम की गति भी प्रभावित होती थी।

लेकिन अब, अंजु अपने ग्राहकों से सीधे डिजिटल भुगतान प्राप्त करती है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से उन्हें उनका पूरा और तत्काल भुगतान मिलता है। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी वित्तीय स्थिति में स्थिरता आई, और साथ ही उन्हें अपने कार्य में अधिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास मिला। पहले जो कार्य अंजु को बिचौलियों के कारण कठिन लगता था, अब वह बिना किसी रुकावट के अपने समय और साधनों के अनुसार कर सकती है। अंजु की आर्थिक स्वतंत्रता अब न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि वह अन्य महिलाओं को भी अपने काम में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही है।

रामलाल मिश्रा: भीम यूपीआई से व्यापार में वृद्धि

वाराणसी के अस्सी घाट पर चाय बेचने वाले रामलाल मिश्रा के लिए डिजिटल भुगतान ने उनके व्यापार को एक नई दिशा दी है। पहले, उनके ग्राहक अक्सर छुट्टे पैसों की समस्या का सामना करते थे, जिससे उनका व्यापार प्रभावित होता था। यह समस्या केवल ग्राहकों के लिए ही नहीं, बल्कि रामलाल के लिए भी परेशानी का कारण बनती थी।

लेकिन जब से उन्होंने भीम यूपीआई का इस्तेमाल करना शुरू किया, उनके व्यापार में एक अद्वितीय बदलाव आया। अब उनके ग्राहकों को भुगतान करने में कोई परेशानी नहीं होती, और वे बिना किसी असुविधा के अपनी चाय का भुगतान डिजिटल रूप से कर सकते हैं। इससे न केवल रामलाल का दैनिक कारोबार 30% बढ़ा, बल्कि उन्होंने अपने व्यापार के विस्तार के लिए नई योजनाएँ भी बनाई हैं। भीम यूपीआई का उपयोग उन्हें व्यापार की पारदर्शिता और दक्षता को बनाए रखने में मदद करता है। अब रामलाल न केवल चाय बेचते हैं, बल्कि डिजिटल भुगतान के माध्यम से अपनी सेवाओं को और भी बढ़ा रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन चाय ऑर्डर, पार्सल सेवाएँ, और अन्य उत्पादों की बिक्री। रामलाल की यह सफलता यह सिद्ध करती है कि डिजिटल भुगतान सिर्फ बड़े व्यापारियों के लिए नहीं, बल्कि छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अन्नू मांझी: सरयू नदी के किनारे डिजिटल भुगतान का लाभ

अयोध्या में सरयू नदी के तट पर नाविक अन्नू मांझी के लिए डिजिटल भुगतान ने उनके जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। पहले अन्नू को ग्राहकों से नकद पैसे प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भागना पड़ता था। इसके अलावा, कभी-कभी पैसे देने में देरी और नकदी के अभाव के कारण उनकी आजीविका प्रभावित होती थी।

लेकिन अब, जब से अन्नू ने यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान शुरू किया है, उनका जीवन सरल और व्यवस्थित हो गया है। अब उन्हें नकदी के लिए इधर-उधर भागने की आवश्यकता नहीं है; उनका पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाता है। इस सुविधा ने न केवल अन्नू की जीवनशैली को आसान बनाया है, बल्कि उनके व्यापार में भी स्थिरता और वृद्धि आई है। अब अन्नू ग्राहकों से अधिक सेवा देने के साथ-साथ अपने परिवार के लिए बेहतर जीवनशैली सुनिश्चित कर पा रहे हैं। उनकी यह सफलता यह दर्शाती है कि डिजिटल भुगतान ने केवल व्यापारियों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो छोटे व्यवसायों से जुड़े हैं और जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं।

एक नई दिशा में बढ़ता भारत

सुनीता बाई, अंजु, रामलाल मिश्रा और अन्नू मांझी की कहानियाँ यह सिद्ध करती हैं कि डिजिटल भुगतान और माइक्रोफाइनेंस जैसी अभिनव वित्तीय व्यवस्थाएँ न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती हैं, बल्कि समाज में

समावेशिता, समानता और अवसरों की नए द्वार खोलने का कार्य भी करती हैं। इन वित्तीय साधनों के माध्यम से गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग अब अपनी जिंदगी की दिशा बदलने में सक्षम हो रहे हैं, और यह केवल भारतीय समाज की समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी एक प्रेरणा बनकर उभर रहा है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई): भारत के वित्तीय परिदृश्य का क्रांतिकारी परिवर्तन

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक अभूतपूर्व क्रांति लेकर आया। यह प्रणाली न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से अद्वितीय है, बल्कि इसके द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा ने भारतीय समाज के हर वर्ग को न केवल जोड़ने का कार्य किया, बल्कि वित्तीय लेन-देन के तरीकों को भी नया आकार दिया। अक्टूबर 2024 में, यूपीआई ने 16.58 अरब वित्तीय लेन-देन को संसाधित किया, जो डिजिटल भुगतान के प्रति बढ़ती स्वीकृति और व्यापकता का प्रतीक है।

यह आंकड़ा केवल एक संख्यात्मक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के डिजिटल रूपांतरण की एक जीवंत गवाही है। 16.58 अरब लेन-देन, एक असाधारण संख्या, न केवल यूपीआई की सफलता का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे सामूहिक प्रयासों और समग्र डिजिटल संक्रमण का भी साक्षी है। भारत जैसे विशाल देश में, जहां हर दिन लाखों लेन-देन होते हैं, यूपीआई ने न केवल लेन-देन की गति को बढ़ाया है, बल्कि इसे इतना सहज, सुरक्षित और सुलभ भी बना दिया है कि अब यह आम जीवन का हिस्सा बन चुका है।

यह संख्या न केवल तकनीकी क्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह भारतीय समाज में वित्तीय समावेशन की ओर एक गहरी छलांग का भी प्रतीक है। यूपीआई ने ग्रामीण भारत से लेकर शहरी केंद्रों तक, प्रत्येक नागरिक को एक ही मंच पर लाकर उसे डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की। इसका प्रभाव केवल वित्तीय लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के वित्तीय तंत्र को सशक्त बनाने और पारदर्शी बनाने में भी एक अहम भूमिका निभा रहा है।

यूपीआई की इस अभूतपूर्व सफलता का कारण इसके उपयोग की सरलता और इसकी व्यापकता है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह एक छोटे व्यापारी हो या एक बड़े संगठन का सदस्य, अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके तुरंत भुगतान कर सकता है। यूपीआई ने सिर्फ मोबाइल बैंकिंग को ही नहीं, बल्कि एक पूरी नई वित्तीय संस्कृति को जन्म दिया है। यह संख्या न केवल भुगतान की वृद्धि को दर्शाती है, बल्कि यह भारत में एक ऐसे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को भी दर्शाती है, जो पहले कभी संभव नहीं था।

यह 16.58 अरब लेन-देन न केवल यूपीआई की तकनीकी सफलता का संकेत है, बल्कि यह भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती डिजिटल साक्षरता का भी प्रतीक है। जिन स्थानों पर पहले नगद लेन-देन की प्रवृत्ति प्रबल थी, वहां अब लोग यूपीआई के माध्यम से सहजता से लेन-देन करते हैं। यूपीआई ने केवल पैसे के आदान-प्रदान को आसान नहीं बनाया, बल्कि यह भारतीय समाज में आर्थिक स्वतंत्रता की भावना को भी बढ़ावा दिया है।

यह आंकड़ा केवल संख्याओं का एक खेल नहीं है। यह एक सशक्त भारत की दिशा में किए गए एक निर्णायक कदम का परिणाम है, जहां प्रत्येक नागरिक को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुँच प्राप्त हो रही है। यूपीआई ने न केवल भारतीय समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है, बल्कि यह साबित कर दिया है कि भारत डिजिटल क्रांति के मार्ग पर पूरी तरह से अग्रसर है।

आज, जब हम यूपीआई द्वारा संसाधित किए गए 16.58 अरब वित्तीय लेन-देन को देखते हैं, तो यह न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक गहरे और स्थायी परिवर्तन का प्रतीक भी है। यूपीआई ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब किसी तकनीक को आम आदमी की पहुँच में लाया जाता है, तो उसकी संभावनाएँ अनंत होती हैं। यह केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की समावेशिता, सशक्तिकरण और डिजिटल साक्षरता की ओर बढ़ते हुए कदमों की गवाही है।

यह संख्या, 16.58 अरब, हमें यह याद दिलाती है कि वित्तीय प्रणाली में परिवर्तन, न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी, अत्यंत आवश्यक है। यूपीआई ने इसे संभव किया है और भारत के लिए एक नया वित्तीय युग खोला है।

डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन का भविष्य: एक अनदेखी क्रांति का मार्ग

डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन का भविष्य निःसंदेह उज्जवल है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतीपूर्ण सवाल भी खड़े होते हैं, जिनका समाधान करना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन समस्याओं को सुलझाना केवल तकनीकी प्रयासों का मामला नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की संरचनाओं और मानसिकताओं के भीतर गहरे बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इन समस्याओं का समाधान एक समग्र दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसमें न केवल तकनीकी नवाचार, बल्कि शिक्षा, सशक्तिकरण और सामाजिक संरचनाओं के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

1. डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण भारत की दीवारें

भारत की ग्रामीण आत्मा, जो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, आज भी डिजिटल भुगतान की प्रौद्योगिकियों से अनभिज्ञ है। स्मार्टफोन और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग एक विशेष तबके के लिए ही संभव हो पा रहा है। गाँवों में इंटरनेट की पहुँच सीमित है, और ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनके पास क्या संभावनाएँ हैं। डिजिटल साक्षरता के बिना, यह तकनीक केवल एक दूरस्थ अवधारणा बनकर रह जाती है, जो अधिकांश लोगों की पहुँच से बाहर होती है।

यह केवल एक संख्यात्मक अंतर नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और मानसिक दीवार है जिसे तोड़ने की आवश्यकता है। यदि हम वास्तविक वित्तीय समावेशन की बात करें, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह तकनीक हर उस व्यक्ति तक पहुंचे, जो इसकी जरूरत महसूस करता है। गांवों में डिजिटल साक्षरता के प्रसार के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को शिक्षा के नए रूपों की तलाश करनी होगी—जैसे कि स्थानीय भाषाओं में डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मोबाइल आधारित शिक्षा, और ग्रामीण स्तर पर

तकनीकी विशेषज्ञों का प्रशिक्षण। यही कारण है कि डिजिटल भुगतान की क्रांति केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बननी चाहिए। यह एक ऐसा आंदोलन है जो डिजिटल समावेशन को वास्तविकता में बदलने का कार्य करेगा।

2. साइबर सुरक्षा: डिजिटल वित्तीय दुनिया की नाजुकता

जैसे-जैसे हम डिजिटल भुगतान प्रणाली में वृद्धि देख रहे हैं, वैसे-वैसे डिजिटल धोखाधड़ी और डेटा सुरक्षा की चिंताएँ भी बढ़ रही हैं। आज की दुनिया में, जहां हर लेन-देन एक क्लिक पर निर्भर है, साइबर अपराधियों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर बन चुका है। इन अपराधों में न केवल वित्तीय नुकसान हो सकता है, बल्कि उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

इस समस्या का समाधान केवल तकनीकी सुधारों से नहीं हो सकता। हमें साइबर सुरक्षा को एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा मानते हुए, इसके प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अंतर्गत केवल उन्नत तकनीकों का प्रयोग ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित लेन-देन की आदतें सिखानी होंगी, जैसे कि दो-कारक प्रमाणीकरण (2एफए) का उपयोग और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के उपाय।

3. इंटरनेट कनेक्टिविटी: दूरदराज के क्षेत्रों में अवरोध

भारत के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुलभता, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इंटरनेट की गति न केवल धीमी है, बल्कि कई बार अनुपलब्ध भी रहती है। यह इंटरनेट के बिना वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि यदि लोग ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं का लाभ वे कैसे उठा सकते हैं?

इस समस्या को हल करने के लिए, हमें नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की आवश्यकता है। 5जी और सैटेलाइट इंटरनेट जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ इस संदर्भ में समाधान प्रदान कर सकती हैं। भारत के कोने-कोने तक इंटरनेट पहुँचाने के लिए सरकार को और अधिक तत्परता से कदम उठाने होंगे, ताकि हर नागरिक तक डिजिटल भुगतान की सुविधा पहुँच सके।

सभी बाधाओं के बावजूद, एक उम्मीद की किरण:

इन चुनौतियों के बावजूद, भारत के पास इन समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता और इच्छाशक्ति है। 5जी , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के साथ, भारत न केवल डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक नेता बन सकता है, बल्कि यह अपने नागरिकों को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी प्रदान कर सकता है।

5G, इंटरनेट की गति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जो ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा। एआइ का उपयोग उपभोक्ताओं के डेटा को बेहतर तरीके से समझने और व्यक्तिगत वित्तीय समाधान देने के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक, अपनी पारदर्शिता और सुरक्षा के कारण, वित्तीय लेन-देन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बना सकती है।

इन तकनीकों का सही उपयोग भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली को न केवल एक मजबूत आधार देगा, बल्कि यह भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा, जो वैश्विक स्तर पर डिजिटल वित्तीय सेवाओं का नेतृत्व करता है।

निष्कर्ष:

डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन ने न केवल भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया है, बल्कि यह समाज की जड़ों में एक गहरी और स्थायी क्रांति का आगाज भी है। यह क्रांति वह नहीं जो मात्र तकनीकी या वित्तीय दृष्टिकोण तक सीमित हो, बल्कि यह एक सामाजिक बदलाव है, जिसने भारतीय समाज के हर तबके को आर्थिक मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना और यूपीआई जैसी योजनाओं ने अपनी सरलता और सर्वसुलभता के द्वारा न केवल बैंकों तक पहुँच को आसान किया है, बल्कि उन्होंने गरीब से लेकर समृद्ध वर्ग तक को समान अवसर प्रदान किए हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ वित्तीय सेवा और उसका लाभ, जो कभी एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित था, अब हर भारतीय नागरिक के लिए सुलभ है।

भारत, जो कभी एक विकेंद्रीकृत और कैश-आधारित अर्थव्यवस्था का पर्याय था, आज डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के माध्यम से एक नई आर्थिक धारा की ओर बढ़ रहा है। यह केवल संख्याओं या तकनीकी नवाचारों से नहीं, बल्कि भारतीय समाज की मूलभूत संवेदनाओं और जड़ों से जुड़ी एक गहरी सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। जब डिजिटल भुगतान की सुविधा गाँव के छोटे दुकानदार या एक छोटे किसान तक पहुँचती है, तो यह केवल तकनीक का विस्तार नहीं होता, बल्कि यह उस व्यक्ति के जीवन को बदलने वाली एक नई दिशा होती है। यह प्रक्रिया हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता की नई पहचान देती है, चाहे वह महिला हो, मजदूर हो, या फिर एक छोटा व्यापारी।

डिजिटल भुगतान: एक सशक्त और समावेशी भविष्य की ओर कदम

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने यह सुनिश्चित किया कि हर भारतीय के पास एक बैंक खाता हो, और यूपीआई ने इसे डिजिटल प्लेटफार्म पर सुलभ बना दिया। एक ऐसा प्लेटफार्म जिसने लाखों भारतीयों को बैंकिंग के अनुभव से जोड़ा और उन्हें वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान की। यूपीआई का सरल और सहज इंटरफेस उन ग्रामीण इलाकों में भी व्याप्त हो गया, जहाँ कभी बैंकिंग सेवाओं का पहुंचना एक कठिन कार्य था। यह एक समय था जब बैंकिंग केवल बड़े व्यापारियों और समृद्ध वर्ग तक ही सीमित थी, लेकिन आज यूपीआई, डिजिटलीकरण, और सरकार की योजनाओं ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को सशक्त बनाने का कार्य किया है।

यूपीआई के माध्यम से, आज छोटे से छोटे व्यवसायी, किसान, और मजदूर भी अपनी वित्तीय जरूरतों को डिजिटल रूप से पूरा करने में सक्षम हैं। यह एक ऐसा बदलाव है जो न केवल समय की बचत करता है, बल्कि लेन-देन की पारदर्शिता और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। जैसे ही यह डिजिटल प्रणाली प्रत्येक घर और गाँव में प्रवेश करती है, यह भारत को केवल एक आर्थिक धारा में नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक

पुनर्निर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ाती है।

सशक्तिकरण का एक नया आयाम: महिला और ग्रामीण भारत

डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उन वर्गों का है, जो पहले वित्तीय सेवाओं से दूर थे—विशेषकर महिलाएँ और ग्रामीण भारत। महिलाओं को अब घर बैठे अपने बैंक खाते और डिजिटल लेन-देन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। यह न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उन्हें सशक्त बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कभी बैंक की शाखाएँ भी सीमित थीं, वहां अब मोबाइल फोन और डिजिटल सेवाएँ महिलाओं को अपने परिवारों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने की क्षमता प्रदान कर रही हैं।

यही नहीं, छोटे व्यापारी और किसान अब आसानी से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका व्यापार न केवल बढ़ता है, बल्कि यह उन्हें उन पारंपरिक तंत्रों से मुक्त करता है, जो कभी उनके लिए संकीर्ण और सीमित थे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन ने सामाजिक संरचनाओं में एक मौलिक बदलाव किया है। यह बदलाव हर वर्ग के लिए न केवल वित्तीय सुरक्षा, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक बन चुका है।

"जब आखिरी व्यक्ति तक डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पहुँचेगा, तभी सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बनेगा।"

यह कथन सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है। यह लक्ष्य इस बात का प्रतीक है कि जब तक हम अपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल समावेशन और भुगतान की सेवाएँ नहीं पहुँचा सकते, तब तक हम वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भरता केवल एक आर्थिक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति की मानसिकता का, उसकी स्थिति का और उसकी उपलब्धियों का प्रतीक होती है। जब एक गरीब किसान, एक छोटे व्यापारी, या एक महिला खुद के वित्तीय फैसले लेने में सक्षम होती है, तो यह उस समाज की दिशा को बदल देता है।

निष्कर्ष में समग्र दृष्टिकोण:

डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के माध्यम से भारत ने जो परिवर्तन किया है, वह केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परिवर्तन एक विचारधारा के रूप में सामने आया है, जहाँ हर नागरिक को न केवल समृद्धि का अवसर मिल रहा है, बल्कि उसे अपने हक और अधिकार को पहचानने का भी मौका मिल रहा है। यह एक नई सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर बढ़ते हुए कदम हैं, जो भारतीय समाज के हर वर्ग को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन केवल एक तकनीकी क्रांति नहीं, बल्कि यह एक विशाल सामाजिक परिवर्तन है, जो प्रत्येक भारतीय को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करता है। यह परिवर्तन भारत को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और समान अवसरों वाला देश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब अंतिम व्यक्ति तक यह पहुँच जाएगा, तब भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पूरी तरह से नए आयामों को छूने में सक्षम होगा।

परिवार

वो पहली लोरी पहला निवाला

पहला स्वेटर, पहला सहारा,

ममता, परवाह, सम्मान, प्यार, दुलार

और वो हर चीज जिसका पुरुष है कर्जदार

और उस पर भी आदमी का हर छोटी बात पे टोकना

आजादी के कुछ पल जीने से भी रोकना

हाथों में चूड़ी नहीं हैं,

सिन्दूर इतना छोटा क्यूँ लगाया है,

सिर से पल्लू करके रहो,

आज खाना कैसा बनाया है..

ये ड्रेस तुम्हारे लिये ठीक नहीं है..

जैसे समाज की सारी बन्दिशें उसी के लिये बनी हैं

और इतना सहकर भी जो सृजित करती है परिवार

पिता को गर्व, पति को सम्मान, भाई को प्यार

और न जाने क्या-क्या कि यहाँ शब्दो में न समाये

क्या उसका आधा भी हम पुरुष उन्हें दे पाए।

मदन मोहन बाजपेई
प्रबंधक
सेलम क्षेत्र

ज्ञान के मोती

1. समय सबसे बड़ा गुरु है, जो हमें बिना कोई शुल्क लिए जीवन के मूल्य सिखाता है।
2. असफलता केवल एक सीढ़ी है, जो हमें सफलता की ओर ले जाती है ।
3. जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है।
4. जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकता है।
5. अच्छे संस्कार व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति होती है ।
6. स्वयं को सुधारने में जितना समय लगाएंगे, उतना ही बेहतर इंसान बनेंगे।
7. दूसरों की आलोचना करने से पहले स्वयं को परखें।
8. जो व्यक्ति हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती।
9. क्रोध में लिया गया निर्णय, हमेशा नुकसानदायक होता है।
10. हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सफलता की निशानी है।
11. स्वयं पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है।
12. जो दूसरों का सम्मान करता है, वह स्वयं सम्मान पाता है।
13. लगातार सीखते रहने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता।
14. जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है, वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है।
15. कोई भी बड़ा कार्य एक दिन में नहीं होता, लगातार मेहनत करनी पड़ती है।

हंसी की फुलझड़ियाँ

पुरूष के खर्राटे, स्त्री के कर्मों का फल हैं
स्त्री दिन भर चुप नहीं रहती और पुरूष रात भर

बीवी से मेरी कहासुनी कभी नहीं होती !!
सीधे हाथापाई से फैसला हो जाता है !
भले ही दो ज्यादा मार ले पर बातों का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं

हवा को गुमान था अपनी आजादी पर ..
किसी ने चिप्स की थैली में भरकर उसे भी बेच दिया ..

राशि से कुछ नहीं होता साहब... कन्या राशि वाले बिना लड़की के.... घूम रहे हैं।
कुंभ राशि वाले महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं।
ओर सिंह राशि वालो को कुत्ते दौड़ा रहे हैं।।

बस इतना समझदार बनना है कि "मेरा वो मतलब नहीं था" का मतलब समझ सकूँ |

इंडियन फैमिली फंक्शन में
बाय बोलना भी 30-40 मिनट का प्रोसेस होता है..

घरवाली कुंभ नहाने नहीं जाने दे रही हैं।! कह रही है.
"पहले पाप बताओ फिर जाओ..

माँ: "बेटा, तुम दिन भर मोबाइल पर क्या करते हो?"
बेटा: "माँ, में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ!"

पति: "तुम हमेशा मुझसे लड़ती क्यों हो?"
पत्नी: "क्योंकि शादी के वादे में लिखा था—सुख-दुख में साथ देंगे, तो मैं दुख दे रही हूँ!"

लड़का: "आजकल लड़कियाँ इतनी तेज क्यों हैं?"
दोस्त: "क्योंकि वो मम्मी से ट्रेनिंग लेकर आती हैं, और हम पापा से सिर्फ डांट!"

बैंकिग में एआई के उपयोग से बेहतर ग्राहक सेवा तथा धोखाधड़ी के रोकथाम में सुधार

दीपक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी

कृत्रिम मेधा (एआई)

सामान्य शब्दों में कहा जाए तो कृत्रिम मेधा (कृत्रिम मेधा) कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसी मशीनें और सॉफ़्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है जो ऐसे कार्य करने में सक्षम हों जिनमें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में समस्या-समाधान, सीखना, निर्णय लेना और भाषा समझना शामिल है। कृत्रिम मेधा मशीनों को मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं की नकल करने और डेटा विश्लेषण और अनुभव के माध्यम से समय के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है।

एआई को मुख्यत: तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1.संकीर्ण एआई - इस प्रकार के एआई को विशिष्ट कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि वॉयस असिस्टेंट (जैसे, सिरी, एलेक्सा), अनुशंसा प्रणाली (जैसे, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब), और बैंकिंग में धोखाधड़ी का पता लगाना। यह अपने निर्दिष्ट कार्य के अलावा दूसरा कार्य नहीं कर सकता है।

2. सामान्य एआई - इस एआई में मानव जैसी बुद्धि होती है और यह कोई भी बौद्धिक कार्य कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। यह तर्क कर सकता है, अनुभवों से सीख सकता है और विभिन्न डोमेन में ज्ञान को लागू कर सकता है। हालाँकि, एआई का यह स्तर अभी भी अनुसंधान और विकास के अधीन है|

3 .सुपर एआई - यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है जहाँ एआई रचनात्मकता, निर्णय लेने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहित सभी पहलुओं में मानव बुद्धिमत्ता से आगे निकल जाता है। यह शोधकर्ताओं के बीच अटकलों और बहस का विषय बना हुआ है।

एआई का विकास

एआई के विकास को अलग-अलग कालखंड में निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया जा सकता है ।

1950-1960

इस दशक में दो प्रमुख योगदान 1950 ई. में देखे गए। एलन ट्यूरिंग ने सोचने वाली मशीन बनाने की संभावना के बारे में एक शोधपत्र प्रस्तुत किया । एलन ट्यूरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक "बॉम्बे" का निर्माण था, एक ऐसी मशीन जो शब्दों को डीकोड और एनकोड कर सकती थी ।

1956 में जॉन मैकार्थी ने एक सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द गढ़ा । उन्होंने 1958 में प्रोग्रामिंग भाषा एल आई एस पी बनाई जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर एआई सिस्टम को प्रोग्राम करने के लिए किया गया। उन्हें एआई का जनक कहा जाता है ।

1961-1970

इस दशक में पहली चैटबोट एलिजा का निर्माण 1966 में जोसेफ वीज़ेनबाम द्वारा एमआइटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला में किया गया था ।

1967 में इचिरो काटो द्वारा वाबॉट (WABOT) का निर्माण किया गया। यह मानव सदृश रोबोट के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। वाबॉट अपने निचले अंग के सहारे चलता था और अपने हाथों से वस्तुओं को पकड़ने और ले जाने में सक्षम था।

1971-2000

1980 में वासेदा विश्वविद्यालय में WABOT-2 बनाया गया जो WABOT-1 का उत्तराधिकारी था, यह पियानो बजाने में सक्षम था । इस अवधि में आइबीएम द्वारा निर्मित डीप ब्लू ने 1997 में शतरंज के ग्रैंडमास्टर गैरी कास्पारोव को हराया था ।

2000-2010

2000 के दशक में एआई तकनीक को कई सफल प्रयासों के साथ सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था, प्रोफेसर सिंथिया ब्रेज़ल द्वारा विकसित सामने वाले व्यक्ति के चेहरे से मानवीय भावनाओं की नकल करने में सक्षम है ।

होंडा ने 2000 में कृत्रिम मानव सदृश रोबोट एसिमों (ASIMO) जारी किया। यह इंसानों की तरह चल सकता है, चेहरे पहचान सकता है और अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता है।

2002 में रूम्बा, एक स्वायत्त रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो सफाई करता है और बाधाओं से टकराने से बचने में सक्षम है ।

2004 में नासा का मंगल अन्वेषण मिशन एक रोबोटिक अंतरिक्ष मिशन था जिसमें दो मार्स रोवर स्पिरिट और मंगल ग्रह का अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए थे ।

2010 से अब तक

यह युग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अनेक विकासों के साथ एक क्रांति है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स 360 के लिए कीनेक्ट (Kinect) लॉन्च किया, जो पहला गेमिंग डिवाइस था जो 3डी कैमरा और इन्फ्रारेड डिटेक्शन का उपयोग करके मानव गतिविधि को ट्रैक करता था ।

एप्पल ने 2011 में वॉयस असिस्टेंट सिरी जारी किया था। यह उत्तर का अनुमान लगाने, देखने और उपयोगकर्ताओं को सिफारिशें देने के लिए एक प्राकृतिक भाषा यूजर इंटरफेस का उपयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में कॉर्टाना जारी किया था, जो सिरी के समान एक वर्चुअल असिस्टेंट है ।

बैंकों में एआई का उपयोग

आधुनिक युग में कृत्रिम मेधा ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिससे दक्षता, सुरक्षा और ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ है। एआई का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने, जोखिम मूल्यांकन और स्वचालित व्यापार के लिए किया जाता है। बैंक अपने संचालन को बढ़ाने, प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए एआई तकनीक का निम्न रूप में लाभ उठा रहे हैं।

1. धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम :

धोखाधड़ी का पता लगाना बैंकिंग और वित्त में कृत्रिम मेधा (एआई) के सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक है । एआई -संचालित सिस्टम ग्राहकों के लेन-देन के पैटर्न का विश्लेषण करते हैं और वास्तविक समय में असामान्य गतिविधियों का पता लगाते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से संदिग्ध लेन-देन की पहचान करती है तथा धोखाधड़ी होने से पहले बैंकों को सचेत करते हैं। इससे वित्तीय नुकसान को रोकने और

ग्राहकों को साइबर अपराध से बचाने में मदद मिलती है। यथा नए खातों में नियमित रूप से बड़े-बड़े लेन-देन का होना तथा असमय ऑनलाईन लेन-देन का होना भी संदिग्ध लेन-देन की श्रेणी में आता है तथा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से बैंकों को सचेत करते हैं। कृत्रिम मेधा (एआई) वित्तीय लेन-देन में, अधिक सटीक और बुद्धिमानी के साथ निगरानी करके धोखाधड़ी का पता लगाने की दिशा में क्रांति ला रहा है। जैसे-जैसे साइबर अपराधी अधिक परिष्कृत धोखाधड़ी तकनीक विकसित करेंगे, वैसे ही कृत्रिम मेधा द्वारा संचालित प्रणालियाँ विकसित होती रहेंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि बैंक और वित्तीय संस्थान ग्राहकों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा में आगे रहें।

2. चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट के उपयोग के माध्यम से ग्राहक सेवा में सुधार :

आधुनिक समय में कृत्रिम मेधा -संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट ने बैंकिंग में ग्राहक सेवा को पूर्णतया बदल दिया है। ये चौबीसों घंटे ग्राहकों को सहायता प्रदान करते हैं, ये ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेन-देन में मदद करते हैं और बैंकिंग सेवाओं के संबंध में उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। ग्राहक सहायता को स्वचालित करके, बैंक अपनी लागत कम करते हैं तथा कम समय में ग्राहकों को जवाब देते हैं, जिससे बेहतर ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित होती है।

3. ऋण में क्रेडिट जोखिम का पता लगाना :

बैंकिंग के महत्वपूर्ण कार्यों मे से एक है ऋण आवेदनों और ऋण पात्रता का मूल्यांकन करना। कृत्रिम मेधा इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राहकों के क्रेडिट स्कोरिंग वित्तीय लेन देन के इतिहास पर निर्भर करते हैं। कृत्रिम मेधा लेन-देन पैटर्न, खर्च करने की आदतों और वैकल्पिक ऋण स्रोतों सहित डेटा की एक व्यापक श्रेणी का विश्लेषण करती है। यह बैंकों को अधिक सटीक ऋण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे खराब ऋणों का जोखिम कम हो जाता है। एआई वैसे ग्राहकों के क्रेडिट जोखिम का पता लगाती है जिनका कोई भी क्रेडिट इतिहास न हो। एआई सोशल एक्टीविटी यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, X के माध्यम से भी वित्तीय लेन –देन के इतिहास का पता लगाती है। जिससे क्रेड़िट जोखिम को कम किया जा सकता है।

4. व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएँ :

एआई बैंकों को ग्राहकों की प्राथमिकताओं और व्यवहार के आधार पर उनकी सोशल एक्टीविटी यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, X के माध्यम से पता लगता है। जो बैंकों को बेहतर व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाता है। लेन-देन के इतिहास और खर्च के पैटर्न का विश्लेषण करके, एआई उपयुक्त बैंकिंग उत्पादों जैसे कि ऋण, क्रेडिट कार्ड या निवेश विकल्पों की सिफारिश करता है। इससे ग्राहक जुड़ाव बढ़ता है और बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद मिलती है।

5. स्वचालित ट्रेडिंग और निवेश की सलाह :

स्वचालित ट्रेडिंग और निवेश प्रबंधन में एआई -संचालित एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ये सिस्टम बाजार के रुझानों का विश्लेषण करते हैं, स्टॉक की चाल का अनुमान लगाते हैं और निवेश पोर्टफोलियो को अनुकूलित करते हैं। रोबो-सलाहकार डेटा-संचालित सिफारिशें प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहकों को न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलती है।

6. विनियामक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन :

एआई मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए बैंकों को सख्त नियमों का अनुपालन कराने में, लेन-देन की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता करती है। एआई -संचालित सिस्टम अधिकारियों के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिससे दंड और कानूनी मुद्दों का जोखिम कम होता है।

7. स्वचालन प्रक्रिया :

एआई विभिन्न बैंकिंग प्रक्रियाओं जैसे दस्तावेज़ सत्यापन, खाता खोलना और अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी),चेकों के डिजिटल इमेज के माध्यम से क्लीयरिग करना जैसे प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है। इससे मैन्युअल काम कम होता है, संचालन में तेज़ी आती है और त्रुटियाँ कम होती हैं। बैंक ग्राहकों के अनुरोधों को तेज़ी से संसाधित कर सकते हैं, जिससे दक्षता में सुधार होता है और परिचालन लागत कम होती है।

8. निर्णय लेने के लिए पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण :

एआई बैंकों को रुझानों और ग्राहक व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए बृहत वित्तीय डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है। पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण का उपयोग करके, बैंक ग्राहकों की ज़रूरतों का अनुमान लगा सकते हैं, मार्केटिंग रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं और डेटा-संचालित व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं। इससे लाभप्रदता और दीर्घकालिक विकास में वृद्धि होती है।

9. साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण :

बढ़ते साइबर खतरों के साथ,एआई बैंकिंग में सुरक्षा को मजबूत करता है। एआई सिस्टम पर साइबर हमलों का पता लगाता है और उन्हें रोकता है, अनधिकृत पहुंच की पहचान करता है और संवेदनशील ग्राहक डेटा को सुरक्षित रखता है। एआई -संचालित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जैसे कि चेहरे और आवाज की पहचान, बैंकिंग लेन-देन में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है।

10. ग्राहक की भावनाओं का विश्लेषण :

एआई ग्राहकों की भावनाओं को समझने के लिए ईमेल, सोशल मीडिया और सर्वेक्षणों से ग्राहकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है। इससे बैंकों को ग्राहकों की अपेक्षाओं के आधार पर अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने, समग्र ग्राहक अनुभव और ब्रांड प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष :

एआई आधुनिक बैंकिंग का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो बेहतर सुरक्षा, व्यक्तिगत सेवाएँ और कुशल संचालन जैसे कई लाभ प्रदान करता है। जैसे-जैसे एआई तकनीक विकसित होती जा रही है, बैंक अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाते जा रहे हैं, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। हालाँकि, बैंकों के लिए विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एआई -संचालित स्वचालन को मानवीय निगरानी के साथ संतुलित करना आवश्यक है। बैंकिंग का भविष्य एआई के निर्बाध एकीकरण में निहित है, जो एक अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और अधिक ग्राहक-केंद्रित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करता है। अत: एआई के उपयोग से हम ग्राहक सेवा को और बेहतर कर सकते हैं ,जिससे धोखाधड़ी को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

भारत की विदेश नीति व अंतराष्ट्रीय सहयोग

मुकुल व्यास, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ

'वसुधैव कुटुम्बकम्' का भारतीय दर्शन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की अवधारणा को आधार प्रदान करता है। भारत संपूर्ण विश्व समुदाय को एकल वृहत वैश्विक परिवार के रूप में देखता है, जहाँ इसके सदस्य सद्भाव से रहते हैं, एक साथ कार्य एवं विकास करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भारत ने अपनी विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए "भारत प्रथम" और "वसुधैव कुटुंबकम" पर ज़ोर दिया है एवं अशांत वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत को "विश्व बंधु" के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा है। जैसे-जैसे ग्लोबल साउथ सहित नए हित समूह, सुधारों की मांग बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे भारत अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये बहुपक्षीय और क्षेत्रीय समूहों का लाभ लेने की योजना बना रहा है। देश अब जी-20, ब्रिक्स, आसियान, बिम्सटेक और आईओआरए जैसे मंचों पर अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिये तैयार है। यह क्षेत्रीय और वैश्विक शासन ढाँचे को आकार देने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नए वर्ष 2025 में, भारत अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों, जैसे कि पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और थिंक वेस्ट को पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने के लिये तैयार दिखाई दे रहा है, साथ ही वह 'विश्व बंधु' की सच्ची भावना के अनुरूप प्रौद्योगिकी के लिये अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को प्रमुखता देगा।

फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । दोनों देशों ने आपसी विश्वास, साझा हितों, सद्भावना और अपने नागरिकों की सशक्त भागीदारी पर आधारित नई पहल - "21वीं सदी के लिये यू.एस.-इंडिया कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिये अवसरों को उत्प्रेरित करना)" – पर हामी भरी है। रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिये, इस वर्ष 21वीं सदी में यू.एस.-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिये एक नए दस वर्षीय ढाँचे पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की गई है। यू.एस.-भारत व्यापार संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य, से द्विपक्षीय व्यापार हेतु एक साहसिक नया लक्ष्य "मिशन 500" निर्धारित किया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक करके $500 बिलियन करना है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी पक्ष ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के लिये अपना समर्थन दोहराया, साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से भारत में अमेरिकी डिज़ाइन पर परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिये यू.एस.-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते को साकार करने का संकल्प लिया गया। यू.एस.-भारत ट्रस्ट ("रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों को बदलना") पहल की शुरुआत की घोषणा की गई। यह पहल रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्द्धचालक, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देगी। साथ ही वर्ष 2025 को यू.एस.-भारत नागरिक अंतरिक्ष सहयोग के लिये एक महत्त्वपूर्ण वर्ष माना जाएगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक भेजने की नासा इसरो की योजना है और संयुक्त 'निसार' मिशन का शीघ्र प्रक्षेपण, दोहरे रडार तकनीक वाला अपनी तरह का पहला मिशन है।

भारत की विदेश नीति देश के अंदर एवं बाह्य दुनिया में होने वाले बदलावों के अनुरूप परिवर्तन और निरंतरता का मिश्रण है। भारत की विदेश नीति कम-से-कम चार मुख्य उद्देश्यों पर आधारित है। इसका पहला और व्यापक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है जबकि दूसरा उद्देश्य समावेशी घरेलू विकास के लिये अनुकूल बाहरी परिवेश बनाना है। तीसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की आवाज़ वैश्विक मंचों पर सुनी जाए। चौथा और अंतिम उद्देश्य भारतवंशियों की विदेशों में उपस्थिति से अधिकतम लाभ लेना तथा यथासंभव उनके हितों की रक्षा करना है। हमारी विदेश नीति के ये उद्देश्य पंचशील सिद्धांत पर आधारित हैं। ये पाँच सिद्धांत हैं- दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिये पारस्परिक सम्मान, परस्पर गैर-आक्रामकता, परस्पर गैर-हस्तक्षेप, समानता तथा पारस्परिक लाभ एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।

भारत की विदेश नीति का पहला और व्यापक उद्देश्य-किसी अन्य देश की तरह-अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। "राष्ट्रीय हितों" का दायरा काफी व्यापक है। उदाहरण के लिए हमारे विषय में इसमें शामिल हैं: क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं की सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करना, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा। संक्षेप में, पहला उद्देश्य भारत को पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से बचाना है।

पिछले 72 वर्षों में भारत एक विकासशील देश से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में विकसित हुआ है और अब इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक अगुवा के रूप में गिना जाता है। इसलिए तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सुनी जाए और भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण, भेदभाव रहित वैश्विक व्यापार वैश्विक शासन की संस्थाओं के सुधार, जो दुनिया के बाकी के रूप में ज्यादा के रूप में भारत को प्रभावित करते हैं। जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर विश्व जनमत को प्रभावित करने में सक्षम हो। भारत के 30 मिलियन सशक्त प्रवासी हैं जिनमें अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं, जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह मेजबान देशों में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है। यह भारत और अन्य देशों के बीच मजबूत कड़ी प्रदान करता है और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चौथा और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतवंशियों को शामिल करना और विदेशों में उनकी उपस्थिति से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, जबकि साथ ही यथासंभव उनके हितों की रक्षा करना है।

भारत लोकतंत्र में विश्वास करता है और समर्थन करता है; हालांकि भारत का विचारधाराओं के पारगमन में विश्वास नहीं है। भारत इसलिए चाहे वह लोकतंत्र हो, राजशाही हो या सैन्य तानाशाही सरकार के साथ खड़ा है। भारत का मानना है कि अपने नेताओं को चुनना या हटाना और शासन का रूप बरकरार रखना या बदलना देश की जनता पर निर्भर है। उपर्युक्त सिद्धांत का विस्तार करके भारत किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा

बल या अन्य साधनों के उपयोग से किसी विशेष देश में सत्ता परिवर्तन या क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के विचार का समर्थन नहीं करता। (इराक, लीबिया, सीरिया में अमेरिकी हस्तक्षेप अथवा जॉर्जिया, यूक्रेन आदि में रूस का हस्तक्षेप) भारत किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा किसी अन्य देश के विरूद्ध प्रतिबंध/सैन्य कार्रवाई करने के विचार का समर्थन नहीं करता है जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन प्रतिबंधों/सैन्य कार्रवाइयों को मंजूरी नहीं दी जाती। इसलिए भारत केवल ऐसे शांति-सैन्य अभियानों में योगदान देता है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं का हिस्सा हैं।

भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएँ :

1. **गुटनिरपेक्षता से लेकर बहु-व्यस्तता तक :** आजादी के बाद कई वर्षों तक भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (गुटनिरपेक्ष आंदोलन) का नेतृत्व किया था। हालांकि, अमेरिका और सोवियत संघ नामक दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत को आमतौर पर सोवियत संघ की ओर अधिक झुकाव के रूप में देखा जाता था। वर्तमान में, भारत ने गुटनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांत को नहीं छोड़ा है, भारत बहु-चर्चा की नीति में विश्वास करता है; हालांकि, यह दूसरे की कीमत पर एक के साथ संबंधों के निर्माण में विश्वास नहीं करता है।

2. **दक्षिण एशिया: भारत की पड़ोस पहले-नीति :** भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है; भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और इसकी विकास दर इस क्षेत्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण अदाकार के रूप में भारत का कद बढ़ रहा है। एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में भारत की साख और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उसकी सिद्ध क्षमताओं को विश्व व्यापी स्वीकार किया जाता है। इन विषमताओं ने ऐतिहासिक रूप से भारत की तुलना में इस क्षेत्र में विश्वास की कमी की भावना पैदा की है।

   दक्षिण एशिया: सार्क और बिम्सटेक : भारत, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) प्रक्रियाओं के माध्यम से दक्षिण एशिया के एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह कई दशकों से अस्तित्व में है और फिर भी दक्षिण एशिया विश्व का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र बना हुआ है। सार्क के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए भारत सार्क में आगे नजर आने लगा है।

3. **भारत का विस्तारित पड़ोस:** दक्षिण पूर्व एशिया: आसियान और पूर्वी एशिया : भारत के विस्तारित पड़ोस के संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 आसियान देशों का अत्यंत महत्व है। एशियाई बाघों के प्रति भारत की पहली पहुंच 1990 के दशक के शुरू में सोवियत संघ के अंत, शीत युद्ध के अंत और अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और इसे शब्द अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने के हमारे अपने निर्णय की पृष्ठभूमि में की गई थी। परिणामतः, भारत की लुक ईस्ट नीति की घोषणा की गई; एलईपी तीन चरणों से गुजरी है। भारत की 'लुक ईस्ट' नीति (1992-2002) का पहला चरण आसियान केंद्रित था और मुख्य रूप से व्यापार और निवेश संबंधों पर केंद्रित था। सरकार ने आसियान के साथ संबंधों में अधिक "गतिशील" और "कार्रवाई उन्मुख" दृष्टिकोण की मांग की है। आसियान के भीतर एक उप क्षेत्र जिसका भारत के पूर्वोत्तर के साथ सापेक्ष निकटता अंतर्निहित लाभ है, सीएमएलवी देशों (कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम) के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है।

4. **संयोजकता :** भारत, दक्षिण एशिया को एकीकृत करने और दक्षिण एशिया को अन्य क्षेत्रों विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से जोड़ने के लिए भौतिक और डिजिटल संयोजकता पर काफी जोर देता है। दक्षिण एशिया के भीतर, बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता चार देशों के भीतर यात्री और मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए निर्बाध संयोजकता प्रदान करती है।

5. **वैश्विक आयामों के मुद्दे आतंकवाद:** भ्रष्टाचार, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, भगोड़ा आर्थिक अपराधी : अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक अभियान भारत सरकार के एजेंडे में उच्च स्थान पर बना हुआ है। यह समझते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) के मसौदे पर बातचीत धीमी गति से आगे बढ़ रही है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध राष्ट्रों की समिति को एक स्वैच्छिक बहुपक्षीय मंच के रूप में बनाने की योजना बनाई है।

6. **जलवायु परिवर्तन:** भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही आशा करता है कि विकसित देश उत्सर्जन को कम करने और धन के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता करने में और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी, 19 वीं और 20 वीं सदी में अविवेकी औद्योगिक विकास के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए विकसित दुनिया की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

7. **निरस्त्रीकरण:** भारत परमाणु हथियारों के अप्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। परमाणु शक्ति के रूप में भारत का रिकॉर्ड बेदाग है। भारत वैश्विक, भेदभाव रहित और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के लिए अटल है।

भारत राजनीतिक रूप से स्थिर देश है और उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर है। भारत अपनी सैन्य शक्तियों में धीरे-धीरे लेकिन लगातार वृद्धि कर रहा है। एक बड़े बाजार के रूप में भारत विदेशी निवेश, संयुक्त उद्यम, कमोडिटी निर्यात के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। हाल के वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का कद काफी बढ़ा है। यकीनन भारत का समय आ गया है। भारत अब यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि वह वैश्विक एजेंडे को आकार देने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह कि यह "नियम का अनुगामी बनने" के बजाय "नियम निर्माता" का हिस्सा है और यह बहु-ध्रुवीय विश्व में एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है।

बैंक और पर्यावरणीय मुद्दे: एक आवश्यक संबंध

राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय राँची

पर्यावरणीय मुद्दे 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण, और जैव विविधता के नुकसान जैसी समस्याएं आज वैश्विक संकट का रूप ले चुकी हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए हर क्षेत्र और उद्योग का योगदान आवश्यक है, और बैंकिंग क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। बैंकों का पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रभाव और इन समस्याओं को हल करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बैंकों और पर्यावरणीय मुद्दों के बीच संबंध बैंक न केवल वित्तीय लेन-देन का केंद्र होते हैं, बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पूंजी का प्रवाह होता है, जो विभिन्न उद्योगों और परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

1. औद्योगिक वित्तपोषण: बैंक उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं, जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

2. पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन: बैंकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पुनर्वास परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जा सकता है।

3. ग्रीन फाइनेंस का प्रचार: बैंक हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर, और कार्बन कटौती परियोजनाएं।

बैंकिंग क्षेत्र का पर्यावरण पर प्रभाव

बैंकिंग क्षेत्र सीधे तौर पर पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव गंभीर हो सकते हैं।

1. पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण कुछ बैंक कोयला खनन, बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं, और अन्य ऐसी गतिविधियों को वित्तपोषित करते हैं, जो पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं।

2. नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की कमी कई बैंक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं देते, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है।

3. कार्यालय संचालन और कार्बन फुटप्रिंट बैंकों के बड़े कार्यालय, कागज का अत्यधिक उपयोग, और ऊर्जा खपत भी पर्यावरणीय मुद्दों में योगदान देते हैं।

बैंकों की पर्यावरणीय जिम्मेदारी

1. ग्रीन बैंकिंग ग्रीन बैंकिंग एक ऐसा तरीका है, जिसमें बैंक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य है वित्तीय सेवाओं को इस तरह डिज़ाइन करना, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।

2. पर्यावरणीय मानकों का पालन बैंकों को अपनी नीतियों और वित्तपोषण निर्णयों में पर्यावरणीय मानकों का पालन करना चाहिए।

3. सस्टेनेबल फाइनेंस बैंक पर्यावरण के प्रति जागरूक परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर स्थायी वित्तपोषण को बढ़ावा दे सकते हैं।

बैंकों द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान

बैंकिंग क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाकर पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान किया जा सकता है:

1. ग्रीन फाइनेंस का विस्तार बैंक नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं, और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों में निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तपोषित करना।

2. पर्यावरणीय जोखिम प्रबंधन बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित न करें, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके लिए कठोर पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

3. कार्बन फुटप्रिंट को कम करना बैंकों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। यानी

डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना।

कागज के उपयोग को कम करना।

ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाना।

4. पर्यावरणीय जागरूकता अभियान बैंकों को अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता फैलानी चाहिए। वे हरित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं।

5. ग्रीन बॉन्ड्स जारी करना बैंक ग्रीन बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं, जो पर्यावरणीय परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक प्रभावी साधन है।

बैंकों की वैश्विक पहलें और सफलता के उदाहरण

1. ग्रीन क्लाइमेट निधि (जीसीएफ) यह निधि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2. विश्व बैंक विश्व बैंक ने कई पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश किया है, जैसे कि ऊर्जा दक्षता और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर।

3. भारतीय बैंकिंग प्रणाली भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंक ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, और डिजिटल बैंकिंग को अपनाकर पर्यावरणीय नुकसान को कम कर रहे हैं।

बैंकों की चुनौतियां बैंक पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां उनका मार्ग अवरुद्ध करती हैं:

1. लाभ और पर्यावरणीय जिम्मेदारी में संतुलन बैंकों के लिए लाभदायक परियोजनाओं और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है।

2. पर्याप्त वित्तीयन की कमी ग्रीन फाइनेंस और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियाँ जुटाना एक बड़ी चुनौती है।

3. जागरूकता की कमी ग्राहकों और उद्योगों में पर्यावरणीय जागरूकता की कमी बैंकों के प्रयासों को सीमित कर सकती है।

4. नियामक ढांचे का अभाव कई देशों में ग्रीन बैंकिंग और पर्यावरणीय नीतियों के लिए स्पष्ट नियमों और प्रोत्साहनों की कमी है।

निष्कर्ष पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। बैंक न केवल आर्थिक गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराते हैं, बल्कि वे समाज और पर्यावरण को स्थायी बनाने में भी योगदान दे सकते हैं। ग्रीन बैंकिंग, सस्टेनेबल फाइनेंस, और पर्यावरणीय जागरूकता जैसे कदम उठाकर बैंक पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

हालांकि, इसके लिए सभी हितधारकों—बैंक, सरकार, उद्योग, और नागरिकों—को मिलकर काम करना होगा। बैंकों को अपनी वित्तीय नीतियों में पर्यावरणीय मानकों को शामिल करना चाहिए, और ग्राहकों को भी इस दिशा में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

यदि बैंकिंग क्षेत्र पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देता है, तो यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ दुनिया सुनिश्चित करेगा।

कविता

प्रयास

मैंने किया था एक प्रयास
अपने बचपन को कोरे पन्नों पर स्याही से
उतारने का
अपने सपनों को फिर से जीने का
मैंने किया था प्रयास लिखने
माँ के प्यार को, ममता को, दुलार को
अपनी औलाद को खास बनाने की कसम को
मैंने किया था प्रयास एक
लिखने का अपने पिता के परिश्रम को, त्याग को,
सपने को और छुपी प्यार की प्यारी सी मीठी गोद को
मैंने की थी एक कोशिश
बैठकर बाहर की कड़ी धूप में
एसी के बंद ठंड कमरे में
अपनी मां के प्यार को
पिता के परिश्रम को
जिसने कभी कोई शिकवा नहीं किया
रसोई घर की गर्माहट का
जिसने कभी नहीं बताया
कि सुबह से लेकर शाम तक
खटने का दर्द क्या होता है
मैंने देखो कितना अनोखा प्रयास किया
उसकी ममता को लिखने का
जो पूरी रात बुखार से तपते
मेरे बदन को मानो किसी
कीमती साज़ सा संजोती रही
मैंने किया प्रयास अपनी कलम से
लिखने का क्योंकि लोग कहते थे
कलम में बहुत ताकत होती है
मैं बैठ अपने दफ्तर की नरम गद्दी पर
किया प्रयास लिखने का उस पिता के लिए
दो पंक्तियां जिसने कभी शिकायत नहीं की
जमीन पर सोने की
पर यह क्या कलम को जैसे ही कोरे पन्ने पर रखा
इतना परिश्रम लिखने को
मानो कलम का एक-एक अंग टूट गया
दर्द को सुनकर
कलम बिखर गई कोरे पन्ने पर
पूरी स्याही बिखर गई
टपक टपक कर बूंद से
मानो रो रही हो
लगा, कह रही हो मुझ में हिम्मत नहीं
मैं नहीं लिख सकती इतना संघर्ष
नहीं है मेरी स्याही में इतना ताकत
सोचो कितना मुश्किल रहा होगा
उस दर्द को सहकर भी
अपनी औलाद को इंसान बनाना
फिर भी अंत में
उत्तर मिलता है
"आप लोगों ने किया क्या है आज तक मेरे लिए"

ललित मोहन जोशी
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
पाण्डिचेरी

क्यूआरिशिंग को समझना: क्यूआर कोड के दुरुपयोग के पीछे का खतरा

अभिषेक तिवारी, प्रबंधक, स्टाफ जवाबदेही कक्ष, केंद्रीय कार्यालय

आज की तेजी से डिजिटल होती दुनिया में, क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड जानकारी तक पहुँचने, भुगतान करने और व्यवसायों के साथ बातचीत करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण के रूप में उभरे हैं। हालाँकि, उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें साइबर अपराधियों का निशाना भी बना दिया है। सबसे नए और सबसे खतरनाक खतरों में से एक है क्यूआरिशिंग - फ़िशिंग का एक रूप जो उपयोगकर्ताओं को धोखा देने और संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए क्यूआर कोड का शोषण करता है।

यह आलेख क्यूआरिशिंग की अवधारणा, यह कैसे काम करता है, इसके संभावित परिणाम और खुद को और अपने संगठन को सुरक्षित रखने के उपायों के बारे में बताता है।

क्यूआरिशिंग क्या है?

क्यूआरिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हमलावर पीड़ितों को संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए दुर्भावनापूर्ण क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। ये कोड अनजान उपयोगकर्ताओं को नकली वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट करते हैं, हानिकारक क्रियाएँ शुरू करते हैं, या उनके डिवाइस पर मैलवेयर डाउनलोड करते हैं। क्यूआरिशिंग फ़िशिंग (उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील डेटा साझा करने के लिए धोखा देना) के सिद्धांतों को क्यूआर कोड की अनूठी कमज़ोरियों के साथ जोड़ता है।

पारंपरिक फ़िशिंग ईमेल या लिंक के विपरीत, क्यूआर कोड उपयोगकर्ताओं के लिए विज़ुअली सत्यापित करना कठिन होता है। उनके एनकोडेड स्वभाव के कारण उन्हें स्कैन किए बिना गंतव्य यूआरएल या कार्रवाई निर्धारित करना असंभव है। इस अस्पष्टता का साइबर अपराधी फ़ायदा उठाते हैं।

क्यूआरिशिंग कैसे काम करता है

क्यूआरिशिंग हमले आम तौर पर एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करते हैं:

1. दुर्भावनापूर्ण क्यूआर कोड बनाना:

साइबर अपराधी ऐसे क्यूआर कोड बनाते हैं जो दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट, डाउनलोड या स्क्रिप्ट के लिंक को एनकोड करते हैं। ये कोड वैध कोड से अलग नहीं होते।

2. क्यूआर कोड की जगह:

हमलावर इन कोड को सार्वजनिक स्थानों, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर रणनीतिक रूप से रखते हैं या विज्ञापनों, पोस्टर या रसीदों पर वैध क्यूआर कोड को बदल भी देते हैं।

3. पीड़ितों द्वारा स्कैन करना:

अनजाने उपयोगकर्ता क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, उन्हें प्रामाणिक मानते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें लग सकता है कि वे किसी रेस्टोरेंट का मेनू देखने, भुगतान करने या ईवेंट विवरण एक्सेस करने के लिए कोड स्कैन कर रहे हैं।

4. हमले का निष्पादन:

पीड़ित को एक फ़िशिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाता है जो एक वैध साइट की नकल करती है और उन्हें उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए प्रेरित करती है।

उनके डिवाइस पर एक दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल डाउनलोड की जाती है, जिसमें मैलवेयर, रैनसमवेयर या स्पाइवेयर हो सकते हैं।

क्यूआर कोड संदेश भेजने या अनधिकृत भुगतान करने जैसी क्रियाओं को ट्रिगर करता है।

5. सूचना का दोहन:

चोरी किए गए डेटा का उपयोग फिर धोखाधड़ी वाले लेनदेन, पहचान की चोरी या डार्क वेब पर बेचने के लिए किया जाता है।

कार्रवाई में क्यूआरिशिंग के उदाहरण

1. नकली पार्किंग मीटर भुगतान:

हमलावर पार्किंग मीटर पर धोखाधड़ी वाले क्यूआर कोड चिपकाते हैं, उपयोगकर्ताओं को एक नकली भुगतान पोर्टल पर निर्देशित करते हैं जो उनकी क्रेडिट कार्ड जानकारी चुरा लेता है।

2. रेस्तरां में फ़िशिंग:

रेस्तरां की टेबल मेनू पर एक क्यूआर कोड खाने वालों को एक नकली पेज पर रीडायरेक्ट करता है जहाँ वे अनजाने में अपने भुगतान विवरण साझा करते हैं।

3. इवेंट स्कैम:

इवेंट पोस्टर पर क्यूआर कोड टिकट खरीदने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में प्रच्छन्न फ़िशिंग साइटों पर रीडायरेक्ट करते हैं।

4. सोशल इंजीनियरिंग रणनीति:

हमलावर ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से क्यूआर कोड भेज सकते हैं, यह दावा करते हुए कि वे पुरस्कार, छूट या तत्काल संदेश देते हैं।

क्यूआरिशिंग क्यों खतरनाक है:

1. क्यूआर कोड पर भरोसा:

क्यूआर कोड सूचना तक पहुँचने के एक सहज तरीके के रूप में व्यापक रूप से विश्वसनीय हैं। कई उपयोगकर्ता उनकी वैधता पर सवाल उठाने में विफल रहते हैं।

2. छिपकर हमला:

क्यूआर कोड अपने गंतव्य यूआरएल को छिपाते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

3. तैनाती में आसानी:

हमलावरों के लिए नकली क्यूआर कोड बनाना और वितरित करना सरल है, जिसके लिए न्यूनतम तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

4. व्यापक उपयोग:

खुदरा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और अन्य उद्योगों में क्यूआर कोड के बढ़ते उपयोग से शोषण के अधिक अवसर पैदा होते हैं।

क्यूआरिशिंग हमलों को रोकना

जबकि क्यूआरिशिंग में बहुत ज़्यादा जोखिम है, आप खुद को और अपने संगठन को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठा सकते हैं:

1. क्यूआर कोड स्कैन करते समय सावधान रहें:

अज्ञात स्रोतों या संदिग्ध स्थानों से कोड स्कैन करने से बचें। सार्वजनिक पोस्टर, फ़्लायर या सतहों पर क्यूआर कोड की वैधता की पुष्टि करें।

2. पूर्वावलोकन के साथ क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करें:

कुछ ऐप आपको यूआरएल या कार्रवाई को निष्पादित करने से पहले उसका पूर्वावलोकन करने की अनुमति देते हैं। विश्वसनीय क्यूआर कोड स्कैनिंग ऐप इंस्टॉल करें जो यह सुविधा प्रदान करते हैं।

3. मैन्युअल रूप से यूआरएल सत्यापित करें:

यदि कोई क्यूआर कोड आपको किसी वेबसाइट पर ले जाता है, तो यूआरएल को ध्यान से जांचें। सुरक्षित HTTPS कनेक्शन देखें और डोमेन की प्रामाणिकता सत्यापित करें।

4. खुद को और दूसरों को शिक्षित करें:

क्यूआरिशिंग का मुकाबला करने के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों, दोस्तों और परिवार को क्यूआर कोड धोखाधड़ी के जोखिमों और संकेतों के बारे में शिक्षित करें।

5. व्यवसायों में सुरक्षित क्यूआर कोड का उपयोग:

अपने व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले क्यूआर कोड की निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बदला या छेड़छाड़ नहीं किया गया है। नियमित रूप से क्यूआर कोड लिंक को अपडेट और मान्य करें।

6. साइबर सुरक्षा उपाय अपनाएँ:

डिवाइस को दुर्भावनापूर्ण डाउनलोड से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें। संवेदनशील खातों की सुरक्षा के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) लागू करें।

7. छेड़छाड़ के संकेतों की जाँच करें:

विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड का भौतिक निरीक्षण करें। स्टिकर या ओवरले की तलाश करें जो बदले जाने का संकेत दे सकते हैं

काबिलियत

उधार की रोशनी से रोशन,
चांद सबको बहुत भाता है ।
क्योंकि सूरज का तेज,
आँखों को सहा नहीं जाता है ।
बस यही मसला है,
इस धरती पर हर एक इंसान का ।
खुद से कमजोर पर,
जोर आजमाने में मजा आता है ।
और काबिलियत के आगे,
पसीना छूट जाता है ।

भूषण लांजेवार
मुख्य प्रबंधक
तिरुच्चि क्षेत्र

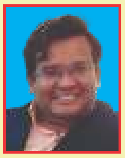

विशेष आलेख

कार्बन फुटप्रिंट को समझना: इसका इतिहास, प्रभाव और इसे कैसे कम करें

शिव कुमार यादव, वरिष्ठ प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय

औद्योगिक क्रांति से पहले का पर्यावरण और जलवायु

औद्योगिक क्रांति से पहले, पृथ्वी की जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर थी, जिसमें प्राकृतिक कार्बन चक्र कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन बनाए रखते थे। जंगल, महासागर और मिट्टी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते थे, जिससे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ऐसा बना रहता था जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और मध्यम जलवायु का समर्थन करता था। उस समय, कृषि और छोटे पैमाने के उद्योग जैसे मानव गतिविधियों का वैश्विक तापमान पर न्यूनतम प्रभाव था।

हालांकि, 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण के आगमन के साथ, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव तेजी से बढ़ा। जीवाश्म ईंधनों—कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस—का जलाना औद्योगिक प्रगति की रीढ़ बन गया, जिसने फैक्ट्रियों, परिवहन और शहरी विस्तार को ऊर्जा प्रदान की। इस बदलाव ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अभूतपूर्व वृद्धि की, जिससे प्राकृतिक कार्बन चक्र बाधित हुआ और वायुमंडलीय CO2 स्तर तेजी से बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि हुई।

कार्बन फुटप्रिंट क्या है?

कार्बन फुटप्रिंट कुल ग्रीनहाउस गैसों (GHGs), मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4), और नाइट्रस ऑक्साइड (N2O), की मात्रा को संदर्भित करता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित की जाती हैं। इसे मीट्रिक टन CO2 समतुल्य में मापा जाता है और इसमें परिवहन, उद्योग, कृषि और दैनिक घरेलू गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन शामिल होते हैं।

कैसे औद्योगीकरण ने कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाया

जैसे-जैसे उद्योगों का विस्तार हुआ, वैसे-वैसे जीवाश्म ईंधनों पर वैश्विक निर्भरता भी बढ़ी। कोयला-संचालित भाप इंजनों का व्यापक उपयोग, जो बाद में तेल और गैस से चलने वाली मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन का कारण बना। शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वनों की कटाई ने पृथ्वी की CO2 अवशोषित करने की क्षमता को और कम कर दिया। 20वीं शताब्दी के मध्य तक, ऑटोमोबाइल, बिजली उत्पादन और बड़े पैमाने पर उत्पादन ने मानव सभ्यता के कार्बन फुटप्रिंट को और बढ़ा दिया।

कार्बन फुटप्रिंट के जलवायु पर प्रभाव को समझना

20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के चिंताजनक प्रभावों को पहचानना शुरू कर दिया। ग्रीनहाउस प्रभाव—एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में फसी गर्मी वैश्विक तापमान को बढ़ाती है—जलवायु चर्चाओं में एक प्रमुख विषय बन गया। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने और

सिफारिशें देने के लिए 1988 में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की स्थापना की गई। क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौता (2015) कार्बन कटौती के लिए अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे।

कार्बन फुटप्रिंट के भविष्य के प्रभाव

यदि कार्बन फुटप्रिंट को नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अधिक गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि:

वैश्विक तापमान में वृद्धि

अधिक बार और तीव्र प्राकृतिक आपदाएँ (तूफान, जंगल की आग, बाढ़)

ध्रुवीय बर्फ की चादरों का पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि

जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश

स्वास्थ्य जोखिमों में वृद्धि, जैसे श्वसन रोग और अत्यधिक गर्मी से संबंधित बीमारियाँ

हालांकि, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है और एक सतत भविष्य बनाया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरण, पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनाना और कठोर पर्यावरण नीतियों को लागू करना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

कैसे व्यक्ति अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं

प्रत्येक व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं जिनसे व्यक्ति **अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं:**

1. सतत परिवहन अपनाएं

एकल गाड़ी चलाने के बजाय सार्वजनिक परिवहन, कारपूल या

साइकिल का उपयोग करें।

इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों का विकल्प चुनें।

छोटे दूरी के लिए मोटर वाहनों के बजाय पैदल चलें।

2. घर पर ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा-कुशल संरक्षण के लिए LED बल्बों का उपयोग करें।

उपयोग में न होने पर इलेक्ट्रॉनिक्स को अनप्लग करें।

ऊर्जा-संरक्षण करने वाले उपकरणों का उपयोग करें।

जहाँ संभव हो, सौर पैनल स्थापित करें।

3. कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनःचक्रण करें

सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से बचें और पुन: उपयोग योग्य उत्पादों को अपनाएं।

कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु सामग्री का पुनःचक्रण करें।

वस्तुओं को फेंकने के बजाय उन्हें नए तरीके से उपयोग करें।

4. सतत आहार अपनाएं

स्थानीय और जैविक खाद्य पदार्थ खाएं।

भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से भोजन तैयार करें।

5. हरित पहल का समर्थन करें

पेड़ लगाएं और पुनर्वनीकरण प्रयासों में भाग लें।

उन कंपनियों और ब्रांडों का समर्थन करें जो स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करें।

निष्कर्ष

कार्बन फुटप्रिंट को समझना और प्रबंधित करना जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आवश्यक है। जबकि उद्योगों और सरकारों को बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी चाहिए, व्यक्तिगत प्रयास सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। दैनिक जीवन में जागरूक विकल्प बनाकर, लोग एक स्वस्थ ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य में योगदान कर सकते हैं।

राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर

1. (क)	2. (घ)	3. (क)	4. (क)	5. (ग)
6. (ख)	7. (घ)	8. (ग)	9. (क)	10. (क)
11. (घ)	12. (क)	13. (ख)	14. (ग)	15. (घ)

पुरखों की धरती

चन्द खनकते सिक्कों की खातिर..
छोड़ आये पुरखों की धरती।
जहाँ कभी सजते थे फूल और पाती।
रह गया वहां बस एक पुराना पीपल बाकी।
रहता था इंतज़ार सदा उसे, मेहमानों के आने का।
खातिरदारी ऐसी होती, मेहमां नाम न लेता जाने का।।
है इंजतार उसे आज भी, हम सबके आने का।
जैसे हम सब बड़े हुए खेल कर उसकी छाती पर,
नाती पोते सब खेले कूदे, उसके आंगन और डालों पर।।

सत्य प्रकाश पाण्डेय
प्रबंधक
सूचना प्रबंधन विभाग
केंद्रीय कार्यालय

राजभाषा प्रश्नोत्तरी

भारत में राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत किया गया था। इस आयोग का उत्तरदायित्व हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास और प्रचार-प्रसार का था। राजभाषा आयोग के गठन की कहानी भारत की भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को संतुलित करने की कोशिशों से जुड़ी है। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की गईं। आयोग ने सुझाव दिया कि हिंदी को धीरे-धीरे राजकीय कार्यों में लागू किया जाए, लेकिन हिंदीतर भाषी राज्यों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए। अतः हिंदीतर भाषी राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किए जाने के साथ ही अंग्रेजी को भी एक सहायक राजभाषा के रूप में जारी रखा गया।

राजभाषा आयोग का मुख्य उद्देश्य हिंदी के विकास और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है, साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के हितों की रक्षा करना भी है। यह आयोग हिंदी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए काम करता है। इस प्रकार, राजभाषा आयोग का गठन भारत की भाषाई विविधता को संजोते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1. हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है?
   (क) बिहार (ख) उत्तर प्रदेश
   (ग) मध्य प्रदेश (घ) हरियाणा
2. हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरु हुई?
   (क) वर्ष 1999 (ख) वर्ष 2004
   (ग) वर्ष 2009 (घ) वर्ष 2010
3. अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
   (क) अनुच्छेद 350 (ख) अनुच्छेद 350
   (ग) अनुच्छेद 349 (घ) अनुच्छेद 344
4. शाखा / कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का दायित्व किसका होता है?
   (क) शाखा / कार्यालय प्रमुख (ख) राजभाषा अधिकारी
   (ग) राजभाषा सचिव (घ) राजभाषा प्रभारी
5. केंद्र सरकार के नियम अनुसार किसी भी साईन बोर्ड में नाम दर्शाने का क्या क्रम होना चाहिए?
   (क) अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा (ख) क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी
   (ग) क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, (घ) अंग्रेजी, क्षेत्रीय, भाषा हिंदी
6. देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुए है?
   (क) खरोष्ठी लिपि (ख) ब्राह्मी लिपि
   (ग) रोमन लिपि (घ) गुप्त लिपि
7. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का संबंध राजभाषा नियम 1976 के किस नियम से है?
   (क) नियम 9 से (ख) नियम 8 से
   (ग) नियम 7 से (घ) नियम 6 से
8. इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है?
   (क) मैथिली (ख) सिंधी
   (ग) अंग्रेजी (घ) नेपाली
9. राजभाषा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है?
   (क) राष्ट्रपति (ख) प्रधानमंत्री
   (ग) गृहमंत्री (घ) संसद
10. राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित की गई?
    (क) 1968 (ख) 1967
    (ग) 1960 (घ) 1959
11. विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है?
    (क) भारत (ख) सिंगापुर
    (ग) मलेशिया (घ) मॉरिशस
12. निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है?
    (क) बांग्ला (ख) चकमा
    (ग) कोकबोरोक (घ) अंग्रेजी
13. वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितनी उप समितियाँ है?
    (क) कुल 4 उपसमितियाँ है (ख) कुल 3 उपसमितियाँ है
    (ग) कुल 2 उपसमितियाँ है (घ) कुल 5 उपसमितियाँ है
14. भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग-6 के अंतर्गत आता है?
    (क) अनुच्छेद 120 (ख) अनुच्छेद 142
    (ग) अनुच्छेद 210 (घ) अनुच्छेद 320
15. सभी नामपट्ट सूचनापट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में ही हों, इसका उल्लेख राजभाषा के किस नियम में है?
    (क) नियम 10 (1) (ख) नियम 10 (2)
    (ग) नियम 11 (1) (घ) नियम 11 (2)

नोट : राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 58 देखें

संकलनकर्ता:
बरुन चौधरी
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर

प्रतिस्पन्दन

आपकी बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'वाणी' का राजभाषा विशेषांक, सितंबर, 2024 का 142 वां अंक प्राप्त हुआ । आपके बैंक को माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति- प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है । इस विशेष उपलब्धि हेतु आप सभी को हार्दिक बधाई।

पत्रिका में प्रकाशित माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश बैंकिंग के समक्ष चुनौतियों के साथ-साथ राजभाषा के क्षेत्र में आपके बैंक द्वारा विभिन्न मंचों पर अर्जित सम्मान के विषय में भी उल्लेख करता है । पत्रिका में राजभाषा के विषय से संबंधित कई लेख प्रकाशित हैं जो हमें हिंदी की व्यापकता से रूबरू करवाते हैं । इसके अतिरिक्त पत्रिका में संपादित कविता 'हिंदी' हमारी राजभाषा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है । पत्रिका में 'हिंदी भाषा से रोजगार की संभावनाएं' लेख के माध्यम से हिंदी भाषा के क्षेत्र में विभिन्न नवीन रोजगारों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है । शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर जी की 100वीं जयंती पर लिखा गया विशेष आलेख 'आवारा हूँ' बहुत ही दिलचस्प है । उचित एवं आकर्षक चित्रांकन कुशल सम्पादन को दर्शाता है । पत्रिका के साथ प्राप्त हिंदी कैलंडर भी बहुत ही उपयोगी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका में निहित सामग्री को पाठकगण रुचिकर व उपयोगी पाएंगे।

समग्र रूप से परिपूर्ण व आकर्षक अंक प्रकाशित करने हेतु संपादक मंडल व सम्पूर्ण टीम को हार्दिक बधाई तथा इसी प्रकार ज्ञानवर्धक सामग्री से भरपूर अगले अंक की हमें प्रतीक्षा रहेगी, जिसके लिए हमारी अनेकानेक शुभकामनाएं।

भवदीय,
गिरीश चंद्र जोशी
महा प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

हमारी गृह पत्रिका 'वाणी' का राजभाषा विशेषांक को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ । सर्वप्रथम वर्ष 2023-24 हेतु राजभाषा कीर्ति – प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय एवं केंद्रीय कार्यालय की राजभाषा टीम को हार्दिक बधाई। पत्रिका का अवलोकन करने पर उसकी उसकी उत्कृष्टता श्रेष्ठ संपादकत्व को प्रदर्शित करती है। पत्रिका में संकलित सभी कार्यपालकों के संदेश प्रेरणादायी है और सभी आइओबियन्स के बीच नवीन उर्जा और उत्साह का संचार करते हैं । राजभाषा हिंदी संबंधी आलेख बेहद ज्ञानवर्धक हैं जो हमें कृत्रिम मेधा के विभिन्न पहलूओं से अवगत कराते हैं । साहित्य के सफ़रनामा के अंतर्गत 'मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया" नामक आलेख, विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता तथा बैंकिंग कारोबार में रिटेल व कासा जैसे आलेख रुचिकर हैं । ज्ञान के मोती के रूप में श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट सुविचारों का संकलन और नव वर्ष 2025 की हिंदी पंचांग सहित कैलेंडर पत्रिका को आकर्षक व रोचक बनाती है ।

उत्कृष्ट पत्रिका के संपादन हेतु मेरी ओर से संपादक मंडल को हार्दिक बधाई ।

भवदीय,
संजय कुमार सिंह
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, भोपाल क्षेत्र

आपके बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका "वाणी" के 142वें अंक, जो राजभाषा विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ है, एक सराहनीय प्रयास है। इस अंक में शामिल विषय जैसे "विश्व मंच पर हिंदी" इस बात को स्पष्ट करता है कि हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी है। "प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी की भूमिका" पर चर्चा करना एक महत्वपूर्ण विषय है, यह केवल उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि यह उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का भी एक माध्यम है। राजभाषा की संकल्पना" और "महात्मा गांधी का योगदान" आदि ने हिंदी भाषा के महत्व और उसके वैश्विक प्रभाव को उजागर किया है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की पत्रिका "वाणी" का यह विशेषांक हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रति एक सार्थक प्रयास है। इसमें शामिल विषय न केवल हिंदी के महत्व को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि हिंदी को और अधिक प्रोत्साहन और समर्थन की आवश्यकता है। यह अंक हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे प्रयासों से हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रसार और मजबूत होगा । आपके संपादक मंडल द्वारा की गई मेहनत और समर्पण स्पष्ट रूप से झलकता है । पत्रिका में विभिन्न विषयों पर गहन विश्लेषण, जानकारियां पाठकों के लिए बहुत लाभदायक हैं। डिज़ाइन और लेआउट भी बहुत सुंदर और पेशेवर है। मैं आपके संपादक मंडल को इस सुंदर और उच्च गुणवत्ता वाली पत्रिका के प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपकी यह पत्रिका भविष्य में भी पाठकों के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।

भवदीय,
ई रमेश
सहायक महा प्रबंधक व मुख्य राजभाषा अधिकारी, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय

गतिविधियाँ

सीएसआर गतिविधि के तहत निराश्रित बच्चों की सेवा में संलग्न संस्थान **"श्री चित्रा पुअर"** को महिंद्रा बोलेरो जीप की चाबी प्रदान करते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव**

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं शीर्ष कार्यपालक गण

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good People to grow with
पीएम-सूर्य घर के तहत योजनाएं :
मुफ्त बिजली योजना
आइओबी सूर्या
के साथ बिजली के बिल का बोझ हल्का करें ।
रूफ टॉप सोलर प्रणाली के लिए ऋण
₹ 20 लाख
तक का ऋण
3 किलोवाट तक
7% प्रतिवर्ष
तक की ब्याज दर
नियम एवं शर्तें लागू
₹ 78000
तक की सरकारी सहायकी (आर्थिक मदद)
आइओबी
www.iob.in
हमें फॉलो करें @IOBindia
1800 425 4445 | 1800 890 4445